कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 63★ मासिक अंक : 7★ पृष्ठ : 52 ★ वैशाख–ज्येष्ठ 1939★ मई 2017

इस अंक में

	आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन	अमरजीत सिन्हा	5
	कृषि विकास और किसान कल्याण : चुनौतियों से उपलब्धियों तक का सफर	डॉ. जगदीप सक्सेना	9
	निखरेगा गांव तो बढ़ेगा देश	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	15
	गांवों में तेजी से ढांचागत सुविधाओं का विकास	हरिकिशन शर्मा	18
	जन-धन, जन-सुरक्षा से विकसित होता वित्तीय विश्वास	शिशिर सिन्हा	21
स्वच्छता सेनानी			
	कूच बिहार में ओडीएफ वॉररूम की जीत की रणनीति	---	25
	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बना एक मिसाल	बालेन्दु शर्मा दाधीच	26
	कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी	डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद, जगन्नाथ कुमार कश्यप	29
	नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से बंधी हैं उम्मीदें	श्रवण शुक्ला	32
	गांवों में साफ-सफाई को लेकर आई जागरूकता	संजय श्रीवास्तव	35
स्वच्छता पखवाड़ा			
	नौवहन मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया	---	39
	'नमामि गंगे' का दिखने लगा है रंग	रत्ना श्रीवास्तव	40
	अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने से बिजली क्षेत्र का कायाकल्प	ऋभ कृष्ण सक्सेना	43
	महिलाओं और बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के प्रयास	पश्यंती शुक्ला	48

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए और सशक्त भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री का स्वप्न पूरा होने का रास्ता गांवों, किसानों और खेत–खलिहानों से होकर गुजरता है। सरकार गांवों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस तथ्य से भली–भांति परिचित है कि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था तभी मज़बूत हो सकती है जब देश की विशाल आबादी जिस कृषि पर निर्भर है, उस पर आधारित आर्थिक तंत्र अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण विकास ही सतत् आर्थिक विकास और मानव विकास का मूलमंत्र है। यही वजह है कि सरकार लगातार तीसरे वर्ष ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के ठोस और व्यापक उपाय कर रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मज़बूती मिल सके।

वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जाए और सभी नागरिकों के कल्याण हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए। सरकार ऐसा ग्रामीण विकास चाहती हे जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाए चूंकि उसी के माध्यम से स्थायी प्रगति संभव है। सामाजिक समानता के उद्देश्य को लेकर सरकार **मई 2018 तक सभी के लिए बिजली,** 2022 तक सभी के लिए आवास, **2030 तक 'हर घर में जल'** का संकल्प लेकर चल रही है। साथ ही, खाद्य उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वर्तमान सरकार ने पिछले तीन सालों में ग्रामीण लोगों के उत्थान हेतु लीक से हटकर कई निर्णय लिए हैं। वित्तीय समावेशन उनमें से एक है, पहली बार देश के इतनी अधिक संख्या में गरीब बैंक खाताधारक बने हैं। जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। यह वित्तीय समावेशन गतिशील कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में सरकार ने सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए 50,000 करोड़ रुपये की बचत की है। 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस प्रदान करने की **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आ रहा है। अब तक 2.12 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य** को हासिल करने के लिए सात–सूत्री रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत **'हर खेत को पानी', हर बूंद अधिक फसल** के लक्ष्य के साथ सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी है। उधर, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** से किसानों को खाद का उचित प्रयोग करने में मदद मिल रही है। **राष्ट्रीय कृषि बाजार** (ई–नैम) से कृषि विपणन में ऐतिहासिक सुधार आएंगे। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद बाजार में विकृतियां खत्म हो जाएंगी और किसान को बेहद पारदर्शी तरीके से अपने उत्पाद की वाजिब कीमत मिल सकेगी। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** भारतीय किसानों को मौसम की मार से बचाने में मदद करेगी और उन्हें मुश्किल समय में आय सुरक्षा प्रदान करेगी।

कृषि भूमि की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए मृदा जांच और नीम लेपित यूरिया कृषि क्रांति की दिशा में प्रमुख कदम हैं। इस दिशा में अन्य कदम बांध निर्माण, जलाशयों और अन्य जल संरक्षण विधियों के जरिए जल संरक्षण, भू–जल स्तर बढ़ाना, टपक सिंचाई को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी कम करना, मृदा की उर्वरकता का अध्ययन कर फसलों के तरीकों में बदलाव करना, पानी की उपलब्धता और बाजार की स्थिति है। विद्युतीकरण, पंचायतों में कंप्यूटरीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सड़क निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से ज़मीनी–स्तर पर विकास सुनिश्चित होगा। सड़क निर्माण से प्रत्येक गांव के लिए बाजार और इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

पिछले तीन सालों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत वर्ष 2016–17 में 130 किमी./दिन की रफ्तार से सड़क निर्माण हुआ है जोकि सरकार के प्रयासों की गंभीरता को दिखाता है। इसी तरह ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत नवंबर 2016 में शुरू की गई **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के तहत अब तक 32.14 लाख घर बनाए जा चुके हैं जोकि 2011–14 के दौरान बने घरों से दो से तीन गुना ज्यादा हैं। इस नए ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत **2022 तक 'सभी के लिए आवास'** का लक्ष्य रखा गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आज लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा बन गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद पहली बार, जल संरक्षण के लिए समेकित दिशा–निर्देश तैयार किए गए। मिशन जल संरक्षण **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधित कार्यों के लिए योजना और निगरानी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इनके लिए वैज्ञानिक नियोजन और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल प्रबंधन का निष्पादन ही मंत्रालय का मुख्य ध्येय है। भू–मनरेगा एक पथप्रदर्शक पहल है, जो बेहतर नियोजन, प्रभावी निगरानी, बढ़ी हुई दृश्यता और अधिक पारदर्शिता के लिए मनरेगा के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों की भू–टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इस पहल की शुरुआत वित्तवर्ष 2016–17 में की गई, और लगभग एक करोड़ भू–परिसंपत्तियों को जियोटैग किया गया।

युवाओं के बारे में सरकार के विचार एकदम स्पष्ट हैं: उनके लिए एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जहां आसान बैंक ऋण, राजकोषीय रियायतों और प्रौद्योगिकी समर्थता की मदद से उद्यमशीलता बढ़े। युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने के लिए और उन्हें अपने बूते आगे बढ़ने में मदद देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, कौशल विकास और ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कारगर उपाय कर रही है। डिजिटल पहल **भीम**, फाइबर ऑप्टिक्स, बिक्री स्थलों और माल प्लेटफार्म जैसे परिचालन एप तैयार करने के लिये कई पहल हेतु बुनियादी सहायता दी गई है। देश को ऊर्जावान और स्वच्छ, बनाने के लिए बजट में नगदीरहित अर्थव्यवस्था पर सरकार का जोर है। वास्तव में इससे न केवल काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश को आंतरिक रूप से स्वच्छ करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा ऊर्जावान बनेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मिशन के तहत देश के 134 जिले (27 अप्रैल, 2017 तक) और 1.93 लाख से अधिक गांव खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं। यदि इसी गति से विकास कार्य होते रहे तो उम्मीद है नए भारत के निर्माण और ग्रामीण लोगों की जिंदगी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन

–अमरजीत सिन्हा

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार के पिछले 3 वर्षों में उठाए गए कदम उसकी सफलता को बयान करते हैं। सतत् एवं सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास की राह को सुगम बनाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघरों एवं जरूरतमंदों को आशियाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीणों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास सतत आर्थिक वृद्धि और मानव विकास का मूलमंत्र है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आती है तो गरीबी का उन्मूलन होता है और कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं। विश्वव्यापी शक्ति के रूप में भारत का उद्भव ग्रामीण गरीबी और विकास की चुनौती से निपटने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने और परिवारों के कल्याण हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार करने को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। ऐसा ग्रामीण विकास जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाए, उसी के माध्यम से स्थायी प्रगति संभव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कई पहलू हैं। अब सभी पहलुओं पर काम किए जाने का महत्व समझा जा रहा है। अगर कोई बेघर है तो वह गरीब हो सकता है; अगर कोई अशिक्षित है और उसके पास कोई दक्षता नहीं तो वह गरीब हो सकता है; अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वह गरीब हो सकता है; किसी की सेहत अच्छी नहीं तो वह गरीब हो सकता है। ऐसे विभिन्न पहलू हो सकते हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने का मौका न मिले। ग्रामीण विकास की असली चुनौती यह है कि हर ग्रामीण परिवार को मानवीय और आर्थिक विकास से जुड़ी सेवाएं मुहैया करायी जाएं जिससे उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने का अवसर मिले।

ग्रामीण विकास विभाग एक लाख करोड़ रुपये के सालाना बजट के साथ गरीबी के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका और गरीब परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। अगर हम सभी विभागों और राज्य सरकारों के बजट को जोड़कर देखें तो इन क्षेत्रों में सालाना 3–4 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं।

सूखे की स्थिति में जल संरक्षण पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि गैर–कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त एकीकृत कृषि प्रणाली के विकास पर ध्यान दिया जाए जिसमें फसल, बागवानी और पशुपालन शामिल हैं। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संसाधनों को आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है और परिवारों को वैविध्यपूर्ण आजीविका प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मिशन कन्वर्जेंस के जिन दिशा–निर्देशों को स्वीकृत किया गया है, उनके तहत मनरेगा के संसाधनों को पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर उपयोग किया जाएगा ताकि रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर वॉटरशेड क्षेत्रों को सूखे से बचाया जा सके।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सूक्ष्म ऋण योजना–महिलाओं के स्वसहायता समूहों (एसएचजी) के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। 31 लाख से अधिक महिला स्वसहायता समूह और लगभग 3.6 करोड़ महिलाएं इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। स्वसहायता समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठन (वीओ), सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के माध्यम से प्रभावी सामाजिक संपत्ति विकसित करने के बाद अब जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों वाले इन समूहों को बैंकों से जोड़ा जाए। महिला स्वसहायता समूहों ने पिछले तीन वर्षों में 85,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है। इसमें से एक बड़ी रकम का उपयोग गरीब

परिवारों की आय को सुधारने और विविध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। मनरेगा के संसाधनों का उपयोग बकरियों, मुर्गियों के लिए शेड्स और डेयरी शेड्स बनाने के लिए किया गया है। लोगों के लिए तालाब और कुएं बनाए गए हैं ताकि अधिक आय अर्जित करने के लिए विविध प्रकार के रोजगार दिए जा सकें।

2016–17 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति

2016–17 में अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। यह इसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2011–14 में प्रतिदिन 73.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ तो 2014–15 में प्रतिदिन 100 किलोमीटर सड़कें बनी। 2016–17 में यह आंकड़ा 130 किलोमीटर प्रतिदिन का था। इसी प्रकार, ग्रामीण आवास (आरएच) कार्यक्रम के तहत जहां सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया था कि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के सभी अधूरे घरों के निर्माण के काम को पूरा किया जाए और 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–ग्रामीण) के तहत निर्माण शुरू किए जाएं; राज्यों ने 32.14 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया। वर्ष 2011–14 के दौरान घरों के औसत निर्माण की तुलना में यह संख्या दो से तीन गुना अधिक है। ऐसे ही मनरेगा के तहत जहां सामान्यतः 25 लाख से 30 लाख काम पूरे होते हैं, 2016–17 में 52 लाख काम पूरे किए गए। मनरेगा के तहत पहली बार 88 लाख परिसंपत्तियां जियोटैग की गईं। वर्ष 2016–17 में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा यहां दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

2016–17 के दौरान 47,350 किमी. पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण किया गया। पिछले 7 वर्षों के दौरान एक वर्ष में यह सबसे अधिक सड़क निर्माण है। वर्ष 2016–17 के दौरान 47,350 किमी. पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण से 11,614 बस्तियों को जोड़ा गया (औसतन 32 बस्तियों को प्रत्येक दिन जोड़ा गया)। पीएमजीएसवाई सड़कों से कितनी बस्तियों को कनेक्टिविटी मिली, अगर इसकी संख्या से लिहाज से देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों में 11,606 का आंकड़ा सबसे अधिक है।

2016–17 के दौरान ग्रामीण सड़कों से कार्बन उत्सर्जन एवं पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने तथा वर्किंग सीजन को बढ़ाने एवं उन्हें लागत प्रभावी बनाने के लिए पीएमजीएसवाई ग्रामीण के तहत सड़कों में हरित तकनीक और गैर–परंपरागत सामग्रियों, जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल, फ्लाई ऐश, लोहे और तांबे के मल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 2016–17 में हरित तकनीक का उपयोग करके 4,113.13 किमी. पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण किया गया।

मनरेगा 2016–17 में प्रशासनिक परिवर्तन और जल संरक्षण पर जोर

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जल संरक्षण पर जोर देने के साथ–साथ मनरेगा में अभूतपूर्व प्रशासनिक परिवर्तन देखा गया। मनरेगा सॉफ्ट में आधार सीडिंग के साथ 82 प्रतिशत से अधिक सक्रिय श्रमिक (9.1 करोड़) हैं, आधार आधारित पेमेंट ब्रिज पर 4.6 करोड़ श्रमिक हैं, बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से 96 प्रतिशत मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया गया है, 89 लाख से अधिक परिसंपत्तियों को अब तक जियोटैग किया जा चुका है, 93 लाख से अधिक जॉब कार्ड्स को उचित सत्यापन न होने के कारण समाप्त किया जा चुका है; कम बारिश वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूखारोधी जल संरक्षण कार्य किए गए हैं। इस प्रकार मनरेगा को न केवल उचित रूप से संचालित किया जा रहा है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित आजीविका के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कर रहा है और मांग–आधारित रोजगार भी प्रदान कर रहा है। मनरेगा ने 230 करोड़ दिन के बराबर रोजगार पैदा किए जोकि संशोधित श्रम बजट से अधिक है। 58,056 करोड़ रुपये का कुल प्रस्तावित व्यय (केंद्रीय और राज्य) किसी भी एक वर्ष में सबसे अधिक है। वैतनिक रोजगार में 56 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी भी सबसे अधिक है।

सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जल–संरक्षण पर माननीय प्रधानमंत्री की बैठकों के बाद जल–संरक्षण के अभियान को गति मिली। राज्यों ने मनरेगा संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र विशिष्ट में जल–संरक्षण की पहल की। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ने 3,200 गांवों को सूखे से बचाने के लिए 92,000 जल–संरक्षण संरचनाएं बनायी। झारखंड के हर राजस्व गांवों में दोभा या खेतों में तालाब बनाए गए। आंध्रप्रदेश में खेतों में तालाब बनाने के कार्यक्रम नीरू चेट्टू को शुरू किया गया। तेलंगाना में मिशन कार्तिकेय शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में कपिलधारा के तहत कुएं खोदने का काम किया गया। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर लगाए गए और जल–संरक्षण के दूसरे उपाय किए गए। इन सभी कार्यक्रमों में आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए मनरेगा संसाधनों का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में पानी से संबंधित 15.47 लाख काम पूरे किए गए जिनमें 5.66 लाख कृषि तालाब शामिल हैं। मनरेगा की वार्षिक प्रदर्शन परिणाम रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान यह जानकारी भी मिली कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 में मनरेगा के माध्यम से लगभग 90 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है।

मनरेगा ने बड़ी संख्या में लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया है (इसमें लगभग 14.61 लाख से अधिक लाभार्थी हैं) और उनकी आजीविका सुरक्षित की है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान उनके लिए मुर्गीपालन, बकरी पालन और डेयरी कामों के लिए शेड्स का निर्माण किया गया है। तालाब और कुएं खोदे गए हैं। घर और व्यक्तिगत परिवार के लिए शौचालय (आईएचएचएल) बनाने में सहयोग दिया गया है। तमिलनाडु के 11,000 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभिनव पहल की गई है। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में तरल कचरा प्रबंधन के लिए 4 लाख से अधिक मैजिक पिट्स का निर्माण किया गया है। मनरेगा के अकुशल श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिए

भी काम किया गया है। 29,094 लोगों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 3,812 लोगों को बेयरफुट तकनीशियन बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही डीडीयूजीकेवाई के तहत 3,000 से अधिक श्रमिकों के लिए प्लेसमेंट आधारित वैतनिक रोजगार का प्रावधान किया गया है और पीएमएवाई ग्रामीण के तहत ग्रामीण मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

पीएमएवाई ग्रामीणः सिर्फ मकान नहीं, घरों का निर्माण

माननीय प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–ग्रामीण) का शुभारंभ किया था। इस नए ग्रामीण आवास कार्यक्रम को लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। उच्च लागत के साथ यह कार्यक्रम स्थानीय सामग्री और डिजाइनों का उपयोग करता है। इसके तहत बने घरों में रसोई, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति होगी, और लाभार्थी अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घरों की योजना बना सकते हैं। घरों को अच्छा बनाने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ, वे एक दक्ष श्रमिक भी बनेंगे।

2016–17 में इस बात पर जोर दिया गया कि लाभार्थियों के चयन, आईटी/डीबीटी प्लेटफॉर्म तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, ग्रामीण राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, घरों की डिजाइनिंग को अंतिम रूप देने इत्यादि से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के साथ पीएमएवाई–ग्रामीण का शुभारंभ किया जाए। एक बात और भी है। यह लक्ष्य भी था कि पिछले एक से चार वर्षों के दौरान लंबित पड़े इंदिरा आवास योजना के 36 लाख अधूरे मकानों को भी पूरा किया जाए।

पहले जहां ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए हर जिले में 2 से 20 बैंक खाते थे, वहीं राज्य–स्तर पर अब सिंगल नोडल एकाउंट है। यह प्रशासकीय सुधार ही कहा जाएगा कि अब आवास–सॉफ्ट पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाभार्थी के खाते में फंड्स प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं।

प्राथमिकता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से पीएमएवाई ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को 2022 तक के लिए चुना गया है। तीन फिल्टरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि वास्तव में बेघर लोगों और टूटे–फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को चुना जाए। संवेदनशील समूहों और बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। घरों की डिजाइनिंग इस प्रकार की गई है कि वे आपदाओं को झेल सकें। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों ने पीएमएवाई–ग्रामीण के कार्यान्वयन में अगुवाई की है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अधूरी इंदिरा आवास योजनाओं को पूरा करने का उल्लेखनीय कार्य किया है।

ग्रामीण विकास विभाग को उम्मीद है कि 2017–18 में 51 लाख घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त 33 लाख मकान मंजूर किए जाएंगे। वर्ष 2018–19 के दौरान भी इतनी ही संख्या में घरों का निर्माण पूरा होना प्रस्तावित है। इस प्रकार 2016–2019 के दौरान 1.35 करोड़ घरों के निर्माण का आंकड़ा पूरा होगा। हमें 2022 तक 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य जो पूरा करना है।

डीएवाई–एनआरएलएमः आजीविका से जीवन का कायापलट

दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएयू–एनआरएलएम) 3.6 करोड़ से अधिक परिवारों के जीवन और आजीविका का कायापलट कर रहा है, जहां महिलाएं स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हुई हैं। एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर–स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) के तहत महिला समूहों ने परिवर्तनकारी सामाजिक संपत्तियां विकसित की हैं और इससे लैंगिक संबंधों में भी बदलाव आया है, सेवाओं तक उनकी पहुंच बनी है और ग्रामसभा एवं पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के माध्यम से महिलाएं कौशल और दक्षता प्राप्त कर रही हैं और इस कार्यक्रम के जरिए उनमें आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लेने का आत्मविश्वास जागा है। ऐसी 1.50 लाख महिलाएं हैं जो खुद गरीबी से उठकर अब सीआरपी बन गई हैं और सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, पशु देखभाल के लिए पैरा वेट्स का कैडर तैयार करने जैसे कामों के अलावा वे महिला समूहों के लिए बुक कीपिंग और एकाउंट्स संभालने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इस प्रकार मानो गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल रही है।

2011 में कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद से अब तक महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों ने बैंक ऋण के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। वर्ष 2014–15 में 20,000 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज के साथ समूहों ने 2015–16 में 30,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया। फरवरी 2017 तक 29,000 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2016–17 में 35,000

से 38,000 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में बैंक लिंकेज के विश्लेषण से पता चलता है कि असम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऋण लिंकेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय–स्तर पर महिला स्वसहायता समूहों के बैंक लिंकेज में हुई वृद्धि से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर भारतीय राज्यों में महिला स्वसहायता समूह व्यावसायिक और सशक्त संस्थान के रूप में उभर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में तो ये पहले से ही मजबूत और पेशेवर हैं।

डीएवाई–एनआरएलएम के तहत, कृषि की सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख महिला किसानों को महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत सहयोग दिया गया है। महिला स्वसहायता समूहों के नेतृत्व वाले कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी), जो कृषि सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, ने कुछ राज्यों में पॉवर टिलर इत्यादि उपलब्ध कराए हैं। इन समूहों के प्रयासों से वर्मी कंपोस्ट/एनएडीईपी को तैयार किया गया है। साथ ही चारा, खाद्य पदार्थों, जंगल, फलों और फाइबर के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में कीटनाशक मुक्त कृषि और बहु–स्तरीय फसलों को बढ़ावा देने का काम भी किया है।

डीएवाई–एनआरएलएम कार्यक्रम देश के एक तिहाई ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है और कार्यक्रम को अन्य जिलों में संचालित किए जाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान, 4.5 लाख नए एसएचजी के माध्यम से 52 लाख परिवारों को डीएवाई–एनआरएलएम में जोड़ा गया है। 17 राज्यों के 45 ब्लॉकों में 84,000 लघु उद्यमों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप गांव उद्यमिता कार्यक्रम (एसवेईपी) प्रारंभ किया गया है। तमिलनाडु के 11,000 गांवों में (लगभग 90 प्रतिशत) कनवर्जेंस के माध्यम से इन महिला समूहों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में पहल की है। 6 अन्य राज्यों में डीएआई–एनआरएलएम की सफल शुरुआत की गई है। डीएआई–एनआरएलएम ने वैविध्यपूर्ण आजीविका के सफल बिजनेस मॉडल और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं जोकि वर्ष के दौरान सर्वोत्तम एसएचजी को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों और मान्यता पर आधारित हैं।

वैविध्यपूर्ण आजीविका को सहज बनाने के लिए डीएआई–एनआरएलएम के तहत दो योजनाओं ने काम किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) द्वारा बड़े पैमाने पर क्रमशः वैतनिक रोजगार आधारित प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2016–17 में डीडीयूजीकेवाईके तहत 1.60 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 79400 को प्लेसमेंट मिला, जबकि 4 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 585 'आरसेटी'– आरएसईटीआई (रूरल सेल्फ एम्लायमेंट ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट) में प्रशिक्षित किया गया। डीडीयूजीकेवाई के तहत उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए 12 नए चैंपियन नियोक्ताओं को चुना गया। इनमें कैफे कॉफी डे, अपोलो मेडिस्किल्स, टीम लीज आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में आरसेटी ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

डीएआई–एनआरएलएम का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (आईआरएमए) ने हाल ही में पूरा किया है। मसौदा रिपोर्ट में ग्रामीण–स्तर पर महिला समूहों के माध्यम से विकसित सामाजिक संपत्ति को मान्यता दी गई। मूल्यांकन से पता चलता है कि एनआरएलएम की रणनीति से गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को अपनी मांगें रखने का मौका मिला। इसका कारण न केवल साप्ताहिक बैठकें हैं बल्कि सामूहिक–स्तर पर उत्पादन और कई सामाजिक मुद्दे भी हैं। मिशन अंत्योदय का लक्ष्य यही है– गांवों को गरीबी से मुक्त करना। बड़े पैमाने पर आजीविका के विविधीकरण और विकास के माध्यम से जनजीवन का कायापलट करते हुए इस लक्ष्य का संधान किया जा सकता है।

विभिन्न स्तरों पर निर्धनता को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार करना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने के लिए वंचित परिवारों की स्थिति पर नजर रखनी होगी जोकि प्रस्तावित सोशल रजिस्ट्री के जरिए सामाजिक–आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) की बेसलाइन पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत दर्पण के तहत गरीबी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित 35 संकेतकों का उपयोग करते हुए विभाग गरीबी दूर करने के संबंध में ग्राम पंचायतों की प्रगति की निगरानी करेगा। विभाग पहचान स्थापित करने के लिए सहमति के साथ आधार का उपयोग कर रहा है।

अब और नहीं– इस दृष्टिकोण के साथ, मंत्रालय ने गरीबी के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करते हुए 50,000 गरीबी–मुक्त ग्राम पंचायतों, 5000 ग्रामीण समूहों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के साथ मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में विकास की स्थिति को समझने के लिए 36 संकेतक विकसित किए हैं। इन संकेतकों में बुनियादी सुविधाएं, कनेक्टिविटी, सामाजिक विकास, सेवाओं और बैंकों तक पहुंच, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूखे से मुक्ति, पोषण इत्यादि को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने गरीबी–मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक समग्र सूचकांक विकसित करने और बेसलाइन के आधार पर प्रगति की निगरानी करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों, 5,000 ग्रामीण समूहों में सभी परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना चाहता है जिसमें मूलभूत बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। जिला–स्तर पर दिशा समिति ग्राम पंचायतों की प्रगति की निगरानी करेगी और पता लगाएगी कि वे गरीबी–मुक्ति कार्यक्रम किस प्रकार चला रही हैं।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1983 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सर्वशिक्षा अभियान को डिजाइन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब तक इनकी 7 पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाओं में असंख्य लेख प्रकाशित हो चुके हैं।)

ईमेलः secyrd@nic.in

कृषि विकास और किसान कल्याण : चुनौतियों से उपलब्धियों तक का सफर

–डॉ. जगदीप सक्सेना

किसानों के आर्थिक उद्धार को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अभी तक कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना था। लेकिन नए नज़रिए में कृषि को किसानों के लिए लाभकारी बनाना भी शामिल किया गया, जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक उद्धार हो और कृषक समुदाय संपन्नता के साथ सामाजिक सुरक्षा भी हासिल कर सकें।

हमारे देश में कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था और उन्नति–प्रगति का आधार है, जबकि करोड़ों किसान इसके सूत्रधार–कर्णधार हैं। इसलिए कृषि के वैज्ञानिक विकास और किसानों की समृद्धि के बिना हम स्वस्थ, संपन्न और सुखी भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इस जाने–माने तथ्य के बावजूद मौजूदा सरकार ने जब मई, 2014 में कार्यभार संभाला तो कृषि क्षेत्र अनेक कठिन चुनौतियों से गुजर रहा था। सिमटते–बिगड़ते प्राकृतिक आपदाओं का कहर, किसानों की लगातार गिरती आमदनी और युवाओं का खेती से पलायन चिंता के मुख्य विषय थे। कृषि विकास की कमजोर दर संकेत दे रही थी कि यदि कृषि क्षेत्र को जल्दी ही नहीं उबारा गया तो देश की खाद्य सुरक्षा संकट में फंस सकती है और अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। इस गंभीर परिदृश्य में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देकर संकट से उबारने का नीतिगत निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' करने की घोषणा की। इस छोटे लेकिन अहम् बदलाव ने कृषि और किसानों को लेकर भारत सरकार की नई सोच और इरादों को स्पष्ट कर दिया। किसानों के आर्थिक उद्धार को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री ने सन् 2022 (देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष) तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह एक बड़ा, ऐतिहासिक और कठिन फैसला था, क्योंकि अभी तक कृषि विकास को किसानों की सकल आमदनी के साथ जोड़कर देखने की परंपरा नहीं थी। इस लक्ष्य ने कृषि विकास के नज़रिए और रणनीति को पूरी तरह बदल दिया।

नई मंजिल, नई राहें

अभी तक कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना था। लेकिन नए नज़रिये में कृषि को किसानों के लिए लाभकारी बनाना भी शामिल किया गया, जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक उद्धार हो और कृषक समुदाय संपन्नता के साथ सामाजिक सुरक्षा भी हासिल कर सकें। प्राकृतिक संसाधनों के कुशल, तर्कसंगत और सतत् उपयोग को भी कृषि विकास की नीतियों में प्राथमिकता दी गई। खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें कटाई–उपरांत प्रबंध, खाद्य प्रसंस्करण और बाजार में बिक्री जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया, जिससे किसानी के अलावा अन्य संबंधित रोजगार भी विकसित हो सकें। कृषि

मौसम की मार से कैसे बेअसर रहें किसान

सूखा और बाढ़ की लगातार बढ़ती आक्रामकता भारतीय कृषि और किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती रही है। इसका सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में 'निक्रा' (नेशनल इनीशियेटिव ऑन क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर) नामक एक राष्ट्रव्यापी परियोजना चलायी जा रही है, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ सभी संबंधितों और मुख्य रूप से किसानों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 500 जिलों में सूखा से निपटने में सक्षम आकस्मिक योजनाएं बनायी गईं और किसानों की भागीदारी से लागू की गईं। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2014–15 में वर्षा में लगभग 12 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद कृषि उत्पादन में मात्र 0.2 प्रतिशत की कमी आई। अगले वर्ष, यानी 2015–16 में एक बार फिर सूखे के दौरान वर्षा में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, लेकिन कृषि उत्पादन में गिरावट नहीं आई, बल्कि 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई। दरअसल अब वैज्ञानिकों ने अनाज तथा कुछ अन्य फसलों की सूखा सहने वाली किस्में विकसित कर ली हैं और इनके बीज किसानों को उपलब्ध भी कराए गए हैं। इसके अलावा अक्सर सूखे से त्रस्त होने वाले क्षेत्रों के किसानों को पानी की कम मांग करने वाली फसलें उगाने की सिफारिश की गई है। गांवों में एक बड़ा बदलाव वर्षा–जल के संग्रह को लेकर आया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और 'मनरेगा' के अंतर्गत गांवों में तालाब बनाने का काम एक मुहिम के तौर पर जारी है। साथ ही, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने से पानी के उपयोग की कुशलता में सुधार आया है। इसी तरह जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी तकनीकें विकसित कर किसानों तक पहुंचायी गई हैं। सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत मिट्टी, पानी, जैव विविधता और आनुवंशिक साधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रतिकूल मौसम होने पर भी कृषि उत्पादन के टिकाऊ बने रहने की संभावना मजबूत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने देश के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार पर्यावरण अनुकूल समेकित कृषि मॉडल तैयार किए हैं, जिनमें खेती और बागवानी के साथ मछली पालन, मुर्गीपालन या पशुपालन को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। इससे यदि प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल खराब हो जाती है, तो भी किसानों की आजीविका सुरक्षित रहती है। किसानों को बदलती जलवायु की आपदा से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वे 'क्लाइमेट–स्मार्ट' खेती के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय किसानों ने खेती को मौसम की मार से बचाने का मंत्र सीख लिया है।

विविधीकरण को किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम माना गया और इसके तहत बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे सहायक व्यवसायों को भी प्राथमिकता दी गई। साथ ही किसानों को अधिक कीमत वाली फसलें जैसे औषधीय एवं सुगंधीय पौधे, मसाले, व्यावसायिक पौधे आदि उगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस संदर्भ में जैविक खेती को बढ़ावा देने की नीति सबसे अहम् रही, जिसके स्पष्ट और प्रभावी नतीजे सामने आ रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए नए आयामों को शामिल करते हुए एक सात–सूत्री रणनीति विकसित की गई है।

- सिंचाई को विशेष महत्व देते हुए 'प्रति बूंद, अधिक उपज' के अभियान को पूरे देश में लागू करना।
- किसानों को उचित कीमत और सही समय पर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और खेत की मिट्टी की दशा के अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति।
- कटाई–उपरांत और भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रशीतन शृंखलाओं और भंडारगृहों के विकास में पर्याप्त निवेश की व्यवस्था।
- खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन।
- देश की सभी प्रमुख कृषि मंडियों को आपस में जोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल बाजार मंच की सुविधा विकसित करना।
- नई और बेहतर फसल बीमा योजना लागू करके किसानों की आजीविका को सुरक्षित बनाना।
- मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे सहायक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों का विकास।

उपर्युक्त रणनीति लागू करने के लिए वर्ष 2016–17 के आम बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जिससे सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं को हर खेत तक पहुंचाने के लिए 'नाबार्ड' के अधीन एक दीर्घकालीन सिंचाई निधि स्थापित की गई है, जिसमें सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये का शुरूआती निवेश किया गया है। इसी तरह भूमिगत जल के टिकाऊ प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे यह बहुमूल्य संसाधन लंबे समय तक बना रहे। 'मनरेगा' में एक नया आयाम जोड़ते हुए व्यवस्था की गई कि वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में खेतों पर कम से कम पांच लाख तालाब बनाए जाए और जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढे खोदे जाएं। इन सभी उपायों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आमदनी सुधारने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया है। मिलने वाले नतीजे से प्रोत्साहित होकर वर्ष 2017–18 के बजट में कृषि क्षेत्र को धनराशि का आबंटन 24 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। फसल बीमा के लिए 9,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई और 'नाबार्ड' के तहत 5,000 करोड़ रुपये के शुरूआती निवेश से एक सूक्ष्म सिंचाई निधि का गठन किया गया। इसके अलावा 'नाबार्ड' को डेयरी विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये दिए गए, जिससे पशुपालन को पर्याप्त बढ़ावा मिला। इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2016–17 के दौरान कृषि क्षेत्र में अब तक की सर्वाधिक 4.2 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई और अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस वर्ष लगभग 27.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। इस सकल उत्पादन वृद्धि में नई कृषि तकनीकों और फसलों की सुधरी किस्मों ने विशेष योगदान दिया, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष

क्या दूसरी हरित क्रांति मोबाइल फोन से आएगी!

बात चाहे नई वैज्ञानिक खोजों की हो या नई सरकारी योजनाओं की, इनकी सार्थकता तभी है जब किसानों तक इनकी जानकारी तत्परता से पहुंचे। कृषि विकास की इस मांग को जानते–समझते हुए सरकार ने कई डिजिटल मंचों और मोबाइल ऐप का विकास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और मोबाइल फोन की लोकप्रियता के कारण ये प्रयास कामयाब साबित हो रहे हैं। 'एम–किसान' नाम से एक व्यापक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे मोबाइल ऐप के रूप में भी डाउनलोड किया जा सकता है। किसानों के लिए उपयोगी जानकारियों के अलावा यह ऐप विशेषज्ञों द्वारा चलायी जा रही एसएमएस सेवा का लाभ भी किसानों तक पहुंचाता है। समय–समय पर विशेषज्ञों की सलाह के साथ किसान भाई अपनी विशिष्ट समस्या के लिए एसएमएस भेजकर समाधान हासिल कर सकते हैं। इस ऐप में किसान कॉल सेंटर के जरिये सीधे विशेषज्ञों से जुड़ने की सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा यह ऐप अनेक कृषि सेवाओं के द्वार भी खोलता है। 'एम–किसान' पोर्टल पर अनेक किसानोपयोगी मोबाइल ऐप मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

'फसल बीमा' नामक मोबाइल एप किसानों को फसल और उनके क्षेत्र के अनुसार प्रीमियम की राशि जानने की सुविधा प्रदान करता है। बीमा करवाने के बाद किसान अपनी पॉलिसी के बारे में इस ऐप से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

'एग्री मार्केट' मोबाइल ऐप फसलों की बिक्री के लिए घर बैठे मंडी भाव की जानकारी देता है। जीपीएस द्वारा मोबाइल फोन की लोकेशन जानकर लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मंडियों के भाव बताए जाते हैं। वैसे अगर किसान चाहें तो अपनी फसल के अनुसार दूरदराज की मंडियों के भाव भी जान सकते हैं। इस एप ने किसानों को फसल के बेहतर भाव दिलाने में मदद की है।

'किसान सुविधा' नामक मोबाइल ऐप किसानों के लिए रोजमर्रा की जानकारियों का खजाना लेकर आया है। इससे किसान उस दिन का और आने वाले पांच दिनों के मौसम का हाल जान सकता है। इसके अलावा रोगों व कीटों के प्रबंध से लेकर फसलों की देखरेख और कटाई से संबंधित विशेषज्ञ सलाह भी मिल जाती है। यह ऐप कीटनाशक दवाओं और खाद–उर्वरकों के स्थानीय डीलर तथा बाजार कीमत की जानकारी भी देता है। इसी तरह स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय–स्तर तक की मंडियों में फसलों के बाजार भाव जाने जा सकते हैं। यदि मौसम बिगड़ने वाला हो तो यह ऐप चेतावनी जारी कर किसानों को सचेत करता है और निपटने की सलाह भी देता है।

'पूसा कृषि' नामक मोबाइल ऐप मुख्य रूप से फसलों की नई किस्मों और कृषि तकनीकों की जानकारी को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। फार्म मशीनरी और उसके इस्मेमाल की जानकारी इस ऐप की विशेषता है।

अचानक ओला वृष्टि से अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा मिलने की प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाती है। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए 'भुवन हेलस्टॉर्म' नामक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे कृषि अधिकारी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के जरिए बर्बाद खेत की फोटो और संबंधित जानकारी को तुरंत भुवन पोर्टल पर भेजा जा सकता है, जो तत्परता के साथ नुकसान का आकलन कर देता है। इस तरह मुआवजा जल्दी और पारदर्शी प्रक्रिया से मिलता है।

इनके अलावा बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन और मछली पालन जैसे विषयों में विशेष सहायता के लिए मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर और अपनी भाषा में किसानों के लिए मोबाइल एप तैयार किए हैं। राष्ट्रीय–स्तर के मोबाइल एप को भी बड़ी तेजी से अन्य भारतीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है। इन पर कोई रॉयल्टी नहीं रखी गई है, इसलिए राज्य स्वयं भी इन्हें अपनी भाषा में व्यवहार योग्य बना सकते हैं। किसानों को मोबाइल ऐप्स के बारे में लगातार जानकारी और प्रशिक्षण देकर इनकी लोकप्रियता बढ़ानी जरूरी है। तभी ये अगली हरितक्रांति को अंजाम देने में किसानों के सच्चे हमसफर बन सकेंगे।

2016–17 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में फसलों की कुल 310 सुधरी किस्में/संकर विकसित किए गए, जिसमें धान की 68 और गेहूं की 18 किस्में शामिल हैं। इसी तरह तिलहनी फसलों की 50 और दालों की 43 सुधरी किस्में विकसित करके जारी की गईं हैं। बागवानी फसलों की 51 सुधरी किस्में तथा संकर विकसित करके बागवान भाइयों तक पहुंचाए गए, जिससे बाग–बगीचों में भी उत्पादन बढ़ा है और देश बड़ी तेजी से पोषण सुरक्षा की ओर कदम बढ़ा रहा है।

आजीविका सुरक्षा के नये आयाम

मौसम के बदलते तेवर और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते कहर के कारण एक लंबे अर्से से भारतीय किसान फसल के नुकसान को झेल रहे थे, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाती थी। फसल बीमा के लिए पूर्व सरकारों द्वारा समय–समय पर बीमा योजनाएं लागू की गईं, परंतु कुछ व्यावहारिक तथा आर्थिक दिक्कतों के कारण ये योजनाएं लागू नहीं हो पाईं। व्यापक अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद भारत सरकार ने पिछले वर्ष नई

किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रधानमंत्री के विचार

- किसान जितने अधिक सशक्त होंगे और आर्थिक रूप से अपने पांवों पर खड़े होंगे, देश उतना ही मजबूत होगा और विकास की गति भी अधिक तेज होगी।
- इनपुट लागत में कमी कृषि आय बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इनपुट लागत घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
- उन्होंने कृषि गतिविधियों में विविधता के माध्यम से कृषि आय में वृद्धि का भी आह्वान किया। फसल उगाने के साथ ही किसान अपने खेतों के किनारे इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगा सकते हैं और पशुपालन भी आरंभ कर सकते हैं।
- रबी की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। उर्वरकों की खरीद में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस अवधि में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बीजों, उर्वरक तथा ऋण की कमी से किसान परेशान नहीं हों।
- जिन किसानों ने रबी की फसल के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों तथा प्राथमिक सोसाइटियों से ऋण लिया है, उन्हें ऐसे ऋणों पर 60 दिन तक ब्याज नहीं देना होगा। जिन किसानों ने पिछले दो महीनों में ब्याज चुका दिया है, उन्हें यह राशि सीधे अपने बैंक खातों में मिल जाएगी।
- किसानों को सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों से ऋण की बेहतर सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। नाबार्ड ने 21,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है। सरकार इसमें 20,000 करोड़ रुपये और दे रही है। सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने से नाबार्ड को जो घाटा होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी।
- जिन 3 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उन्हें सरकार तीन महीने के भीतर रुपे डेबिट कार्ड देगी। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आरंभ किए गए थे, लेकिन अभी तक उनका प्रयोग करने के लिए बैंक जाना आवश्यक है। अब किसानों के पास रुपे डेबिट कार्ड होंगे, जिनका प्रयोग वे कहीं भी कर सकेंगे।
- बैंकिंग प्रणाली को 2017 में वापस सामान्य बनाने के लिए सरकार ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में समस्याओं के हल पर ध्यान देगी।
- भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) से व्यापारी समुदायों तथा किसानों को यथासंभव जुड़ना चाहिए।
- कृषि, ग्रामीण विकास तथा बुनियादी ढांचे को भी बजट 2017–18 के केंद्र में रखा गया है, जिससे पता चलता है कि निवेश बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और इसीलिए इन श्रेणियों में योजनाओं हेतु आवंटन में खूब वृद्धि की गई है।
- भारतीय कृषि में अगली क्रांति प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के बल पर ही लानी होगी और इसे प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना भारत के पूर्वी भाग में है। सरकार इसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।
- किसानों के लिए ई–मंडी योजना शुरु की गई है ताकि किसान देशभर में किसी भी बाजार में अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। आज वह अपने खेत से 10 किमी. की दूरी पर सस्ती कीमत पर कड़ी मेहनत से पैदा किए अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर नहीं है।
- हमारे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण और 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है। इससे कृषि–आधारित उद्योगों को फायदा होगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के मेरे सपने को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, जिसमें रबी फसलों के लिए प्रीमियम की दर मात्र 1.5 प्रतिशत तय की गई और खरीफ फसलों का बीमा 2 प्रतिशत प्रीमियम की दर पर करना तय किया गया। इसमें किसानों को 70, 80 और 90 प्रतिशत तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा आकस्मिक रूप से खेत में जलभराव होने पर भी किसान बीमा का हकदार बन जाता है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिलों को समूहों के रूप में संगठित करके बीमा कंपनियों को तीन वर्ष के लिए प्रत्येक समूह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही फसलों के नुकसान और उत्पादन में संभावित कमी का आकलन करने के लिए दूरसंवेदन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुआवजे के भुगतान में देरी ना हो। भारत सरकार द्वारा इस योजना को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिस कारण प्रीमियम दर को कम करना संभव हुआ है। फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण किसान भाई इसे बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, परंतु अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

खेत की उत्पादकता को सार्थक रूप से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, जिससे फसलों की प्यास सही समय पर बुझाई जा सके। इसके लिए वर्ष 2014–15 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत खेतों में तालाब बनाने की सुविधा से लेकर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों तक को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे बखूबी पूरा किया गया। इसके अलावा 'नाबार्ड' और 'मनरेगा' के सहयोग से भी 'हर खेत को पानी' का सपना साकार किया जा रहा है। जल कुशलता को बढ़ाने के लिए 'प्रति बूंद से अधिक उपज' का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

पानी की तरह मिट्टी भी किसान के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसका संरक्षण तथा तर्कसंगत उपयोग आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मुख्य रूप से खेत की मिट्टी की दशा और दिए जाने वाले पोषण पर निर्भर करती है। यह एक बिडम्बना थी कि किसानों को खुद अपने खेत की मिट्टी की वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं था और वह अक्सर मिट्टी की जांच के बिना खाद और उर्वरक का मनचाही मात्रा में इस्तेमाल करते थे। इससे एक तरफ मिट्टी की सेहत बिगड़ती थी तो दूसरी ओर खेती की लागत में भी वृद्धि होती थी। इस समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014–15 में सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने की राष्ट्रव्यापी योजना लागू की, जिसके अंतर्गत देश के 14 करोड़ किसानों को यह कार्ड उनके खेत की मिट्टी की जांच करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्ड में मिट्टी की दशा के अलावा पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा की सिफारिश भी की जाती है। इस महत्वाकांक्षी अभियान को पूरा करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं गठित की जा रही हैं और मोबाइल प्रयोगशालाओं के लिए भी अतिरिक्त धनराशि दी गई है। हर तीन साल में सॉयल हैल्थ कार्ड के नवीनीकरण की व्यवस्था की गई है। इस तरह 'स्वस्थ धरा, तो खेत हरा' के अभियान को साकार किया जा रहा है।

नये कदम, नयी चुनौती

बेहतर उत्पादकता के लिए आवश्यक है कि बेहतर गुणवत्ता के बीज वाजिब कीमत और सही समय पर किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए बारहवीं योजना के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुधारने तथा उपलब्धता बढ़ाने का एक उपमिशन शुरू किया गया था, जिसे नई सरकार के आने के बाद और अधिक मजबूती से लागू किया गया। वैज्ञानिक संस्थानों को बेहतर क्वालिटी के प्रजनक बीज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और किसानों को भी इस अभियान में शामिल किया गया। शुद्ध बीज उत्पादन की तकनीकी को विकसित करके किसानों तक पहुंचाया गया, जिससे इस अभियान को बल मिला और किसानों की आमदनी भी बढ़ी। इस दौरान विशेष रूप से दालों का बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत चुने गए गांवों में 'सीड–हब' स्थापित किए जा रहे हैं। लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक किसान नई किस्मों से बेहतर बीजों का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन में योगदान करें और अपनी आमदनी भी बढ़ाएं।

इस संदर्भ में खेती के तौर–तरीकों को प्रकृति की ओर ले जाकर जैविक खेती के रूप में तब्दील करने का अभियान भी जारी है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है, जिसका लक्ष्य तीन साल में कम से कम पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रमाणित जैविक खेती करना है। इसके लिए पूरे देश में जैविक खेती के 10,000 समूह विकसित किए जा रहे हैं और समूह के प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। गौरतलब है कि जैविक खेती पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ाती है। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल रूप में राष्ट्रीय कृषि बाजार तैयार किया गया है, जिसे देश की प्रमुख कृषि मंडियों से जोड़ने का सिलसिला तेजी से जारी है। इसके अलावा वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी लगातार सार्थक बढ़ोतरी की जा रही है और दालों के लिए विशेष बोनस की व्यवस्था भी की गई है।

वर्तमान सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है कि हर साल बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि की जाए और खाद का इस्तेमाल 4.4 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। सिंचित क्षेत्र में 17.8 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ हर साल 18.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को साल में दो फसलें लेने के योग्य बनाना होगा। साथ ही फलों और सब्जियों के बुआई क्षेत्र में भी हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। किसानों की आमदनी में भी प्रतिवर्ष लगभग 11 प्रतिशत की

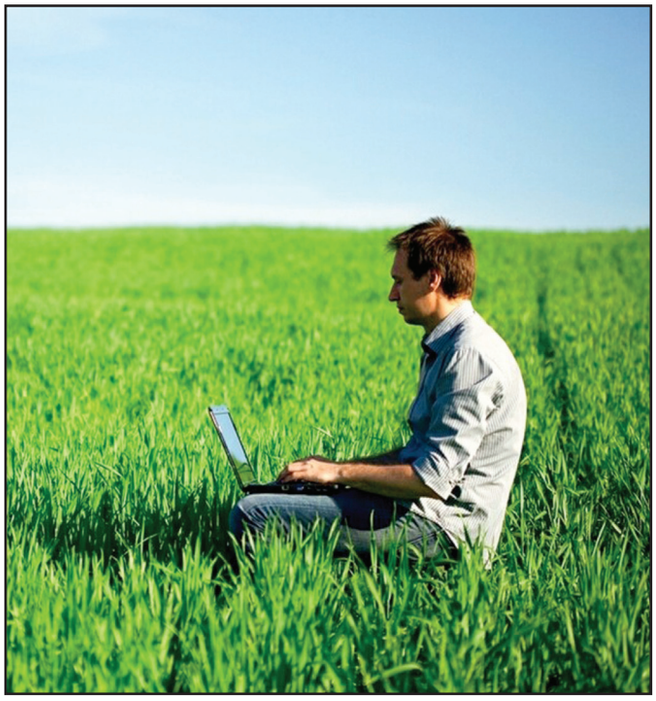

चक्रवर्ती वृद्धि करनी होगी। ये चुनौतियां आसान नहीं हैं, परंतु हमारे नीति–निर्माता, वैज्ञानिक और किसान मिलकर सामाजिक–आर्थिक उद्धार का यह लक्ष्य अवश्य पूरा करेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में समृद्धि की लहर

एक लंबे समय तक देश के पूर्वोत्तर राज्य कठिन भौगोलिक दशाओं और दुर्गम पहुंच के कारण कृषि विकास की मुख्यधारा से कटे रहे। यहां के किसान अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते रहे। जबकि इन राज्यों की अनोखी और विविध कृषि संपदा में किसानों की आमदनी बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को 'अष्टलक्ष्मी' की संज्ञा देकर इनके महत्व को रेखांकित किया और यहां के कृषि विकास पर विशेष जोर दिया। सिक्किम को देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया, जिससे यह देश में आर्गेनिक खेती की मिसाल और मॉडल बन गया। यहां 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रमाणित आर्गेनिक फार्मों पर जैविक खेती की जा रही है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस क्षेत्र के किसानों को आर्गेनिक फार्मिंग के बारे में शोध आधारित तकनीकी सलाह व मार्ग–निर्देशन के लिए गंगटोक में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। साथ ही, उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए विशेष आर्गेनिक मिशन की शुरूआत की गई है, जिसके द्वारा गांवों को समूहों के रूप में संगाठित करके वित्तीय और तकनीकी सहायता पहुंचायी जा रही है। इससे इस क्षेत्र में आर्गेनिक खेती की लहर चल पड़ी है। अब यहां के किसान फलों, सब्जियों तथा मसालों की जैविक खेती से आगे निकलकर अनाज वाली फसलों की आर्गेनिक फार्मिंग भी करने लगे हैं। यहां की आर्गेनिक चाय विश्व बाजार में लोकप्रियता हासिल कर रही है। इन विशिष्ट जैविक उत्पादों की बिक्री केवल घरेलू बाजारों तक सीमित नहीं है, विदेशी बाजारों में भी इनकी अच्छी मांग है। पूर्वोत्तर के जैविक उत्पादों को भारत में विशिष्ट 'आर्गेनिक ब्रांड' के रूप में प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष बागवानी मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें फूलों की संरक्षित खेती और निर्यात को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

एक नई पहल करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'वैल्यू चेन' आधारित कृषि योजना आरंभ की गई है, जिसमें फलों, सब्जियों के साथ मसाले, विशेष अनाज और चाय–कॉफी भी शामिल हैं। इसे कामयाब बनाने के लिए क्षेत्र में परिवहन और भंडारण की व्यवस्था मजबूत करने के साथ प्रसंस्करण तथा पैकिंग सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की परंपरागत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली झूम खेती को समाप्त करने के लिए किसानों तक उपयुक्त विकल्प पहुंचाए जा रहे हैं। पहली बार झूम खेती के क्षेत्र में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो एक शुभ संकेत है।

भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही कृषि और संबंधित योजनाओं में पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष स्थान दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से त्रस्त यहां के किसानों के लिए नयी फसल बीमा योजना एक बड़ी राहत लेकर आयी है। खासतौर से फसल कटाई के बाद भंडारित अनाज को मौसमी आपदा से पहुंचे नुकसान की भरपाई की व्यवस्था यहां से किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत तालाबों और परंपरागत जलकुंडों के उद्धार ने सूखे से राहत दिलायी है, जबकि सिंचाई की सूक्ष्म प्रणालियों से बागवानी फसलों को जीवनदान मिला है। सॉयल हेल्थकार्ड की अनूठी पहल का यहां के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इससे जैविक खेती के अभियान को भी सहायता मिल रही है। इन राज्यों की कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई–पोर्टल से जोड़ने की कवायद जोर–शोर से जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों की तकनीक संबंधी विशेष जानकारियों और सलाह के लिए 'किरन' नाम से एक 'ई–प्लेटफॉर्म' संचालित किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों को एसएमएस भेजने और उनसे एसएमएस द्वारा सलाह प्राप्त करने की सुविधा मौजूद है। साथ ही, यह पूर्वोत्तर राज्यों में खेती संबंधी जानकारियों का अनूठा संग्रह भी उपलब्ध कराता है। सरकार चाहती है कि पूर्वोत्तर राज्यों के युवा कृषि में पारंगत होकर अपनी और अपने परिवार की आजीविका सुरक्षित करें। इसलिए कौशल विकास द्वारा कृषि विकास के अभियान को यहां पूरी मजबूती से साथ लागू किया जा रहा है। इसमें कृषि संबंधी विभिन्न उद्योग–धंधे और हस्तशिल्प निर्माण भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के हर जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के सीधे संपर्क में काम करके उन्हें समृद्धि की राह दिखा रहे हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पूर्व प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)

ईमेल : jgdsaxena@gmail.com

निखरेगा गांव तो बढ़ेगा देश

–सुरेंद्र प्रसाद सिंह

गांवों की खुशहाली के रास्ते ही सरकार ने देश की तरक्की का सपना देखा है। इसी को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र की राजग सरकार का पूरा जोर ग्रामीण विकास पर है। सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हैं। ग्रामीण विकास के लिए गांवों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हैं। ग्रामीण विकास के लिए गांवों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर है। इसी के मद्देनजर आम बजट में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर फोकस है। ग्रामीण विकास की चुनौतियों में ग्रामीण बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, आवास और गरीबों को रियायती अनाज मुहैया कराना प्रमुख हैं। इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ढेर सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके क्रियान्वयन का दायित्व और सफलता राज्यों पर निर्भर है।

गरीबों के सिर पर उनकी अपनी छत, यानी पक्का मकान, रोजी–रोटी की न्यूनतम जरुरतों को पूरा करने के साधन और सस्ता अनाज मुहैया कराने वाली योजनाओं का असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने वाली योजना ने ग्रामीण विकास को रफ्तार दी है। आवागमन के साथ लोगों से हर समय जुड़े रहने के लिए मोबाइल फोन की सुविधा ने शहर और गांव के भेद को मिटा दिया है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की अभी बहुत जरुरत महसूस की जा रही है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती व बागवानी जैसे उपक्रम में सुधार की योजनाएं जरूर शुरू की गई हैं। लेकिन लागत के मुकाबले उपज का उचित मूल्य न मिलने की वजह से घाटे की खेती को उबारना अभी बाकी है। यद्यपि केंद्र सरकार ने इसे प्रभावी व लाभप्रद बनाने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका असर किसानों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत मायने रखती है।

गांव के लोगों को पूर्ण स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने का व्यापक अभियान शुरू किया गया है। गांवों को पूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्त बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कचरा प्रबंधन के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। हालांकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की हालत अभी बहुत खराब है। केवल 53 फीसदी गांवों में ही पाइप से जलापूर्ति हो रही है। बाकी क्षेत्रों में लोग हैंडपंप और खुली बावड़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। लगभग 70 हजार गांवों के लोग जहरीला भू–जल पीने को मजबूर हैं। यहां आर्सेनिक व फ्लोराइड–युक्त पानी पी रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खराब हालत पश्चिम बंगाल और राजस्थान के गांवों की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति उपमिशन शुरू किया है। खुले में शौचमुक्त गांव और शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो जाने से गांवों में कुपोषणता, संक्रामक बीमारियां और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। इससे गांव दुरुस्त व तंदुरुस्त हो सकेंगे।

रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा

ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने में मनरेगा की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। भारत में गरीबी हटाने की सबसे बड़ी योजना के रूप में इसे देखा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मार्फत ग्रामीण बेरोजगारों को उनके ही गांव में कम से कम एक सौ दिनों के रोजगार मिलने की गारंटी है। वर्ष 2005 में ग्रामीण बेरोजगारों की सामाजिक सुरक्षा, काम का कानूनी अधिकार वाला एक श्रम कानून बनकर तैयार हुआ, जिसका लाभ हर जरूरतमंद उठा सकता है। मनरेगा के तहत हर साल 30 लाख से अधिक निर्माण कार्य होता है, इसके चलते पिछले 10 सालों में 2.82 करोड़ स्थायी संपत्तियां बनाई जा सकी हैं। इनमें से एक करोड़ की जियो टैगिंग भी हो चुकी है। मनरेगा में कराए जाने वाले कच्चे काम को लेकर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं।

चालू वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में मनरेगा के मद में 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि पिछले आम बजट में 36,997 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे बाद में संशोधित अनुमान में बढ़ाया गया था। उल्लेखनीय है कि मनरेगा

ग्रामीण भारत : बदलाव की ओर

एक करोड़ मनरेगा परिसंपत्तियां भू–चिह्नित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने एक करोड़ परिसंपत्तियों को भू–चिह्नित करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक करीब 2.82 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां सृजित की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत हर वर्ष औसतन करीब 30 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें अनेक कार्य शामिल होते हैं, जैसे जल–संरक्षण ढांचों का निर्माण, वृक्षारोपण, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का सृजन, बाढ़ नियंत्रण के उपाय, स्थायी आजीविका के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण, सामुदायिक ढांचा और ऐसी ही अन्य, परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। मनरेगा परिसंपत्तियों को भू–चिह्नित यानी जियोटैग करने की प्रक्रिया जारी है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियां जियोटैग की जाएंगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, विशेष रूप से जल संबंधी कार्यों को भू–चिह्नित यानी जियोटैग करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिओ–मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक बेजोड़ प्रयास है, जिसे राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र (एनआरएससी), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 जून, 2016 को एनआरएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों को जिओ–टैग किया जाना है। इस समझौते के फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज संस्थान की सहायता से देशभर में 2.76 लाख कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उम्मीद की जा रही है कि भू–चिह्नित करने की प्रकिया से फील्ड पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मकान से घर तक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमए–जी) का शुभारंभ किया था। नई ग्रामीण आवास योजना को परिवारों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना स्थानीय सामग्री और स्थानीय घरों के डिजाइनों का उपयोग करके घरों का निर्माण करने की अनुमति देती है। इन घरों में खाना पकाने के क्षेत्र, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल की आपूर्ति समन्वय के माध्यम से होगी। इसके अलावा लाभार्थी अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घरों की योजना बना सकते हैं। लाभार्थियों का चयन बेघर या कच्ची छत्त वाले एक या दो कच्चे कमरों में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) के डाटा का उपयोग करके एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियों का समावेश न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मान्यता के आधार पर ग्रामसभा द्वारा एसईसीसी डाटा को विधिमान्य किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए कुल मिलाकर 44 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिसंबर 2017 तक इन घरों का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएमए–जी में 6 से 12 महीनों की कार्य समापन अवधि का पालन किया जा रहा है। पीएमएवाई के तहत वर्ष 2022 तक लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया गया है। त्रि–स्तरीय चयन में यह सुनिश्चित किया है कि केवल वास्तविक रूप से गरीब, बेघर और टूटे–फूटे घरों में रहने वाले लोगों का ही चयन किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2017–18 में 51 लाख मकानों को पूरा करने की योजना बना रहा है। वर्ष 2017–18 में 33 लाख अतिरिक्त मकान मंजूर किए जाएंगे। वर्ष 2018–19 इतनी ही संख्या मकान पूरा करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्ष 2016–2019 की अवधि के दौरान 1.35 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इससे वर्ष 2022 तक 'सभी को घर' उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिकार्ड सड़क निर्माण

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड 47,350 किमी. सड़क का निर्माण किया गया। पिछले सात वर्षों में किसी एक वर्ष में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण में यह सबसे अधिक है। पीएमजीएसवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 25,316 किमी. 2014–15 में 36,337 किमी. तथा 2015–16 में 36,449 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। 2011 से 2014 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत औसत 73 किमी. सड़क प्रतिदिन बन रही थी जो 2014–15 और 2015–16 में बढ़कर 100 किमी. प्रतिदिन हो गई। 2016–17 में यह दर बढ़कर 130 किमी. प्रतिदिन हो गई जो अब तक पिछले सात वर्षों में औसत वार्षिक निर्माण दर में सबसे ज्यादा है। 2016–17 में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित 47,350 किमी. सड़क से 11,614 बस्तियों (प्रतिदिन औसतन 32 बस्तियों से संपर्क प्रदान किया गया) का सड़क मार्ग से संपर्क स्थापित हो गया है। पीएमजीएसवाई के तहत पिछले सात वर्षों में सबसे ज्यादा बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में "कार्बन निशान" को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, काम में वृद्धि और लागत प्रभावशीलता लाने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी और गैर–परंपरागत सामग्री जैसे बेकार प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो–टेक्सटाइल्स, फ्लाई ऐश, लौह और ताम्र स्लैग आदि के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध थी। हरित प्रौद्योगिकी के तहत 2016–17 में 4113.13 किमी. पीएमजीएसवाई सड़क का निर्माण किया गया। जबकि 2014–16 में 2634.02 किमी. और 2000–2014 तक में 806.93 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किया गया।

से तकरीबन पांच करोड़ ग्रामीण बेरोजगारों को सालाना रोजगार मिलता है। गांव के लोगों का पलायन रूका है। छोटी जोत के किसानों को इसके चलते अतिरिक्त आय के लिए अब शहरों की ओर नहीं भागना पड़ता है। मनरेगा के जरिए हुए काम से कृषि व जल संरक्षण के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ी है। सरकार का पूरा ध्यान ग्रामीण विकास, लोगों की रोजी–रोटी और गांव की अर्थव्यवस्था पर है। योजना के तहत लोगों को साल में एक सौ दिन का गारंटीशुदा रोजगार उनके ही गांव में देने का प्रावधान है। लेकिन औसतन 34 दिन से अधिक काम नहीं मिल पाता है। आपदाकाल के दौरान मनरेगा काफी मददगार साबित होती रही है। भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की घटनाओं पर अंकुश के लिए सरकार ने कई तरह की निगरानी प्रणाली शुरू की हैं। उपग्रह से हो रही कार्यों की सीधी निगरानी, कार्यों की जियो टैगिंग और सोशल आडिट जैसी व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 95 फीसदी मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों के बैंक खातों में किया जा रहा है। मात्र पांच फीसदी कठिन क्षेत्रों में भुगतान नगदी होता है। आधार नंबर से खातों को जोड़ देने से अब तक 92 लाख फर्जी जॉब कार्ड पकड़े गए हैं। कुल 15 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से पांच करोड़ मजदूर ही नियमित रूप से काम मांगते हैं।

पीएमजीएसवाईः ग्रामीण विकास को रफ्तार देने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भूमिका अहम रही है। इसके बगैर ग्रामीण विकास की कल्पना संभव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय में शुरू हुई वर्ष 2000 में यह योजना इस कदर लोकप्रिय हुई कि पीएमजीएसवाई की सड़कों का जाल पूरे देश में बिछ गया। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में भी पीएमजीएसवाई शामिल है। बेहद कठिन परिस्थितियों वाले नक्सल–प्रभावित क्षेत्रों तक में कंक्रीट सड़कें बनाई जा रही हैं पीएमजीएसवाई का दूसरा चरण बेहद प्रभावी साबित हुआ है। गांवों को वृहद नेटवर्क से जोड़ने वाली पीएमजीएसवाई के मद में पिछले 15 सालों में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। इस लागत से कोई 4.66 लाख किमी लंबी सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया गया। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाली इस योजना में सबसे आगे रहकर बाजी मारने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश ने लगभग 64 हजार किमी. सड़कें बनाई हैं। जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है।

पीएमजीएसवाई की सफलता की कहानी के बीच कई मर्तबा भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संसद में इस योजना की गंभीर समीक्षा और तुलनात्मक अध्ययन करने की अपील करनी पड़ी है। इन ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही इन सड़कों के रखरखाव के लिए पांच साल का जिम्मा सड़क बनाने वाली एजेंसी को ही दिया जाता है। सड़कों की क्वालिटी की निगरानी के लिए तीन–स्तरीय प्रणाली तैयार की गई है, जो जिला, राज्य और केंद्रीय–स्तर पर गठित की गई है। इन सड़कों की क्वालिटी की निगरानी में स्थानीय सांसद को खासा महत्व दिया गया है।

पहले पांच सौ की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना अब ढाई सौ की आबादी तक को जोड़ चुकी है। रेगिस्तानी और पर्वतीय राज्यों के साथ नक्सल–प्रभावित जिलों को इसमें शुमार करते हुए हर छोटी बसावट को भी जोड़ा जा रहा है। पूरे बारह साल के बाद पीएमजीएसवाई का पहला चरण पूरा हो गया है। लेकिन इन सड़कों के साथ अन्य ग्रामीण सड़कों के खस्ताहाल को देखते हुए इसके दूसरे चरण की शुरुआत मई 2013 में की गई। लेकिन इसमें उन्हीं राज्यों को हिस्सा लेने का मौका दिया गया, जिन्होंने पहले चरण को पूरा कर लिया था। पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण में कुल 50 हजार किमी लंबाई की सड़कों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना के दूसरे चरण में केंद्र व राज्यों के बीच 75 और 25 फीसदी का अनुपात रखा गया।

रुर्बन मिशन

स्मार्ट शहर बनाने की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने के लिए सरकार का रुर्बन मिशन चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को सरकार ने काफी, जोर–शोर से शुरू किया है। इसमें गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर होगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के साथ वहां के लोगों के रोजगार के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। आगामी तीन सालों के भीतर देश के 300 समूह (क्लस्टर) बनाए जाएंगे, जिनके ऊपर 5200 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। यह मिशन पूर्व में चल रही गांवों को शहरों जैसी सुविधा (पुरा) वाली योजना का स्थान लेगा।

रुर्बन (रूरल–अर्बन) मिशन के तहत 2019–20 तक देश के 300 क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इसके पहले चरण में एक सौ क्लस्टरों को बनाए जाने की योजना है। प्रत्येक क्लस्टर में 25 से 50 गांवों को रखा जाएगा। यह मिशन मैदानी क्षेत्रों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में समान रूप में लागू होगा, लेकिन दोनों के लिए मानक अलग बनाए गए हैं। इसमें निजी क्षेत्रों की भी मदद ली जाएगी, जो वहां की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में आगे आएंगे।

कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य के लिए मोबाइल वाहन, गांवों को सड़कों से जोड़ने जैसी योजनाओं की भूमिका अहम होगी। सरकारी योजनाओं को जरूरत के हिसाब से बदलकर विकास की गति को तेज किया जा सकता है। बाकी किसी और तरह की योजना के लिए धन की कमी को मिशन के फंड से पूरा किया जाएगा। ब्लॉक व तहसील के ही गांवों को एक समूह में रखा जाएगा। योजनाओं के संचालन का दायित्व पूरी तरह राज्य सरकारों पर होगा। लेकिन रुर्बन मिशन राज्य सरकारों के उदासीन रवैये से त्रिशंकु की स्थिति में है। देश के तमाम ऐसे गांव हैं, जो न कस्बे की श्रेणी में आते हैं और न ही ग्रामसभा की सीमा में समाते हैं, वे अपने विकास के लिए त्रिशंकु बने हुए हैं। उनके विकास के लिए यह मिशन सहायक साबित हो सकता है लेकिन राज्य सरकारों की मंशा के बगैर इसकी सफलता संदिग्ध है।

(लेखक ग्रामीण विकास, कृषि व खाद्य व उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में दैनिक जागरण में डिप्टी चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो हैं।)

ई–मेल : surendra64@gmail.com

गांवों में तेजी से ढांचागत सुविधाओं का विकास

–हरिकिशन शर्मा

सरकार ने 'सभी के लिए बिजली' का नारा देते हुए 2019 तक सबको 24 घंटे बिजली मुहैया कराने और 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा देश के दूरदराज के छोटे–छोटे गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी सरकार ने शुरू किया है। गांवों में बिजली, सड़क और आवास की सुविधा देने की दिशा में सरकार ने बीते तीन साल में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। हालांकि देश के कोने–कोने तक ढांचागत सुविधाएं पहुंचाने में अब भी कई चुनौतियां बरकरार हैं।

''जिनके सामने रोजी और रोटी का सवाल है, जिन के पास न रहने के लिए मकान है, न तन ढकने को कपड़ा, अपने मैले बच्चों के बीच आज वे दम तोड़ रहे हैं। गांव और शहरों के इन करोड़ों निराश भाई–बहिनों को सुखी व संपन्न बनाना हमारा व्रत है।''

अंत्योदय दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह कथन मौजूदा सरकार की गांव, गरीब और किसानों के संबंध में प्राथमिकताओं को चरितार्थ करता है। ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं में मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विद्युतीकरण आता है। यही वजह है कि सरकार ने 'पॉवर फॉर ऑल' का नारा देते हुए 2019 तक सबको 24 घंटे बिजली मुहैया कराने और 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन के तहत 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की अहम भूमिका है। यही वजह है कि मौजूदा सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता देते हुए इसके आवंटन में काफी वृद्धि की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुई। हालांकि संविधान के तहत ग्रामीण सड़कें राज्य सूची में शामिल हैं। सरकार ने पीएमजीएसवाई की शुरूआत गरीबी कम करने की रणनीति के तहत शुरू की थी लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य कोर नेटवर्क के रूप में 500 की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले उन सभी गांवों को ऑल वैदर रोड़ यानी पककी सड़क से जोड़ना था जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची थी। हालांकि विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड), रेगिस्तानी क्षेत्रों, आदिवासी–बहुल इलाकों और गृह मंत्रालय तथा तत्कालीन योजना आयोग द्वारा चिह्नित इलाकों में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों और बस्तियों तक पक्की सड़क पहुंचाने का प्रावधान था। वैसे वामपंथी अतिवाद से प्रभावित खंडों में 100 की आबादी से अधिक के गांवों को ही पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस तरह पीएमजीएसवाई के तहत कुल 1,83,599 गांवों को तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (मार्च 2022) तक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है जिसमें से सितंबर 2016 तक 1,53,431 गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूर किया जा चुका है और 1,19,156 गांवों को राज्य पक्की सड़कों से जोड़ चुके हैं। इस तरह लक्ष्य का 65 प्रतिशत अब तक हासिल किया जा चुका है। खास बात यह है कि अब सरकार ने सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य भी मार्च 2022 से घटाकर मार्च 2019 कर दिया है। इसका मतलब है कि गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य अब तीन साल पहले ही हासिल करना होगा। ऐसे में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क बनाने की गति और तेज करने की दरकार है। **वैसे बीते तीन वर्षों में ग्रामीण सड़कें बनाने के काम में तेजी आयी है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा सरकार**

के सत्ता में आने के बाद से पीएमजीएसवाई के बजट में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही सरकार ने पीएमजीएसवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें 'मेरी सड़क' मोबाइल ऐप, रिमोट सेंसिंग और जीआइएस तकनीक का इस्तेमाल जैसे उपाय शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पीएमजीएसवाई के बजट में व्यापक कटौती की गई। वित्तवर्ष 2012–13 में 8,885 करोड़ रुपये और 2013–14 में 9,806 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया गया। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद वित्तवर्ष 2015–16 में पीएमजीएसवाई का आवंटन बढ़ाकर 18,289 करोड़ रुपये और 2016–17 में बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में भी पीएमजीएसवाई का आवंटन 19000 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने वित्तवर्ष 2018–19 में भी फंडिंग के इसी स्तर को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता जतायी है। विशेष बात यह है कि इसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत होने और नीति आयोग के उपसमूह की सिफारिश के आधार पर पीएमजीएसवाई का फंडिंग पैटर्न बदलकर 60:40 करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई के वार्षिक बजटीय आवंटन में भारी वृद्धि बेहद महत्वपूर्ण है। अब राज्यों को भी ग्रामीण सड़कों पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है। इसलिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अब पहले से अधिक धनराशि उपलब्ध है। वित्तीय आवंटन बढ़ने का परिणाम यह हुआ है कि पीएमजीएसवाई के तहत राज्यों ने वित्तवर्ष 2013–14 में प्रतिदिन औसतन 70 किलोमीटर के हिसाब से कुल 25,316 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जबकि 2014–15 में प्रतिदिन औसतन 100 किलोमीटर के साथ कुल 36,337 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। वित्तवर्ष 2015–16 में भी सड़क निर्माण की यह रफ्तार जारी रही और कुल 36,449 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। इस तरह वित्तीय आवंटन बढ़ाने और प्रभावी क्रियान्वणयन के लिए अभिनव उपाय करते हुए सरकार ने वित्तवर्ष 2016–17 के लिए पीएमजीएसवाई के तहत प्रतिदिन औसतन 133 किलोमीटर सड़कें बनाते हुए कुल 48,812 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा जिसमें से सितंबर 2016 तक सरकार 119 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन निर्माण करने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। कुल मिलाकर पीएमजीएसवाई के तहत बीते सोलह साल में सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च हो चुकी है और करीब 4.82 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है। हालांकि अब भी करीब 64 हजार गांव और अधिवास ऐसे हैं जिन्हें बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा जाना है।

आवास

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का दूसरा प्रमुख घटक आवास है। भारत में अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जून 1985 में इंदिरा आवास योजना (आइएवाई) की शुरूआत की गई। हालांकि 30 साल तक इस योजना के चलने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के अभाव की समस्या थोड़ी कम तो हुई लेकिन सबको आवास देने का सपना साकार नहीं हुआ। दरअसल इंदिरा आवास योजना में निम्नलिखित खामियां थीं 1. इसमें लाभार्थी कवरेज की सीमा सीमित थी क्योंकि इसके दायरे में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवार ही आते थे। 2. इसमें आवास के अभाव की समस्या के आकलन का कोई तंत्र नहीं था। 3. लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता का अभाव। 4. मकान निर्माण की निम्न गुणवत्ता तथा तकनीकी निगरानी का अभाव। 5. दूसरी योजनाओं के साथ समायोजन (कन्वर्जेंस) का अभाव। 6. शिथिल निगरानी–तंत्र।

इंदिरा आवास योजना की उपरोक्त कमियों को दूर करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने 2022 तक 'हाउसिंग फॉर ऑल' (सबको आवास) का लक्ष्य् रखकर आइएवाई को नए कलेवर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के रूप में एक अप्रैल 2016 से शुरू किया। **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान में रहने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2021–22 तक पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य है। पीएमएवाई–जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। फिलहाल सरकार का जोर एक करोड़ ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने पर है जो फिलहाल जीर्णावस्था में कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं।** इन परिवारों को वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्ष की अवधि में मकान उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की विशेषताएं

1. तीन साल में एक करोड़ ग्रामीण परिवारों को आवास के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना।
2. मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा दुर्गम, वाममंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये उपलब्ध कराना।
3. इसके अलावा लाभार्थी को 12000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. मनरेगा के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में 90 कार्यदिवस की मजदूरी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 95 कार्यदिवस की मजूदरी की सुविधा।
5. लाभार्थी को जरूरत पड़ने पर मकान निर्माण के लिए अतिरिक्त 70,000 रुपये के ऋण की सुविधा।

पीएमएवाई–जी की एक विशेषता यह भी है कि इसके तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्य 60:40 तथा केंद्र और विशेष श्रेणी के राज्य 90:10 के अनुपात में व्यय वहन करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब पहले की तुलना में अधिक धन ग्रामीण आवास के लिए उपलब्ध होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकृत गांवों की संख्या (31.01.2017 की स्थिति)

क्रम संख्या	राज्य	विद्युतीकृत हुए गांवों की संख्या (01.04.2015)	विद्युतीकृत हुए गांवों की संख्या 2015–16	विद्युतीकरण के लिए गांव 2016–17	विद्युतीकरण के लिए गांव 2016–17	विद्युतरहित गांवों की संख्या 2017–18
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	174	1039	175	365
2	असम	2892	942	1377	924	573
3	बिहार	2747	1754	735	408	258
4	छत्तीसगढ़	1080	405	500	199	175
5	हिमाचल प्रदेश	35	1	34	27	0
6	जम्मू कश्मीर	134	27	79	5	28
7	झारखंड	2525	750	1314	809	461
8	कर्नाटक	39	0	39	7	0
9	मध्य प्रदेश	472	214	191	154	67
10	मणिपुर	276	75	149	115	52
11	मेघालय	912	1	674	679	237
12	मिजोरम	58	16	42	23	0
13	नगालैंड	82	0	82	55	0
14	ओडिशा	3474	1264	1586	810	624
15	राजस्थान	495	163	246	263	86
16	त्रिपुरा	26	9	17	11	0
17	उत्तर प्रदेश	1529	1305	166	159	58
18	उत्तराखंड	76	0	76	8	0
19	पश्चिम बंगाल	22	8	14	2	0
	कुल गांव	18452	7108	8360	4833	2984

के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 10025 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसे 2016–17 में बढ़ाकर 15000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तवर्ष 2016–17 में पीएमएवाई–जी के तहत जनवरी 2017 तक 21,22,549 मकान बनाए जा चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर, 2016 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए वित्तवर्ष 2016–17 में 33 लाख मकान बनाने का लक्ष्य तय किया।

बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का तीसरा प्रमुख घटक बिजली है। आज़ादी के सात दशक बाद भी करोड़ों परिवार आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। हाल यह है कि 01.04.2015 को देश के 18,452 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन गांवों में 1000 दिनों में (मई 2018 तक) बिजली पहुंचाने की घोषणा की। सबको बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा सरकार ने पूर्व में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग–अलग फीडर की व्यवस्था करने का प्रावधान भी है। डीडीयूजीजेवाई के लिए सरकार ने 43,033 करोड़ रुपये की का आवंटन किया है। इसमें से 33,415 करोड़ रुपये राशि सरकार बजटीय सहायता के रूप में देगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने थोड़े ही समय में असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सरकार ने मई 2018 तक जिन 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था उसमें से 11,941 गांवों में 31 जनवरी, 2017 तक बिजली पहुंचायी जा चुकी है। इस तरह शेष गांवों में भी बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को सरकार समय पूर्व हासिल कर लेगी।

इसके अलावा वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान तीन साल में 68,447 गांव जो पहले से विद्युतीकृत थे, उनमें सघन विद्युतीकरण कराने में सफलता प्राप्त की गई है। इसके साथ ही इस अवधि में 31,60,251 बीपीएल परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष 2019 तक सबको बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने अलग–अलग राज्य सरकारों के साथ करार किए हैं। इसका असर यह है कि न सिर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी आयी है बल्कि आज कई राज्यों के गांवों में 24 घंटे बिजली मिलना संभव भी हुआ है।

बहरहाल बीते तीन वर्षों में गांवों में बिजली, सड़क और आवास की सुविधाएं देने की दिशा में प्रगति हुई है लेकिन विकास की रोशनी देश के हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अभी काफी प्रयास करना होगा।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : hari.scribe@gmail.com

जन-धन, जन-सुरक्षा से विकसित होता वित्तीय विश्वास

–शिशिर सिन्हा

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, बैंक खाता खोलने की सरल और सहज व्यवस्था। नतीजा सभी के सामने है। योजना जहां एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने में कामयाब रही, वहीं करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार बनी। 22 मार्च, 2017 तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते जन–धन योजना के तहत खोले जा चुके हैं जिसमें से करीब 60 फीसदी ग्रामीणों के हैं। मोदी सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में जन–धन और जनसुरक्षा के जरिए मिली कामयाबी के बाद वित्तीय समावेशन एक नए दौर में कदम रखने को तैयार है। इस दौर में जोर होगा वित्तीय साक्षरता पर।

हाड़ी–बीमारी–बुढ़ापा–दुर्घटना शहर और गांव में भेद नहीं करते। अब दुर्घटना को ही ले लीजिए। कहने को गांव में मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जो होता है, उसमें खतरे कम नहीं। थ्रेशर मशीन को ही ले लीजिए। पकी फसल से अनाज निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस मशीन में किसान का हाथ आ सकता है। हालात बिगड़े तो हाथ काटना भी पड़ सकता है। जरा सोचिए, बगैर हाथ के किसान के लिए जिंदगी कितनी मुश्किलों में आ जाएगी। लेकिन क्या इस मुश्किल का कोई हल है?

अगर उसी किसान ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवच लिया है तो उसे दो लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है। मुआवजे की रकम में कुछ पैसा मिला कर वो किसान चाहे तो खुद ही खेतीबाड़ी की मशीन खरीद सकता है जिसे किराये पर देकर वो गुजर बसर तो आसानी से कर ही लेगा। वो चाहे तो अपना छोटा–मोटा रोजगार भी शुरू कर सकता है।

अब जरा सोचिए, इस मुआवजे के लिए प्रीमियम की रकम कितनी होगी? जवाब है सिर्फ 12 रुपये। यानी महज एक रुपये महीने के खर्च पर साल भर के लिए बीमा सुरक्षा। दुर्घटना में मौत हो जाने या पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर दो लाख रुपये का मुआवजा और आंशिक रुप से दुर्घटना होने पर एक लाख रुपये का। और हां, एक बात और, ये सुविधा सिर्फ गांवों में नहीं, बल्कि शहरों में भी उपलब्ध है। ये है वित्तीय समावेशन का नया स्वरूप जिसने तीन सालों से भी कम समय में जन–जन के बीच जन–धन के जरिए जन–सुरक्षा को साकार किया है। वित्तीय समावेशन की इस प्रक्रिया की चर्चा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के साथ शुरू की जा सकती है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

वैसे तो वित्तीय समावेशन की योजनाएं बीती सरकारें भी चलाती रही, लेकिन उसका वो असर नहीं दिखा जो 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन–धन योजना में दिखा। इस योजना की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, बैंक खाता खोलने की सरल और सहज व्यवस्था। नतीजा सभी के सामने है। योजना जहां एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने में कामयाब रही, वहीं करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार बनी। 22 मार्च तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते जन–धन योजना के तहत खोले जा चुके हैं जिसमें से करीब 60 फीसदी ग्रामीणों के हैं।

इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के पहले आइए, जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन–धन योजना की शुरूआत करते हुए 28 अगस्त, 2014 के दिन क्या कहा था–

"आज भी गांव के गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं–बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं। लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है, अगर पति को बुरी आदतें लगी हैं, व्यसन की आदत लग गई है तो उस महिला को चिंता लगी रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए, कहां रखे, बिस्तर के नीचे रखे, वह ढूंढ के निकाल लेता है। लेकर के बैठ जाता है, उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा तो महिलाओं का कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को।"

माता–बहनों के सहारे प्रधानमंत्री ने आज़ादी के पांच दशक और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चार दशक बीत जाने के बाद भी वित्तीय समावेशन को लेकर आईना दिखाया। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में 24.67 करोड़ परिवार हैं जिनमें से पौने 17 करोड़ के करीब गांव में और पौने आठ करोड़ से भी ज्यादा शहरों में रहते हैं। शहरी परिवारों में 67 फीसदी से भी ज्यादा के पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि गांवों में महज 54 फीसदी। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च, 2013 तक 12,100 की ग्रामीण आबादी पर बैंक शाखा थी। इन आंकड़ों से साफ है कि गांवों में आधे से भी ज्यादा परिवार संगठित वित्तीय व्यवस्था से दूर थे। नतीजा, सूदखोरों से मदद मांगने या फिर गाढ़ी मेहनत से कमाए पैसे को असुरक्षित ढ़ंग से रखने की मजबूरी।

वित्तीय समावेशन के लिए पिछली सरकारों की योजनाओं में ज्यादा जोर एक निश्चित संख्या की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और वहां के लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाने की एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन प्रधानमंत्री जन–धन योजना में आबादी की संख्या के बजाए हर परिवार के लिए बैंक खाते पर जोर दिया गया और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े जाने की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई। पहचान के लिए पासपोर्ट, वोटर आईकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड या आधार जैसे दस्तावेजों में से किसी एक के सहारे महज एक पृष्ठ वाले फॉर्म के जरिए बैंक खाता खोला गया। वहीं जिनके पास पहचान का कोई जरिया नहीं था, उनके लिए भी बैंक खाता खोले जाने का इंतजाम किया गया और पहचान जुटाने के लिए साल भर तक का समय भी दिया गया जिसे विशेष परिस्थितियों में एक साल और बढ़ाने की बात कही गई।

ऐसे बैंक खाते में कम से कम पैसा रखने यानी मिनिमम बैलेंस जैसी कोई शर्त नही होती है। इसीलिए कई मौकों पर आलोचना भी की गई कि जन–धन खातों में जीरो बैलेंस वाले खाते बैंकिंग व्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं, क्योंकि उनके रखरखाव पर बैंकों को खर्च करना पड़ता है। फिलहाल, स्थिति बदल गई है। खुद वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जहां सितम्बर 2017 में हर चार में से तीन जन–धन खाते जीरो बैलेंस वाले होते थे, वहीं दिसम्बर में हर चार में से सिर्फ एक खाता ही जीरो बैलेंस वाला रह गया है। ये स्थिति इसीलिए बदली है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का पैसा बैंक खातों के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है, और इस काम में आधार की मदद ली गई।

ताजा आंकड़े बताते हैं कि लगभग 65 फीसदी बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। इससे सरकारी योजनाएं चाहे, मनरेगा की बात करें या फिर रसोई गैस पर मिलने वाले सिलेंडर या फिर छात्रवृति की, सभी का पैसा सीधे लाभार्थियो को ही मिल पाता है। इसी का नतीजा है कि फर्जीवाड़ा कर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वालों के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बैंक खातों में आधार को जोड़े जाने के बाद 2016–17 में एक करोड़ के करीब फर्जी मनरेगा जॉबकार्ड का पता चला जिसे अब रद्द कर दिया गया

तालिका 1 : जन–धन योजना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल खातें	ग्रामीण खातें
अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	52541	37441
आंध्र प्रदेश	8666796	4589868
अरुणाचल प्रदेश	204963	124707
असम	11569026	8687843
बिहार	28448563	18473791
चंडीगढ	219683	33223
छत्तीसगढ़	12308160	8192183
दादरा नगर हवेली	77701	67245
दमन दीव	38795	18360
गोवा	166725	124215
गुजरात	10489266	5484624
हरियाणा	5966208	3240467
हिमाचल प्रदेश	929317	815371
जम्मू–कश्मीर	2152311	1748196
झारखंड	9702085	7198318
कर्नाटक	10577009	6231668
केरल	3199396	1518101
लक्षद्वीप	4758	4356
मध्य प्रदेश	25029112	12091393
महाराष्ट्र	18808408	9227136
मणिपुर	720348	331721
मेघालय	393136	324241
मिजोरम	277718	104933
नगालैंड	202358	107156
दिल्ली	3616441	485005
ओडिशा	11205397	8212746
पुडुचेरी	171875	92343
पंजाब	5321669	3000314
राजस्थान	19351139	12356208
सिक्किम	85572	64982
तमिलनाडु	8681498	4089763
तेलंगाना	8753450	4783120
त्रिपुरा	792707	566729
उत्तर प्रदेश	43623386	26051360
उत्तराखंड	2193497	1343322
पश्चिम बंगाल	26786795	18531239
कुल	280787809	168353688

(30 मार्च, 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक/स्रोत : वित्त मंत्रालय)

है। जन–धन खातों के जरिए सीधे लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने की बदौलत 2014–15 से 2016–17 (31 दिसम्बर, 2016) तक मनरेगा में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बचत हुई। इस पूरी व्यवस्था में ध्यान देने की बात ये है कि फायदा केवल सरकार को ही नहीं, जरुरतमंदों को भी हो रहा है। अब उन्हें अपने पैसे के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी के संकेत हैं।

दूसरी ओर, जन–धन की व्यवस्था ने लोगों में बचत की भी प्रवृत्ति डाल दी है। आज की तारीख में जन–धन खातों में करीब 63 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। देश में बचत की दर को बढ़ाने में ये काफी मददगार साबित होगा। किसी समय में देश में बचत की दर 38 फीसदी के करीब थी जो घटकर 30 फीसदी के आसपास आ गई। अब जन–धन से इसमें बढ़त की उम्मीद है। चूंकि जन–धन का पैसा बेहद ही सस्ती लागत पर जुटाया गया है, लिहाजा उसकी बदौलत सस्ती दर पर कर्ज देना संभव हो सकेगा। संगठित व्यवस्था से कर्ज मिल जाए तो निश्चित तौर पर भारी–भरकम सूद पर पैसा लेने वालों के पास जाने की जरुरत नहीं होगी।

मत भूलिए कि प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत कुछ शर्तों के बाद पांच हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट यानी जितनी रकम जमा है, उससे ज्यादा निकालने की सुविधा दी गई। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कर्ज भी कह सकते हैं। ये कर्ज पिछले छह महीने के दौरान खातों में किए गए लेन–देन के आधार पर दिया जाता है। दिसम्बर 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि साढ़े 83 लाख से भी ज्यादा खातों के लिए कर्ज की पेशकश की गई। इसमें साढ़े 44 लाख लोगों के लिए कर्ज मंजूर भी किए गए जबकि 24 लाख से कुछ ज्यादा खाताधारकों ने ही करीब 320 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

वित्तीय विश्वास का माहौल बनाने के लिए जन–धन योजना के तहत रुपे कार्ड भी दिया गया। ये एटीएम सह डेबिट कार्ड है। मतलब किसी भी बैंक से पैसा निकालने के साथ–साथ इस कार्ड की बदौलत बाजार में खरीदारी भी का जा सकती है। एक और बात, इस कार्ड पर एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा की भी सुविधा है। बस शर्त ये है कि दुर्घटना के दिन से 90 दिन पहले के बीच रुपे कार्ड का इस्तेमाल या तो एटीएम पर या ऑन लाइन ट्रांजेक्शन में किया गया हो। ये शर्त तब भी पूरी मानी जाएगी, जब एटीएम पर कार्ड के जरिए महज खाते में जमा रकम के बारे में जानकारी ली गई हो। एक लाख रुपये तक का मुआवजा दुर्घटना में मौत होने या अस्थायी तौर पर अपंगता की सूरत में मिलेगा। इस बीमा सुरक्षा के लिए प्रीमियम भी खाताधारक को नहीं चुकाना है। 50 पैसे प्रति व्यक्ति के लिहाज से प्रीमियम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन अदा करेगी।

कोई भी योजना तभी कामयाब हो सकती है जब उसके लिए जरुरी बुनियादी सुविधाएं हो। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समेत विभिन्न बैंक कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद केंद्रीय बैंक की बगैर पूर्वानुमति के देश के किसी भी हिस्से में शाखा खोल सकते हैं। शर्त ये है कि एक वित्तवर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 फीसदी बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में होना चाहिए। 31 मार्च, 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की कुल मिलाकर 1,32,700 शाखाएं थी जिसमें से 86425 यानी 65.12 फीसदी ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में थे। एटीएम की बात करें तो दिसम्बर 2016 के अंत तक देश में कुल मिलाकर 2,19,637 एटीएम थे जिनमें से 40,480 ग्रामीण इलाकों में और 59,370 अर्धशहरी इलाकों में थे।

अहम बात ये है कि सरकारी बैंकों ने बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में 2013–14 के दौरान 1994, 2014–15 के दौरान 1242, 2015–16 के दौरान 654 और 2016–17 (अप्रैल 2016 से जनवरी 2017) के दौरान 379 शाखाएं खोली। यही नहीं, गांवों को कवर करने के लिए 1.59 लाख उप–सेवा क्षेत्र (एसएलए) बनाए जाते हैं। हर एसएसए के तहत एक से डेढ़ हजार परिवारों को शामिल किया जाता है। फरवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि 33 हजार से ज्यादा एएसए को बैंक शाखाओं से जोड़ा गया है जबकि 1.26 लाख को बैंक मित्र के जरिए। इन सबकी बदौलत जन–धन योजना की वास्तविक रूप में लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है।

जन–धन से जन सुरक्षा

जन–धन खातों से हुए वित्तीय समावेशन का तार्किक तौर पर अगला चरण सामाजिक सुरक्षा रहा। इसके पीछे सोच ये थी कि जब शहरों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर लाले पड़े हों तो गांवों में स्थिति और भी परेशान करने वाली है। अब देखिए ना, 60 फीसदी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। खेतीबाड़ी में जहां अनिश्चितता चरम पर है, वहीं कृषि पर निर्भर रहने वालों के लिए भी दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। वैसे तो किसान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, फिर भी किसानी करने वाले उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हे नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन जैसी सुविधा की दरकार होती है। ऐसी ही कुछ सोच के साथ प्रधानमंत्री जन–धन योजना

तालिका 2 : सामाजिक सुरक्षा योजना

योजना	कुल (गांव शहर, पुरुष महिलाएं)	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिलाएं
अटल पेंशन योजना	41,52,446	14,72,511	7,05,874
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	310,21,713	94,77,853	58,91,889
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	994,97,571	316,67,366	211,76,129
कुल	1346,71,730	426,17,730	277,73,892

(मार्च 30, 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक/स्रोत : वित्त मंत्रालय)

के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सुरक्षा की तीन नई योजनाएं– जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शुरू की गई। पहली दोनों योजनाएं बीमा की हैं तो तीसरी पेंशन की। और हां, तीनों योजनाएं, ग्रामीण इलाकों के साथ–साथ शहरी इलाकों के लिए भी हैं।

इन तीनों ही योजनाओं की खास बात ये है कि आपको इसके लिए किसी बीमा कंपनी के पास जाने की जरुरत नहीं। बस जिस बैंक में आपका खाता है, वहां पर आपको एक स्वीकृति देनी होगी और सीधे बैंक खाते से आपका पैसा प्रीमियम या पेंशन के लिए जरुरी जमा के तौर पर चला जाएगा। एक नजर तीनों योजनाओं की खास बातों पर–

क. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 18–50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर जीवन बीमा की सुरक्षा ले सकते हैं। प्रीमियम की रकम एकमुश्त चुकानी होगी। एक रुपये प्रतिदिन से भी कम की दर पर बीमा सुरक्षा एक साल के लिए है और अगले वर्ष उसका नवीकरण कराना होगा। बीमा सुरक्षा हर साल पहली जून से शुरू होकर अगले साल 31 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान यदि योजना में शामिल व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। बीमा सुरक्षा का हर साल नवीकरण करना होगा। दूसरे शब्दों में, हर वर्ष 31 मई तक या उसके पहले आगे के एक वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त कर देना होगा।

ख. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : 18–70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सिर्फ 12 रुपये सालाना प्रीमियम (यानी एक रुपये हर महीने) चुकाकर ये बीमा सुरक्षा ले सकता है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या स्थायी पूर्ण अपगंता की सूरत में 2 लाख रुपये, स्थायी आशिंक अपंगता की सूरत में एक लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है। सालाना प्रीमियम की रकम यानी 12 रुपये एकमुश्त सीधे आपके खाते से जमा होगा। यदि यह रकम 1 जून को या उससे पहले काटी गई है तो बीमा सुरक्षा का फायदा 1 जून से 31 मई के बीच मिलेगा। यदि 1 जून के बाद रकम काटी गई है तो बीमा सुरक्षा अगले माह की पहली तारीख से मिलेगी।

ग. अटल पेंशन योजना : बीमा सुरक्षा का फायदा उम्र के एक पड़ाव तक ही मिल पाता है, लेकिन जिंदगी अगर उसके आगे चली तो कुछ अलग ही उपाय करने होंगे। क्योंकि उम्र ढ़लने के साथ श्रम कर पैसा कमाने का सामर्थ्य तो नहीं रह पाता, लेकिन आवश्यकताएं बनी ही रहती हैं, या यूं कह ले तो बढ़ भी जाती हैं। सरकारी नौकरी या संगठित क्षेत्र की नौकरी में विशेष सुविधा के तहत पेंशन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या? असंगठित क्षेत्र के ज्यादा कामगार मूल रूप से गांवों के ही होते हैं जो साल के कुछ महीने शहरों में काम करते हैं और बाकी समय गांवों में। इन्हीं सब के लिए अटल पेंशन योजना की शुरूआत की गई। नई योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह 18 और 40 वर्ष के बीच दिए गए अभिदान विकल्प पर निर्भर होगा। इस तरह योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष या उससे ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। कम उम्र में शुरू करने पर हर महीने जमा की जाने वाली राशि कम होगी जबकि ज्यादा उम्र पर ये रकम ज्यादा हो जाएगी। सरकार योजना के तहत कम से कम एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। यहां भी पैसा सीधे बैंक खाते से जाएगा।

इन तीनों ही योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में कामयाबी मिली है और उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बातें ये हैं कि शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बीमा योजनाओं की कामयाबी की एक बड़ी वजह दावों के निबटारे की ऊंची दर भी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 31 मार्च, 2017 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कुल मिलाकर 62166 दावे किए गए, जिसमें से 59118 यानी 95.10 फीसदी का भुगतान कर दिया गया। इसी तरह प्रधानमत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12534 दावे किए गए जिसमें से 9403 यानी 75 फीसदी का भुगतान कर दिया गया।

मोदी सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में जन–धन और जनसुरक्षा के जरिए मिली कामयाबी के बाद वित्तीय समावेशन एक नए दौर में कदम रखने को तैयार है। इस दौर में जोर होगा वित्तीय साक्षरता पर। साक्षरता इसीलिए ताकि पैसे से पैसा तैयार हो सके। जन–धन में पैसा जमा हो गया, जन सुरक्षा से बीमा और पेंशन सुरक्षा मिल गए, लेकिन इन सबके जरिए हाथ में जो पैसा आएगा, वो आगे तभी फायदा देगा, जब उसे हम सही जगह पर निवेश करें या सही माध्यमों में लगाए और ये मुमकिन हो सकेगा वित्तीय साक्षरता की बदौलत। ऐसा हुआ तो वित्तीय समावेशन से मजबूत वित्तीय विश्वास का माहौल बनेगा, जो आर्थिक विकास का फायदा निचले पायदान तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

(लेखक 21 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में संपादक (कारोबारी मामले), एबीपी न्यूज में है।)

ई–मेल : hblshishir@gmail.com

स्वच्छता सेनानी

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कूच बिहार में ओडीएफ वॉररूम की जीत की रणनीति

जैसाकि नाम से ही पता चलता है, कूच बिहार में ओडीएफ वॉर रूम वह स्थान है, जहां राज्य प्रशासन खुले में शौच के विरुद्ध अपने अभियान की योजना बनाता है और रणनीतियां तैयार करता है। प्रत्येक ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय में प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5.30 बजे तक खुलने वाली इकाई में कई कर्मचारी होते हैं, जो नियमित अपडेट एवं प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं। बदले में वे स्वाभाविक नेतृत्वकर्ताओं तथा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं।

जिलाधिकारी पी उलगानाथन ने बताया, "वरिष्ठ नोडल अधिकारी की अगुआई में ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) वॉर रूम स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान एवं जोर देता है और सुनिश्चित करता है कि हम अपनी योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू करें।" उन्होंने कहा, "ओडीएफ वॉर रूम में बिताया जाने वाला समय 'निर्मल घंटा' कहलाता है और जो हो रहा है, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है।" उन्होंने बताया कि दल प्रत्येक प्रधान, सभापति, कार्यकर्ता, सामुदायिक सहायक से बात करता है ताकि उनके काम की निगरानी की जा सके और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। जब भी कोई चुनौती आती है तो उससे निपटने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण जिले में ही पड़ती है। इस सुदूर क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या पिछड़ी हुई और गरीबी की रेखा से नीचे है।

9 दिसंबर को निर्मल प्रभात आयोजित किया गया। इसमें सुबह 5 बजे से गांधीगिरी (सौहार्द एवं शांति भरे तरीके से सच बताना) आरंभ की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी, पंचायत अधिकारी, स्वाभाविक नेता, स्वयंसेवक, युवा, स्वयंसहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों, आशा के सदस्य जिले भर के घरों में गए और 3,09,080 परिवारों से मिलकर लोगों को स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाने के लिए मनवाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 20,000 से अधिक फोटोग्राफ लिए और 2.5 लाख हस्ताक्षर लिए, जिससे पता चलता है कि लोग इस अभियान के प्रति कितने संकल्पबद्ध हैं। धार्मिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों तथा युवाओं की सहभागिता वाले इस कार्यक्रम की योजना 10 दिन पहले ही बना ली गई थी। गांवों का दौरा करते समय खुले में शौच के मामूली से भी निशानों को उन्होंने मिट्टी से ढक दिया। यह अंतर–वैयक्तिक संचार का विशाल अभियान था, जिसमें लोगों को अपने शौचालयों का प्रयोग करने का कड़ा संदेश दिया गया। संदेश एकदम सरल था–यदि सभी लोग अपने शौचालयों का प्रयोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वे सुखी रहेंगे। इससे महिलाओं की गरिमा भी बची रहेगी, जिन पर खुले में शौच जाते समय अक्सर हमलों का खतरा रहता है।

निर्मल भारत के समन्वय और उसे पूरा करने का काम वॉर रूम ने किया, जिसने आवाजाही, हस्ताक्षर अभियान की योजना पहले ही बना ली थी और हस्तक्षेप का काम जिलाधिकारी द्वारा पूरा किया गया। कूच बिहार में दल ने निर्मल चाय नाम की नई पहल भी की। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारी यथासंभव अधिक घरों में जाते हैं और उसके बाद बाजार में चाय की किसी दुकान पर बैठ जाते हैं। जब लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो नेतृत्व करने वाला इस बात की चर्चा छेड़ देता है कि पानी की गुणवत्ता कैसी है और खुले में शौच करने से किस तरह लोगों को चाय के साथ गंदगी पीनी पड़ सकती है।

अब तक मिली प्रतिक्रियाओं के अनुसार निर्मल चाय बातचीत आरंभ करने का एकदम सही अवसर उपलब्ध कराती है। समुदाय जनसभा की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। इसमें स्वयंसहायता समूहों, आंगनवाड़ियों और आशा से लगभग 3,000 से 4,000 महिलाएं जुटती हैं, जिनका जिलाधिकारी से नियमित अंतराल पर संवाद होता रहता है। 2 घंटे तक चलने वाली जनसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखता है। उलगानाथन ने कहा, "जब महिलाएं अपने घर और मोहल्लों में लौटती हैं तथा स्वच्छता का संदेश फैलाती हैं तो उसका तेज असर होता है।"

जिलाधिकारी के अनुसार अक्टूबर 2014 में जब पहली बार सैनिटरी मार्ट के नमूने के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी तब ढेर सारे शौचालय बने थे, लेकिन लोगों को उनका प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। इसके लिए सीएलटीएस का तरीका अपनाया गया, जहां पूरे समुदाय को प्रभावित किया जाता था। उन्होंने कहा, "हम स्वयं गांव जाते और स्वाभाविक नेता की पहचान करते।" इस अभियान ने इतनी गति पकड़ ली है कि अब स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का विशाल समूह स्वयं ही सभाएं आयोजित कर लेता है और निर्माण कार्य पर नजर रखता है। 2012 के एक सर्वेक्षण के अनुसार कूच बिहार में 58 प्रतिशत परिवारों में शौचालय थे और उसे 2.7 लाख शौचालयों की आवश्यकता थी। ❑

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बना एक मिसाल

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। यह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सकें, यह इसका एक अन्य मकसद है। और ये तब संभव हो सकेगा जब नागरिकों को डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाए।

अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन डिजिटल इंडिया पर केंद्रित होने वाला है। उधर वियतनाम ने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अपने यहां भी एक दीर्घकालीन कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दावोस में कहा कि अमेरिका को डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कदमों का अनुसरण करना चाहिए।

ये घटनाएं और ये टिप्पणियां इस बात की निशानदेही करती हैं कि पिछले कुछ महीनों में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम ने देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों को प्रेरित किया है। असल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे अनदेखा करना दुनिया के लिए असंभव है। मिसाल के तौर पर यह तथ्य कि आधार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के रूप में सामने आई है। एक अरब से ज्यादा लोगों को पुष्टि–योग्य डिजिटल पहचान प्रदान करना एक ऐसा लक्ष्य था जिसकी कामयाबी में शुरू से ही संदेह किया जा रहा था। लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। और अब जिस तरह हम नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, वह विश्व के आर्थिक–प्रशासनिक इतिहास में एक और मिसाल कायम करने जा रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्यापकता, प्रभाव, गहनता और नवीनता में लगातार वृद्धि होना प्रभावित करता है। हालांकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बहुत–सी चुनौतियां और सीमाएं भी हैं जो भारत जैसे विविधतापूर्ण तथा आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विकासमान देश के लिए स्वाभाविक हैं। लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि डिजिटल इंडिया ने देश में डिजिटल सोच, डिजिटल नवोन्मेष, डिजिटल जागरूकता और डिजिटल महत्वाकांक्षा का माहौल बना दिया है। सरकारी विभागों में नए–नए डिजिटल कार्यक्रम शुरू करने की साफ होड़ दिखाई देती है तो राज्य सरकारें भी किसी से पीछे नहीं हैं।

खैर, सरकारें तो सरकारें हैं और उनके सामाजिक सरोकार एक अनिवार्यता हैं। लेकिन जिस बात से खासा संतोष होता है वह यह है कि निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी डिजिटल इंडिया से जुड़कर गौरव का अनुभव कर रही हैं। वे इस कार्यक्रम की कामयाबी में अपनी तरफ से योगदान देना चाहती हैं। कुछ उदाहरण काबिले गौर हैं– माइक्रोसॉफ्ट ने इसी महीने जयपुर में एक कार्यक्रम में दस हजार रुपये से कम कीमत का लैपटॉप जारी किया, इस संकल्प के साथ कि ऐसे लैपटॉप डिजिटल क्रांति को गांव–गांव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस लैपटॉप में विंडोज का आधिकारिक (जेनुइन) संस्करण मौजूद है और तमाम वे सुविधाएं भी हैं जिनकी जरूरत सामान्य उपभोक्ता को पड़ती है। याद रहे, जब भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी का ऐलान हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने विश्वास जताया था कि भारत तेजी से डिजिटल भुगतान की तकनीकों को अंगीकार कर लेगा।

इस बीच, गूगल ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल कौशल में योगदान देने के लिए केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई है। सिस्को ने साइबर सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए करार किया है। ज्यों–ज्यों डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ेगा, साइबर चुनौतियां भी बढ़नी स्वाभाविक हैं। सैमसंग ने गांव–गांव तक डिजिटल स्मार्ट क्लास ले जाने की योजना शुरू की है। एचपी ने भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरूआत की है। भारत की कंपनियां भी बड़े कदम उठा रही हैं और हजारों स्टार्टअप भी डिजिटल भारत के निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। निजी क्षेत्र के प्रयासों में कारोबार की भी भूमिका अवश्य होगी लेकिन वह इस बारे में पर्याप्त लचीलापन दिखा रहा है, इसमें संदेह नहीं है।

अहम बात यह है कि निजी क्षेत्र में डिजिटल बदलाव (डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) का जो दौर चल रहा है, वह उन्हें स्पष्ट रूप से लाभान्वित कर रहा है। यह लाभ सिर्फ आर्थिक हो, यह जरूरी नहीं। मिसाल के

डिजिटल इंडिया: बढ़ते कदम

डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज में तब्दील करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। कुछ ताजा उपलब्धियां काबिले गौर हैं–

विनिर्माणः भारत में विनिर्मित मोबाइल हैंडसेटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इनका आंकड़ा 2014 के 6 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में 17.5 करोड़ मोबाइल सेटों तक पहुंच गया है। दो साल के भीतर लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। याद रहे, 2015–16 में यह आंकड़ा 11 करोड़ था। एलसीडी और एलईडी टेलीविजन सेटों के विनिर्माण में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जहां 2014–15 में देश में इस श्रेणी के 87 लाख टेलीविजन सेट विनिर्मित किए गए थे वहीं 2016–17 में उनकी संख्या 1.5 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गई।

सरकारी खरीदः सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर होने वाली खरीददारी को लेकर तमाम किस्म की चिंताएं उठती रही हैं। केंद्र सरकार ने अब सरकारी खरीद के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल खोले जाने को मंजूरी दी है जिसका नाम सरकारी ई–बाजार या गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस होगा। केंद्र और राज्य सरकारें यहां से सामान और सेवाओं की खरीद कर सकेंगी। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और प्रतिद्वंदी दरों पर सरकारी खरीद में मदद मिलेगी।

रेलवे की पहलः भारतीय रेलवे अपने पूरे सप्लाइ चेन सिस्टम का डिजिटल रूपांतरण करने जा रही है। सौ फीसदी ई–टेंडर और ई–बोलियां इसके तहत समाहित की जा चुकी हैं। इससे रेलवे की सामग्री, वित्त और सूचनाओं का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ–साथ पारदर्शिता तथा कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। नई प्रणाली के तहत बिल पेश करने, जांच, डिस्पैच, प्राप्तियों, बिल पास करने की प्रक्रियाओं, भुगतानों, वारंटी की निगरानी और रेलवे की सप्लाई व्यवस्था को कार्यकुशल बनाने के लिए डाटा विश्लेषण क्षमताओं के व्यापक इस्तेमाल की योजना है।

सामान्य सेवा केंद्रः सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्थापित किए गए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन केंद्रों का प्रयोग अब कौशल विकास और आपूर्ति के माध्यम के रूप में भी किया जा रहा है। जहां सन 2014 में भारत में 80 हजार सामान्य सेवा केंद्र थे, वहीं 2015 में उनकी संख्या 1.5 लाख और 2016 में 2.1 लाख हो गई।

एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणालीः छात्रवृत्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत, व्यापक और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की उपयोगिता इस बात से सिद्ध हुई है कि अब इसमें 16 मंत्रालयों और विभागों की 23 छात्रवृत्ति योजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। दो करोड़ से ज्यादा छात्रों ने यहां पंजीकरण कराया हुआ है। इसे तमाम छात्रवृत्तियों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है।

डिजिटल लेनदेनः विमुद्रीकरण के बाद जिस अंदाज में जनता ने डिजिटल लेनदेन को अपनाया है, वह डिजिटल इंडिया के लिए शुभ लक्षण कहा जा रहा है। नीति आयोग के अनुसार, मार्च 2017 में देश में 2,425 करोड़ रुपये के परिमाण के 63.80 लाख लेनदेन डिजिटल माध्यमों से हुए। इसकी तुलना अगर नवंबर 2016 से पहले के डिजिटल लेनदेनों से करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश ने किस उत्साह से इन नए माध्यमों को अपनाया है। पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आठ महीनों में 101 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन इस माध्यम से

हुए थे, जिनकी संख्या थी 2 लाख 80 हजार। आधार के साथ जुड़े हुए लेनदेन का परिमाण भी नवंबर 2016 के बरक्स देखा जाए तो दो गुना बढ़ा है, यानी ढाई करोड़ लेनदेन की तुलना में पांच करोड़। त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के तहत हुए लेनदेन भी नवंबर 2017 के 3.6 करोड़ लेनदेन से बढ़कर मार्च 2017 में 6.7 करोड़ तक जा पहुंचे।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार का 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेनों का लक्ष्य है। इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए, खासकर 75 शहरों को कम–नकदी–युक्त (लेस कैश) शहरों के रूप में आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के मद्देनजर। प्रधानमंत्री के हाथों जारी किए गए भीम आधार एप्प को भी जनता ने हाथोंहाथ लिया है। आनन–फानन में ही इसे 27 प्रमुख बैंकों और 7.15 लाख कारोबारियों ने अपना लिया। इस बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से होने वाले भुगतानों में भी जनवरी 2017 के 1660 करोड़ की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है और दो महीने बाद, मार्च 2017 में वे 2000 करोड़ तक जा पहुंचे।

देश की मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है, वह प्रधानमंत्री के इस कथन के अनुरूप ही है कि देश के विकास का नया मंत्र– जन–धन, जल धन और वन धन है। जन–धन योजना के तहत 30 करोड़ नए बैंक खातों का खुलना न सिर्फ आम आदमी को वित्तीय रूप से सशक्त करने वाला क्रांतिकारी कदम है बल्कि काफी हद तक सरकार से स्थानांतरित किए जाने वाले अनुदानों के सही व्यक्तियों तक पहुंचने की गारंटी भी देता है।

डिजिटल इंडिया के प्रभाव में जनता का मानस किस तरह बदल रहा है, उसका एक उदाहरण देखिए। एक मशहूर यात्रा पोर्टल की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण से जाहिर हुआ है कि 90 फीसदी से ज्यादा भारतीयों ने अपनी छुट्टियों के लिए होटल, यात्रा आदि की बुकिंग करने में प्लास्टिक धन का इस्तेमाल किया। देश भर में तमाम डिजिटल परियोजनाओं ने विभिन्न सेवाओं को सुगम और पहुंच–योग्य बनाया है। राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल के तहत दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक रोजगार पोर्टल का काम जारी है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से **महिला ई–हाट नामक ऑनलाइन प्लेटफार्म** का सफल संचालन हो रहा है। यहां ग्रामीण महिलाएं सीधे अपने उत्पादों की बिक्री कर पा रही हैं। अनेक राज्यों ने ग्रामीण भूमि नक्शा नवीसी और इन नक्शों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया है। कई राज्यों की सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां जारी हुई हैं। डिजिटल मानसिकता, डिजिटल सोच और डिजिटल नवोन्मेष की ओर भारत की यात्रा निर्बाध जारी है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता करने हेतु "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के अनुमोदन के साथ, सरकार ने दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक के लिए ₹ 2,351.38 करोड़ का बजट आवंटित किया है। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना मार्च 2019 तक पूरी हो जाएगी। इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2016–17 में 25 लाख, 2017–18 में 275 लाख और वित्तवर्ष 2018–19 में 300 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति स्मार्टफोन और टैबलेट की तरह कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों को संचालित कर ई–मेल भेजने और इंटरनेट ब्राउज करने में सक्षम हो सकता है। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु, जानकारी के लिए खोज, और नकद रहित लेनदेन के कार्य में होगा। इस योजना के उचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी की निगरानी में राज्य और संघ–शासित प्रदेशों के सहयोग से निर्दिष्ट राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी द्वारा की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाईल फोन के द्वारा नगद रहित लेन–देन के लिए डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), असंरचित पूरक डाटा सेवा (यूएसएसडी), और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है।

तौर पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में कहा गया कि 55 प्रतिशत कंपनियां यह मानती हैं कि डिजिटल बदलाव से उनकी आय के नए स्रोत खुले हैं। चौरासी प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि इसकी बदौलत वे अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से बेहतर स्थिति में आ गई हैं। सत्तानवे प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि उनके ग्राहकों को अब उनकी सेवाएं पहले से ज्यादा अच्छी महसूस हो रही हैं। यानी उनकी सेवाओं के प्रति ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ है। पैंतीस प्रतिशत कंपनियां मानती हैं कि नए अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, 56 प्रतिशत ने माना है कि नए बदलावों से उनके कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ी है। डिजिटलीकरण का व्यापक दौर हमारे इर्द–गिर्द घटित हो रहा है जिसके पीछे डिजिटल इंडिया की प्रेरणा या प्रभाव है।

डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। वह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल लॉकर, ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–हस्ताक्षर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के साथ इसकी शुरूआत हुई। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम इसके पीछे की व्यापक दृष्टि के कुछ क्रियान्वयन मात्र हैं। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सकें, यह इसका एक अन्य मकसद है। और ये दोनों चीजें तब संभव हो सकेंगी जब नागरिकों को डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाए। ये तीनों बातें डिजिटल इंडिया के विज़न का हिस्सा हैं।

इस कार्यक्रम के नौ आधारभूत स्तंभों– ब्रॉडबैंड हाइवे, फोन की सुविधा तक सार्वत्रिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई–प्रशासन, ई–क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी), सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली–हारवेस्ट कार्यक्रम में से सभी में पिछले ढाई–पौने तीन साल के दौरान काफी प्रगति हुई है। डिजिटल इंडिया सन् 2019 तक देश के डिजिटल मानचित्र का कायाकल्प कर सकता है जो इन बिंदुओं से स्पष्ट है–

- ढाई लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी होगी।
- सभी स्थानों पर फोन संपर्क की सुविधा सुनिश्चित हो जाएगी।
- 2020 तक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में उपकरणों के आयात पर निर्भरता न्यूनतम हो चुकी होगी।
- चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट प्रयोग केंद्रों की स्थापना हो चुकी होगी।
- ढाई लाख विद्यालयों और सभी विश्वविद्यालयों में वाइ–फाइ इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो चुकी होगी।
- बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए वाइ–फाइ हॉटस्पॉट स्थापित हो चुके होंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में 1.7 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर डिजिटल समावेशन के दायरे में लाया जा चुका होगा।
- इतने ही लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा चुका होगा और कम से कम 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराया जा चुका होगा।
- ई–प्रशासन और ई–सेवाओं को सभी सरकारों के स्तर पर व्यापक बनाया जा चुका होगा।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग जैसी सेवाओं के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भारत विश्व का अग्रणी देश बन चुका होगा।
- सार्वजनिक क्लाउड और इंटरनेट के प्रसार के जरिए नागरिकों को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाया जा चुका होगा।

जिन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान का क्षेत्र सबसे आगे दिखाई देता है। आधार के सूत्रधार नंदन निलेकणी ने हाल ही में कहा है कि भारत में तकनीकी प्रणालियां, भुगतान प्रक्रियाएं और आधारभूत ढांचा इतना सुदृढ़ है कि वह डिजिटल भुगतानों के मौजूदा स्तर के चार गुना तक को आसानी से वहन कर सकता है। एक अरब लोगों को डिजिटल माध्यमों से धन के लेन–देन की सुविधा देने में सक्षम ढांचा पहले ही हमारे पास मौजूद है। हालांकि पश्चिमी देशों में जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्ड–आधारित लेन–देन की बहुतायत है वहीं भारत में अधिकांश डिजिटल लेन–देन मोबाइल फोन के माध्यम से होने हैं। **यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एक जानदार परियोजना है जिसने बैंकों को आधार नंबर के माध्यम से धन का स्थानांतरण करने की शक्ति दे दी है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग करते हुए मोबाइल नंबर और पिन के माध्यम से भी धन का लेन–देन संभव हो गया है। इतने बड़े देश के पैमाने पर इस तरह की योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू हो जाना किसी चमत्कार की बदौलत संभव नहीं हुआ है बल्कि सुसंगठित आधारभूत ढांचे, साइबर सुरक्षा के ठोस मॉडल और तकनीकी सक्षमता की बदौलत घटित हुआ है।** नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अगर अमेरिका को भारत से सबक लेने की नसीहत दी है तो उसके पीछे इन कामयाबियों का बड़ा हाथ है।

(लेखक वरिष्ठ तकनीकविद् और स्तंभकार हैं।)

ई–मेल : balendu@gmail.com

कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी

–डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद
जगन्नाथ कुमार कश्यप

वर्तमान सरकार ने जहां 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास' योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल विकास के द्वारा कार्यबल को मानव संसाधन के रूप में परिणत करने की दिशा में कदम बढ़ाया वहीं मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा पूंजी की समस्या को साधने का प्रयास दिखता है, यहां तक कि मनरेगा जैसी योजना जोकि महज अकुशल श्रम के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने की कोशिश की गई है। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में अवसंरचनाओं के विकास पर बल देने वाले 'रुर्बन मिशन' तथा 'मेक इन इंडिया' जैसी मुहिम का भी ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आज जब भारत जनसांख्यिकी लाभांश के द्वारा अपने आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण के लक्ष्य को साधने के लिए प्रयासरत है, ऐसे में हम ग्रामीण भारत की युवा आबादी को नजरअंदाज कर इस लक्ष्य को हरगिज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत की 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग की युवा आबादी का 69 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है।

भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी समस्याओं में एक रही है "असंतुलित क्षेत्रीय विकास" की समस्या, इसका परिणाम यह होता है कि जहां कुछ बड़े महानगरों के संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है वहीं एक बड़े भू–भाग के संसाधन अप्रयुक्त रह जाते हैं। चूंकि आधारभूत संरचनाओं के विकास में ग्रामीण भारत के क्षेत्र काफी पीछे रह गए। अतः इसके परिणामस्वरूप वहां रोजगार के अवसर सृजित उस मात्रा में नहीं हो पाए, तथा इस असंतुलित क्षेत्रीय विकास ने युवाओं को शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए गांव से शहरों की तरफ पलायन के लिए विवश किया। वहीं दूसरी तरफ, जो गांव से पलायन नहीं कर सकते वह कौशल के अभाव तथा अन्य किसी वैकल्पिक रोजगार के अवसर की अनुपलब्धता के कारण मजबूरीवश कृषि एवं कुछ गिनी–चुनी कृषि सहयामी क्रियाओं (पशुपालन) पर ही निर्भर रहने को मजबूर हो गए। फलस्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण भारत की सामान्य समस्या के रूप में स्थापित हो गई। हालांकि इन समस्याओं को रेखांकित करते हुए ग्रामीण भारत में रोजगार या स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। परन्तु इन योजनाओं को वांछित सफलता कभी नहीं मिली तथा ग्रामीण युवाओं के रोजगार की समस्या कमोबेश आज भी वैसी ही बनी रही। इन योजनाओं की असफलता की सबसे बड़ी वजह यह रही कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के लिए उचित वातावरण हेतु जिन घटकों की जरुरत होनी चाहिए वह पूर्ण रूप से इन योजनाओं में विद्यमान नहीं थे। यहां तक कि ग्रामीण रोजगार की फ्लैग स्कीम मनरेगा की भी बात की जाए तो हमें ज्ञात है कि यह भी मूलतः अकुशल श्रम–आधारित कार्य ही मुहैया करता है इसलिए भले ही मनरेगा एक योजना के रूप में सफल रही हो परन्तु इसके हर वर्ग के युवाओं को समेटने में अक्षम होने के कारण ग्रामीण रोजगार के उद्देश्य प्राप्ति में इसका भी दायरा अत्यंत सीमित ही कहा जाएगा।

हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार के वातावरण को तैयार करने के लिए जिन तीन महत्त्वपूर्ण कार्य को करने की प्रबल आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित हैं:–

1. कार्यबल को उचित शिक्षण–प्रशिक्षण और कौशल विकास के द्वारा मानव संसाधन के रूप में परिणत करना।
2. पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. आधारभूत संरचना का विकास तथा क्षेत्र की परिस्थितियों वहां के संसाधनों आदि का अध्ययन कर उस क्षेत्र में उद्योग आदि की स्थापना जिससे रोजगार सृजित हो सकें।

कहीं न कहीं हमारी पूर्ववर्ती योजनाओं में इन सभी घटकों का सुनियोजित सम्मिश्रण करने के बजाय लोकलुभावन बनाने के प्रयास ज्यादा दिखते थे जिसके फलस्वरूप हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाए या फिर उस रूप में निदान नहीं कर पाए जैसी जरूरत थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार सत्ता में जिन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को मुद्दा बनाकर आई थी उनमें युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं गांव–गरीब का उत्थान अहम् था। प्रधानमंत्री जी ने खुद कई मौकों पर युवाओं को "जॉब सीकर्स से जॉब क्रिअटर्स" के रूप में परिणत करने के सपने का उद्‌गार किया। इस आलोक में वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती योजनाओं को नए सिरे से तराशने का कार्य तो शुरू किया ही तथा जिन तीन बुनियादी आवश्यकताओं की हमने ऊपर चर्चा की थी उसका समावेशन कर योजनाओं को नए सिरे से लागू किया गया। वर्तमान सरकार ने जहां 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास' योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल विकास के द्वारा कार्यबल को मानव संसाधन के रूप में परिणत करने की दिशा में कदम बढ़ाया वहीं मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा पूंजी की समस्या को साधने का प्रयास दिखता है, यहां तक कि मनरेगा जैसी योजना जोकि महज अकुशल श्रम के रूप में रोजगार उपलब्ध करने तक सीमित थी उसे भी कौशल विकास से जोड़ने की कोशिश की गई है। इन सबके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में अवसंरचनाओं के विकास पर बल देने वाले "रुर्बन मिशन" तथा मेक इन इंडिया जैसी मुहिम का भी ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आइए, इन सभी योजनाओं के समन्वित प्रयासों एवं उसके परिणामों को समझने का प्रयास करते हैं।

जहां स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से भारत सरकार पूरे देश में युवाओं को कुशल एवं प्रशिक्षित करने के प्रयास में है वहीं इसी प्रकार की योजना "दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना" ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केवल ग्रामीण युवाओं को मद्देनजर रखते हुए, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अंग के रूप में 25 सितम्बर 2014 को प्रारंभ की गई। यह योजना मुख्य रूप से गरीब परिवारों से आने वाले 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को कौशल्य प्रदान करने से संबंधित है। इस योजना से संबंधित सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि इसके माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले कम से कम 70 फीसदी युवाओं को न्यूनतम 6000 रुपये प्रतिमाह का कहीं न कहीं प्लेसमेंट मुहैया करा दिया जाए। मार्केट लिंक्ड तथा निजी–सार्वजनिक सहभागिता के मॉडल पर आधारित होने के कारण इस परियोजना को वांछित सफलता भी मिल रही है, तथा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के माध्यम से कुल 2,70,329 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 1,34,744 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुए, वहीं वर्ष 2016–17 (28 फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) कुल 1,48,227 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें 79,401 लोगों को इस योजना के द्वारा प्लेसमेंट भी मिली। अतः इस प्रकार की योजना जोकि मार्किट डिमांड के अनुरूप ह्यूमन कैपिटल को तैयार कर रही हो वह निश्चित ही सफल होगी। ज्ञात रहे कि ग्रामीण कौशल विकास को लेकर सरकार की संजीदगी को बजट 2017–18 के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना एवं आजीविका मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस सरकार ने 'मनरेगा' के कलेवर को बदलने के साथ–साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया इस योजना को कौशल विकास से जोड़ने का। यह सरकार सत्ता में आने के बाद से ही मनरेगा की खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत थी, जहां सरकार ने विगत वित्तीय वर्षों के दौरान मनरेगा पर आवंटन को बढ़ाया वहीं इस वर्ष 48000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई, तथा इसके साथ–साथ ही इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लाभार्थियों को आधार के माध्यम से सीधे खाते में पेमेंट करना हो या फिर इसकी उत्पादकता को बढ़ाने एवं इसके अंतर्गत ग्रामीण परिसम्पतियों के बेहतर निर्माण हेतु इसके जिओ टैगिंग की बात हो, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण व अभिनव प्रयास है "प्रोजेक्ट लाइफ"। प्रोजेक्ट लाइफ के अंतर्गत मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से मनरेगा कामगारों के कौशल विकास की परियोजना शुरू की है, ताकि ये कामगार रोजगार बाजार में आगे बढ़ सकें और अकुशल मजदूरी कार्य पर ही निर्भर न रहें। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष में कम से कम 15 दिन काम करने वाले कामगारों के परिवार से एक लाख व्यक्तियों को उनके मौजूदा कौशलों और वरीयता के अनुसार निर्धारित कौशल विकास श्रेणियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन समूहों को राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा प्रमाणित मॉडयूलों से प्रशिक्षित करके इन्हें मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों व संस्थागत

वित्तपोषण के लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार मनरेगा और डीडीयू– जीकेवाई के बीच के तालमेल से अधिक युवाओं तक कौशल विकास के कार्यक्रम को पहुंचाया जा सकता है, तथा यह मनरेगा में कार्यरत कामगारों के जीवन–स्तर को भी उठाएगा जब वह अकुशल श्रमिक से कुशल कारीगर बनेंगे।

अब तक हमने यह देखा कैसे वर्तमान सरकार ग्रामीण युवाओं को मानव संसाधन में परिणत करने के लिए प्रयासरत है तथा उन्हें रोजगार दिलाने की भी कोशिश में है। लेकिन अगर बात स्वरोजगार की करें तो इसके लिए मानव संसाधन के पास पूंजी का होना बहुत जरुरी है, तभी व्यक्ति अपने कौशल और विचारों का प्रयोग कर किसी उद्यम की नींव रख सकता है। सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई 'मुद्रा योजना' तथा स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं कमजोर तबकों की पूंजी की समस्या को दूर करती हैं। मुद्रा योजना का दरअसल उद्देश्य ही देश में सूक्ष्म उद्यमों के विकास को सहायता प्रदान करना है। मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) का कार्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सूक्ष्म उद्यम इकाईयों को 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाने पर, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत ऋण के तीन प्रकार के विकल्प हैं: शिशु (50000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50 हजार से 5 लाख रुपये तक का ऋण) एवं तरुण (5 लाख से अधिक परंतु 10 लाख रुपये तक का ऋण)। इस योजना के फलस्वरूप अपने हुनर या कौशल तथा अपने क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर छोटे–मोटे उद्यम शुरू करने की दिशा में आने वाली वित्तीय बाधा एक हद तक दूर होगी और यह ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेषकर स्वरोजगार की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम है।

इन सबके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर जो बल दिया जा रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में आई जबर्दस्त तेजी हो या फिर बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक एक करोड़ घरों के निर्माण का प्रस्ताव; ये सभी परियोजनाएं रोजगार को सृजित करने वाली हैं। इसी सरकार द्वारा लाया जाने वाला "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन" जिसके अंतर्गत गांव की आर्थिक संभावनाओं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर 300 विलेज क्लस्टर्स के निर्माण का लक्ष्य है, वह भी रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर खोलेगा।

एक तरफ जहां सरकार ग्रामीण युवाओं को कुशल और हुनरमंद बना रही है, उनके लिए पूंजी की सुलभता को सुनिश्चित कर रही है, वहीं मेक इन इंडिया जैसे मिशन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को फैलाने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तथा स्टार्टअप इंडिया के तहत प्रारम्भिक वर्षों में मिलने वाली आयकर छूट उद्योग को महानगरों में केन्द्रित होने के बजाय विविध क्षेत्रों में फैलाएंगे। क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों को मद्देनजर रखकर वहां उद्योग शुरू किया जाए तो वह उस जगह रोजगार तो सृजित करेगा ही, उत्पादक के लिए भी लागत में कमी आएगी एवं उसका मुनाफा बेहतर होगा। जैसे जहां फलों–सब्जियों की उपज ज्यादा है वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वहीं किसी जगह पर कपड़ा उद्योग या फिर कही फुटवियर उद्योग, जैसे उद्योग, उद्यमी और वहां के क्षेत्र दोनों की दृष्टि से लाभप्रद साबित हो सकते हैं। मेक इन इंडिया की मुहीम इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह सरकार सुनियोजित तरीके से ग्रामीण भारत में भी संभावनाओं को उत्पन्न करने एवं युवाओं हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है , हालांकि इस सरकार को कौशल विकास के साथ–साथ ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की तरफ भी उतनी ही संजीदगी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि गांव के युवा केवल हुनरमंद होकर किसी प्रकार जीवकोपार्जन के साधन को प्राप्त कर लेने भर का लक्ष्य मात्र ही रखते हैं। ग्रामीण युवा आबादी का वह हिस्सा जो उच्च शिक्षार्जन के सपने देखता है उसके लिए भी अवसर उपलब्ध होने चाहिए और इस क्षेत्र में अभी मौजूदा सरकार के भी प्रयास उतने प्रभावी नहीं दिखते हैं, इसलिए हमें ग्रामीण भारत में भी उच्च–शिक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण शोध संस्थानों को खोलने पर विचार करना चाहिए, तभी जाकर हम एक संतुलित समाज के निर्माण के स्वप्न को साकार कर पाएंगे।

(लेखक द्वय क्रमशः श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर तथा स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से बंधी है उम्मीदें

–श्रवण शुक्ला

ग्रामीण भारत में कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है। असंतुलित आहार की वजह से रोगों की भरमार है। अब भी ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी बच्चे हीमोग्लोबिन की कमी के शिकार हैं। गांवों में पीने के साफ पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से उन इलाकों में कुपोषण और डायरिया जैसी बीमारियां आम हैं। ग्रामीण इलाकों में अब भी न तो पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र हैं और न ही डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सें। सरकार ने सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन नामक दो योजनाएं जरूर शुरू की हैं, लेकिन अब तक आम लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को हाल ही में मिली मंजूरी से कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दी हैं। अगर वे फलीभूत होती हैं तो देश का स्वास्थ्य परिदृश्य ही बदल जाएगा।

भारत देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उन्हीं आम लोगों के पास संतुलित आहार तक नहीं पहुंचता। हमारी सरकारें अब तक इस विषय पर फेल ही साबित हुई हैं। जबकि संतुलित पोषण हर इंसान के लिए आवश्यक है। हर ग्रामीण व्यक्ति को लगभग 2400 कैलोरी का आहार लेना चाहिए, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। वैसे भी ये आम धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं। देखा जाए तो शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोगों के पास शारीरिक श्रम अधिक रहता है। अधिक कार्य करने वाले ग्रामीण को 3800 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से लेनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करते हैं या जो सामान्य काम करते हैं, उन्हें पूरे दिन में 2875 कैलोरी लेनी चाहिए।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) के 66वें अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत के दो तिहाई लोग पोषण के सामान्य मानक से कम खुराक ले रहे हैं। गांव के लोगों के पास स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पोषित आहार मौजूद रहता है, बस कमी है तो उनकी जागरूकता और जानकारी में। गांव का इंसान पौष्टिक आहार के महत्व से ही वंचित है। एनएनएसओ के अनुसार, 87 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं और 75 प्रतिशत किशोर अवस्था के बच्चे अनियमित व असंतुलित आहार के चलते अनीमिया व अल्सर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था

तेजी से बढ़ती आबादी और विभिन्न मोर्चों पर विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद लचर हाल में है। अब सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि देश में हर 893 मरीजों पर महज एक डॉक्टर है। आज़ादी के बाद के आंकड़ों के साथ तुलना करें तो भारत में स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बेहतर नजर आती है। पर आबादी तेजी से बढ़ने की वजह से खासकर ग्रामीण इलाकों में तो अब भी डॉक्टरों और अस्पतालों की भारी कमी है। भारत में स्वास्थ्य उद्योग के वर्ष 2020 तक बढ़ कर 280 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़े वर्ष 2005 के मुकाबले दस गुना ज्यादा है। बावजूद इसके इस क्षेत्र की तस्वीर अच्छी नहीं है।

शहर–गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर असीम दूरियां

आज़ादी के बाद के दशकों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में भले प्रगति की हो, इस दौरान अमीरों व गरीबों के बीच की खाई बढ़ी है। इसका असर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। अब भी ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी बच्चे हीमोग्लोबिन की कमी के शिकार हैं। गांवों में पीने के साफ पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से उन इलाकों में कुपोषण और डायरिया जैसी बीमारियां आम हैं।

ग्रामीण इलाकों में अब भी न तो पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र हैं और न ही डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सें। सरकार ने सब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन नामक दो योजनाएं जरूर शुरू की हैं, लेकिन अब तक आम लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है। तमाम कानून बनने के बावजूद मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले बहुत से डॉक्टर देश में काम करने के बदले विदेशों का रूख कर लेते हैं।

ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमीं

हमारे देश में प्रति 893 व्यक्तियों पर महज एक डॉक्टर है। इनमें एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में 9.59 लाख पंजीकृत एलौपैथिक डॉक्टर हैं। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को मिलाकर कुल 6.77 लाख और डॉक्टर हैं। ये विडंबना ही है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष सिर्फ 5500 युवा ही डॉक्टर बन पाते हैं।

कैसे आएगा ग्रामीण इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार?

स्वास्थ्य क्षेत्र की हालत सुधारने के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए एक ठोस योजना के तहत आगे बढ़ना जरूरी है। देश में खास कर निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं तो बढ़ी हैं पर महंगी होने की वजह से वह आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। स्वास्थ्य बीमा भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए थे। ऐसे में नई केंद्रीय स्वास्थ्य नीति से यकीनन कुछ बदलाव आने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार अब ग्रामीणों के लिए बना रही है हेल्थ हेल्पलाइन

ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए सरकार हेल्प लाइन स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। शीघ्र ही ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों में मां और बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल करने या शिकायत करने के लिए केंद्र सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकेंगे। वर्ष 2014 में सरकार ने समन्वित बाल विकास सेवाओं के मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर (एमसीटीएफसी) का गठन किया था। यहां से आशा कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को स्थानीय स्तर पर उन्हें दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता की जानकारी हासिल करने के लिए फोन किया जाता है।

हेल्थ हेल्पलाइन इस तरह से करेगी मदद

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन सुविधा केंद्रों में अब टोल फ्री हेल्पलाइन सुविधा भी होगी। जिसके माध्यम से पहली बार ग्रामीण आबादी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता एमसीटीएफसी के माध्यम से सरकार से संपर्क कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 10588 पर मिस्ड कॉल कर सकेगा और 90 सेकेंड के अंदर उसे फोन किया जाएगा। एमसीटीएफसी एनआईएच –एफडब्ल्यू परिसर से काम कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से उम्मीदें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 को आखिरकार दो वर्ष बाद मंजूरी मिलना एक स्वागतयोग्य कदम है। इस नीति के तहत जो उम्मीदें देशवासियों को बंधाई गई हैं, अगर वे फलीभूत होती हैं तो देश का स्वास्थ्य परिदृश्य ही बदल जाएगा।

इस नीति के मुताबिक हर भारतवासी स्वास्थ्य लाभ का अधिकारी है। स्वास्थ्य पर अभी सकल घरेलू उत्पाद का महज 1.04 प्रतिशत खर्च होता है, जिसे बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने का सरकार का इरादा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80 प्रतिशत लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त हो, जिसमें दवा और जांच भी शामिल है। स्वास्थ्य नीति में सभी मरीजों को बीमा का लाभ देने का भी प्रावधान है। उन्हें निजी अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी।

क्या है पिछली नीतियों से किस तरह है अलग

देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर पर उपलब्ध हैं, उसकी हकीकत हर ग्रामीण खुद ही जानता है। ऐसे में पिछले दो दशकों से भारत सरकार जिस परंपरागत पुराने ढर्रे पर चलते रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात कर रही थी, उसमें बदलाव बेहद जरूरी हो गया था। शायद ये समय की भी मांग रही कि मौजूदा केंद्रीय सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, इसने एक सार्थक कदम उठाया है। ये कदम है भारत देश के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। पूरे देश में 15 सालों बाद ऐसी कोई बहस हो रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के बाद फिर से एनडीए की सरकार आने पर ही सुनाई दे रही है।

बता दें कि 15 सालों पहले जब साल 2002 में केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी, तब स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवा और सस्ती दवा उपलब्ध कराना था। पर यह नीति अपने लक्ष्य में लगभग नाकाम रही। इसके बावजूद आश्चर्य होता है कि आने वाली सरकारों को ये सोचने का समय भी नहीं मिला कि देश के स्वास्थ्य को कैसे संभाला जाए। बहरहाल, नयी नीति में बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, नवीन प्रौद्योगिकी एवं नई–नई

बीमारियों की चुनौतियों के दृष्टिगत जनस्वास्थ्य के सभी आयामों को शामिल किया गया है।

नई स्वास्थ्य नीति में जहां सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बनायी है, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन तथा विशेषज्ञीकरण पर भी जोर दिया गया है। अभी तक ये स्वास्थ्य केन्द्र महज प्रसव–पूर्व जांच, टीकाकरण तथा मामूली बीमारियों के इलाज तक ही सीमित थे। अब इस व्यवस्था में व्यापक बदलाव प्रस्तावित हैं ताकि देश के 80 फीसदी लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर दवा, जांच और डॉक्टरी परामर्श मिल सके। इस नीति में मरीजों को निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी तथा इनका भुगतान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया जाएगा।

वैसे ये जानना बेहद जरूरी है कि आज देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग विशेषज्ञ परामर्श तथा लगभग 60 प्रतिशत लोग इलाज के लिए भर्ती होने के लिए निजी अस्पतालों की शरण लेने के लिए मजबूर हैं जिसका भुगतान उन्हें अपने जेब से ही करना पड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार निजी अस्पतालों की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों की तुलना में दो से नौ गुना तक महंगी है। नई नीति में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया है तथा प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है और गलत इलाज पर मरीजों के शिकायत और अन्य विवाद के शीघ्र निबटान के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है।

नयी नीति में बेहतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाते हुए मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने तथा मधुमेह, हृदयरोग एवं उच्चरक्तचाप जैसे गैर–संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। विचारणीय है कि आधुनिक जीवन शैली व प्रदूषण के चलते भारत के बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी तेजी से मधुमेह, हृदय और उच्चरक्तचाप जैसे गैर–संचारी रोगों का शिकार हो रहे हैं, वहीं कुपोषण और टी.बी. जैसे रोग वैश्विक परिदृश्य में भारत की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार हृदयघात से मौत का वैश्विक औसत जहां प्रति एक लाख व्यक्तियों में 235 का है वहीं भारत में यह औसत 272 है। इंडियन मेडिकल कौंसिल के अनुसार मधुमेह से भारत में साल 2005 में 2.24 लाख मौतें दर्ज की गई जबकि 2015–16 में यह आंकड़ा 3.46 लाख तक पहुंच गई है अब तो भारत को मधुमेह की वैश्विक राजधानी का भी दर्जा दिया जा रहा है। साल 2015 में लगभग 4.80 लाख लोग टी.बी. से मारे गये जबकि 2014 में यह आंकड़ा 2.20 लाख था। देश में 5 साल से कम लगभग 58 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं वहीं 53 फीसदी महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं।

	हृदयाघात से हुई मौतें	मधुमेह	तपेदिक
साल 2005		2.24 लाख	3.46 लाख
साल 2014–2015	272 (प्रति लाख में)	4.80 लाख	2.20 लाख

नई नीति में जनस्वास्थ्य के व्यय को समय के हिसाब से धीरे धीरे समूची जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है जिसकी आवश्यकता दशकों से थी। वर्तमान में यह खर्च 1.04 प्रतिशत है।

वैसे सरकार अभी भी स्वास्थ्य को भोजन और सूचना के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं ला पाई है। इन परिस्थितियों में मोदी सरकार की नई स्वास्थ्य नीति जनता को कितनी राहत पहुंचा पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तथा प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है और गलत इलाज पर मरीजों के शिकायत और अन्य विवाद के शीघ्र निबटान के लिए ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है। नयी नीति में बेहतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाते हुए मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने तथा मधुमेह, हृदयरोग एवं उच्च रक्तचाप जैसे गैर–संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। विचारणीय है कि आधुनिक जीवन शैली व प्रदूषण के चलते भारत के बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी तेजी से मधुमेह, हृदय और उच्च रक्तचाप जैसे गैर–संचारी रोगों का शिकार हो रहे हैं, वहीं कुपोषण और टी.बी. जैसे रोग वैश्विक परिदृश्य में भारत की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार हृदयघात से मौत का वैश्विक औसत जहां प्रति एक लाख व्यक्तियों में 235 का है वहीं भारत में यह औसत 272 है। इंडियन मेडिकल कौंसिल के अनुसार मधुमेह से भारत में साल 2005 में 2.24 लाख मौत दर्ज की गई जबकि 2015–16 में यह आंकड़ा 3.46 लाख तक पहुंच गया है। अब तो भारत को मधुमेह की वैश्विक राजधानी का भी दर्जा दिया जा रहा है। साल 2015 में लगभग 4.80 लाख लोग टी.बी. से मारे गए जबकि 2014 में यह आंकड़ा 2.20 लाख था। देश में 5 साल से कम लगभग 58 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं वहीं 53 फीसदी महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं।

नई नीति में जनस्वास्थ्य के व्यय को समय के हिसाब से धीरे–धीरे समूची जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है जिसकी आवश्यकता दशकों से थी। वर्तमान में यह खर्च 1.04 प्रतिशत है। वैसे सरकार अभी भी स्वास्थ्य को भोजन और सूचना के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं ला पाई है। इन परिस्थितियों में मोदी सरकार की नई स्वास्थ्य नीति जनता को कितना राहत पहुंचा पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

(लेखक पत्रकार हैं और स्वस्थ भारत अभियान से भी जुड़े हैं। वर्तमान में नेटवर्क 18 मीडिया समूह में कार्यरत हैं।)

ई–मेल : epatrakaan@gmail.com

गांवों में साफ-सफाई को लेकर आई जागरूकता

–संजय श्रीवास्तव

देश के गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता की एक नई लहर उठने लगी है। जो काम वहां अब तक नहीं हुए थे, वो अब हो रहे हैं। बड़ी तादाद में देश के लाखों गांव शौचालयों से युक्त हो रहे हैं, सेनिटेशन की एक नई अवधारणा लोगों की समझ में आने लगी है– सबसे बड़ी बात जो इन दो–तीन वर्षों में हुई है, वो ये है कि लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया है कि खुले में शौच करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं। इसी तरह पानी की स्वच्छता को लेकर नई समझ विकसित हो रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। अगर असल देश के दर्शन करने हो तो बस कही नहीं, गांवों में घूम आइए। वैसे ये भी सही है कि भारत को छोड़ दुनिया में शायद कोई ऐसा देश होगा, जहां इतनी प्रचुर संख्या में गांव होंगे और जो संस्कृति से लेकर कृषि और विविध संस्कृति की एक समृद्ध और रंगबिरंगी तस्वीर पेश करते होंगे। आज भी जब गांवों की बात होती है तो वहां के हरे–भरे खेत, शुद्ध आबोहवा और प्रकृति के साथ तालमेल की अलग ही मनोरम तस्वीर उभरती है। ये तस्वीर अब और बेहतर हो रही है क्योंकि देश के गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता की एक नई लहर उठने लगी है। जो काम वहां अब तक नहीं हुए थे, वो अब हो रहे हैं। बड़ी तादाद में देश के लाखों गांव शौचालयों से युक्त हो रहे हैं, सेनिटेशन की एक नई अवधारणा लोगों की समझ में आने लगी है– सबसे बड़ी बात जो इन दो–तीन वर्षों में हुई है, वो ये है कि लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया है कि खुले में शौच करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं। इसी तरह पानी की स्वच्छता को लेकर नई समझ विकसित हो रही है। अब गांव जाने पर ये दिखने लगा है कि किस तरह ज्यादातर घरों में या तो पक्के शौचालय बन चुके हैं या फिर बन रहे हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार 68.84 प्रतिशत भारतीय देश के 6,40,867 गांवों में ही निवास करते हैं। भारत में 2,36,004 गांव ऐसे हैं, जहां की आबादी 500 व्यक्तियों से भी कम है, जबकि 3,676 गांवों की आबादी 10,000 व्यक्तियों से भी अधिक है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में पिछले दो सालों में 3.9 करोड़ घर शौचालय युक्त हो चुके हैं। करीब 1.9 लाख गांव ऐसे हैं, जहां लोग अब खुले में शौच जाने से तौबा कर चुके हैं यानी वो हो चुके हैं स्वच्छता से चकाचक।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में बताया, ''उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे स्थित 75 प्रतिशत गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है।'' आकंड़ों के अनुसार इन गांवों की संख्या 3,735 है, जहां हर घर में शौचालय की सुविधा है। इस सुविधा में सरकार भागीदार बनी है, जिसने गांव के लोगों को इसके निर्माण के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई है। ये मदद बहुत आसान है। पंचायतों से लेकर जिला–स्तर पर संबंधित कार्यालयों से लेकर जिले की सरकारी वेबसाइट पर इसकी सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आपको ये तक बताया गया है कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। इस तरह के शौचालयों में किस तरह की दूसरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्म को भरिए और इसके लिए आर्थिक मदद हासिल कर लीजिए। पहले अगर इसके लिए आर्थिक मदद 10 हजार रुपये थी तो अब ये बढ़कर 12 हजार हो गई है। इसमें केंद्र सरकार 9000 रुपये देती है तो 3000 रुपये राज्य सरकार की ओर से मिलते हैं।

ये आसान प्रक्रिया है। पात्र परिवारों द्वारा शौचालय के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है। संबंधित विकास अधिकारी की मंजूरी के बाद खुद की राशि से घर में निश्चित

डिजाइन के आधार पर शौचालय का निर्माण कराना होता है। जब पंचायत इस निर्मित शौचालय का सत्यापन कर देती है तो लाभार्थी के खाते में सरकार की ओर से तय धनराशि पहुंच जाती है।

हो सकता है कि किसी गांव में पारिवारिक शौचालयों के लिए जगह की कमी हो तो फिर उसके लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर की व्यवस्था की जाएगी। समुदाय या ग्राम पंचायत उनके परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे। इसको बनाने के लिए अधिकतम दो लाख रुपये का प्रावधान है। इसमें ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत सहयोग राशि उपलब्ध करानी होती है।

जिस रफ्तार से ये योजनाएं चल रही हैं और गांवों में लोग इन्हें हाथों–हाथ ले रहे हैं, उससे लगता है कि अगले दो सालों में वाकई देश की तस्वीर बदल जाएगी। तब ये कहना वाकई गर्व की बात होगी कि भारत के सभी गांवों के करोड़ों घर अब शौचालयों से युक्त हैं। कहीं कोई भी गांव या जिला ऐसा नहीं है, जहां लोग खुले में शौच कर रहे हों। केंद्र और सरकारी एजेंसियों ने इस प्रोग्राम को जिस तरह लागू किया और जिस तरह लोगों का सहयोग मिला, वो

ग्रामीण घरों में सबसे ज्यादा शौचालय (प्रतिशत में)	
सिक्किम	98.2
केरल	97.6
मिजोरम	96.2
हिमाचल प्रदेश	90.4
नगालैंड	90.2
ग्रामीण घरों में सबसे कम शौचालय (प्रतिशत में)	
झारखंड	18.8
छत्तीसगढ़	21.2
ओडिशा	26.3
मध्य प्रदेश	27.5
उत्तर प्रदेश	29.5
खुले में शौच की स्थिति	
ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के लिए जाने वाले लोग	52.1 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच के लिए जाने वाले लोग	7.5 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय वाले घर	45.3 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में शौचालय वाले घर	88.8 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय में पानी की उपलब्धता वाले घर	42.5 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में शौचालय में पानी की उपलब्धता वाले घर	87.9 प्रतिशत

दिखाता है कि एक समझ और नजरिया विकसित करने की जरूरत है, फिर लोगों की समझ में आने लगता है कि उनके लिए गलत और सही क्या है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को रोकने में प्रचार माध्यमों से भी खासी मदद मिल रही है। कई ऐसे गांव भी हैं, जहां खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना किया जाता है या फिर उनका बहिष्कार तक हो जाता है।

पिछले दिनों राज्यसभा में पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री ने बताया था कि पिछले वर्ष स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत के बाद से शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 46 प्रतिशत ग्रामीण घरों में अपने शौचालय हैं। मंत्रालय की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली पर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हिसाब से 46.01 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय हैं।

प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनकी सरकार ने इस काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2014 में सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए जाने के बाद 130 जिलों में 1.8 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच–मुक्त घोषित कर दिया गया हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में शौचालय सुविधा वाले घरों का प्रतिशत 42 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। ये भी बताया कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है जबकि गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्य उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। निःसंदेह हमारे नित्य जीवन में कचरे से हम मुक्ति तो नहीं पा सकते, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर इसका उपयोग ऊर्जा या खाद के उत्पादन में होने लगे, लिहाजा गांवों में इस तरह की योजनाएं भी साथ–साथ लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की योजना बनायी है ताकि गांवों का कचरा नदी को प्रदूषित नहीं करे। प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि ये सब लागू होने के बाद वर्ष 2019 तक गंगा का तट जल्द ही खुले में शौचमुक्त बनेगा। हमारी ये पवित्र नदी वाकई तब पुण्यसलिला बन जाएगी। ये भी विकल्प तलाशा जाएगा कि किस तरह कचरे से बिजली पैदा कर उसे आजीविका का जरिया बनाए जाए या फिर कचरे को रिसाइकिल करके खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाए।

बजट में लगातार बढ़ोतरी

स्वच्छता मिशन की शुरूआत के समय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,850 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जोकि चालू वित्तवर्ष में बढ़ाकर 9000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इसमें लगातार बढोतरी की जा रही है। वर्ष 2014–15 का बजट आवंटन 2,850 करोड़ था जबकि इसके अगले वित्तवर्ष में 6,525 करोड़ रुपये। इसे 2016–17 में बढ़ाकर 9000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी से जाहिर है कि सरकार किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन को प्राथमिकता दे रही है।

गांधी जी का सपना

पता नहीं कितने लोगों को ये मालूम है कि नहीं कि गांधीजी जब वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तब उन्होंने

'हर घर जल' का सपना वर्ष 2030 तक होगा साकार

सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2021 तक देश में लगभग 28000 प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन शुरू किया है। राज्यों के सहयोग से मिशन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां एक ओर पश्चिम बंगाल आर्सेनिक की समस्या से बुरी तरह प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान पेयजल में फ्लोराइड की मौजूदगी से जूझ रहा है, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 17 लाख 14 हजार ग्रामीण बस्तियां हैं, जिनमें से लगभग 77 फीसदी बस्तियों को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 40 लीटर से भी ज्यादा सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। उधर, इनमें से लगभग 4 फीसदी बस्तियां जल गुणवत्ता की समस्याओं से जूझ रही हैं। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि पेयजल एवं स्वच्छता की दोहरी चुनौतियों से निपटने के दौरान धनराशि मुहैया कराने के मामले में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 12 राज्यों के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रियों ने 'सभी के लिए जल और स्वच्छ भारत' पर आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

श्री तोमर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक प्रत्येक घर को निरंतर नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए लक्ष्य पूरा होने तक हर वर्ष 23000 करोड़ रुपये के केंद्रीय कोष की जरूरत पड़ेगी। मंत्री महोदय ने कहा कि देश के नागरिकों की भागीदारी के बगैर 'हर घर जल' के सपने को साकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 2000 ब्लॉक ऐसे हैं जहां सतह एवं भूमिगत जल स्रोतों की भारी किल्लत है। उन्होंने 'मनरेगा' जैसी योजनाओं के बीच समुचित सामंजस्य बैठाते हुए युद्धस्तर पर जल संरक्षण के लिए आह्वान किया।

श्री तोमर ने यह भी बताया कि अक्तूबर, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के शुभारंभ के बाद से लेकर अब तक स्वच्छता कवरेज 42 फीसदी से बढ़कर 62 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं केरल, जो ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) राज्य हैं, के अलावा 4–5 और राज्य भी अगले 6 महीनों में ओडीएफ हो सकते हैं। अब तक 119 जिले और 1.75 लाख गांव ओडीएफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस दिशा में समय पर प्रगति के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। मंत्री महोदय ने यह बताया कि एसबीएम के शुभारंभ से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3.6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 'मनरेगा' के तहत 16.41 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।

तय किया कि अब वह इस देश को जानेंगे, इसके लिए उन्होंने देशभर का भ्रमण शुरू किया। इसके जरिए वो अगर आज़ादी आंदोलन के लिए देश की जनता को समझबूझ रहे थे तो उनके मन में एक सामाजिक आंदोलन भी जन्म ले रहा था। वह देश में गंदगी का आलम और जात–पात की बाधाओं को देखकर विचलित थे। वह जहां कहीं भी जाते थे तो स्वच्छता की अपील जरूर करते थे। बल्कि यूं कहिए कि खुद ही साफ–सफाई करके लोगों को अहसास दिलाते थे कि हमारे रोजाना के जीवन में सफाई का कितना महत्व है। वह दिल से चाहते थे कि हमारे गांव और शहर स्वच्छ हों। उन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा भी। गांधी जी ने देश को आज़ाद करा दिया लेकिन उनके मन में ये कसक जरूर थी कि वह स्वच्छता को लेकर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं छेड़ सके। जो काम गांधी जी छोड़ गए थे, उसे पूरा करने का दायित्व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बखूबी समझ रही है। इसलिए वह महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना चाहती है। जिस दिन भारत के गांव स्वच्छ हो गए, यकीन मानिए कि अपना देश उसी दिन असली स्वच्छ भारत हो जाएगा। यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, ''गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह किया तो गंदगी के खिलाफ एक युद्ध शुरू करने के लिए एक स्वच्छाग्रह शुरू करने का समय आ गया है।''

मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत का लक्ष्य शहरों से कहीं ज्यादा गांवों के लिए है। ग्रामीण भारत के लिए केंद्र सरकार ने निर्मल भारत अभियान चलाया हुआ है, ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की मांग–आधारित एवं जनकेंद्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना, स्व–सुविधाओं की मांग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करने के साथ ग्रामीणों के जीवन–स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य शामिल हैं। इसमें अगर वर्ष 2017 तक संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन करने की बात है तो वर्ष 2020 तक उन्नत स्वच्छता प्रथा अपनाने का लक्ष्य, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को, खासतौर पर बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों का सुरक्षित स्वच्छता पर पूरा जोर होगा। फिर 2022 तक गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पूरी तरह होने लगेगा। यानी ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन इस प्रकार होगा कि गांव का परिवेश हर समय स्वच्छ बना रहे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। इस अभियान को बड़े पैमाने पर करके गांवों में रहने वाले लोगों के साथ ही स्कूल के शिक्षकों और वहां पढ़ रहे बच्चों को भी इससे जोड़ा जाएगा। स्कूल–स्तर पर ही बच्चे अगर खुद सफाई से जुड़ें और खुद वहां सफाई के

कामों में हाथ बंटाएं तो उनमें स्वच्छता को लेकर एक प्रवृत्ति शुरू से विकसित होगी। इससे देशभर की ग्रामीण पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद भी जोड़े जाएंगे। साथ ही, गांवों में पेयजल की शुद्धता की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।

गांव जो बने मिसाल

ऐसा भी नहीं है कि ये मान लिया जाए कि सरकार के हाथों में जादू की छड़ी है। उससे वो सब कुछ बदल देगी। इसमें गांवों की स्वैच्छिक भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। कुछ गांव तो वाकई उदाहरण पेश कर रहे हैं जहां का हर नागरिक स्वच्छता को लेकर खुद जागरूक है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के गांव रक्षम के लोग सफाई को लेकर काफी जागरूक हैं। गांव को जरा भी गंदा नहीं होने देते। इस गांव के निवासियों में युवा अत्यधिक हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, जो गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग करते हैं। पंचायत की ओर से 150 परिवारों को मुफ्त डस्टबिन और झाड़ू बांटी गई हैं। गांव की आबादी दो हजार के करीब है। सफाई ढंग से हो सके इसके लिए वार्ड–स्तर पर कई कमेटियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लोग स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि आपको गांव में ढूंढने से भी गंदगी नहीं मिलेगी।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के बलिया का गांव छिलौनी एक उदाहरण बन गया है। इस गांव के लोग हर रविवार को सफाई दिवस के तौर पर मनाते हैं। मिलकर पूरे गांव की सफाई करते हैं। इस गांव के 60 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी करते हैं। रविवार को फुर्सत मिलने पर मिलकर सफाई में जुट जाते हैं। गांव के तालाब, सड़कें, गलियों को हर रविवार साफ किया जाता है।

इसी तरह हरियाणा के गांव झट्टीपुर में कदम रखते ही इस गांव के कुछ खास होने का अहसास हो जाएगा। दिल्ली से 92 किलोमीटर दूर पानीपत जिले के इस गांव की सड़कों पर कहीं कूड़ा नहीं दिखता। हर गली के लिए एक अलग सफाई कर्मचारी। हर घर में पक्का शौचालय। हर व्यक्ति में सफाई का जज़्बा। महज तीन महीने में इस गांव ने अपनी शक्ल बदल ली। इसके सरपंच हैं अशोक, जिन्होंने झट्टीपुर का सरपंच चुने जाते ही तय कर लिया कि वो गांव को बदल डालेंगे। उन्होंने पहला काम किया लोगों की सोच को बदलने का। शौचालय बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी मदद की जानकारी तो दी, लेकिन पैसे के मिलने का इंतजार नहीं किया। आपसी मदद से उन घरों में शौचालय बना डाले जहां इनकी कमी थी। सड़कों की सफाई के लिए एक खास तरीका अपनाया गया। हर गली के सफाईकर्मी का नाम, फोन नंबर और सफाई का समय उस गली की दीवार पर लिखा है। इसके बावजूद अगर सड़क पर गंदगी दिखे तो इसकी शिकायत सरपंच के मोबाइल नंबर पर की जा सकती है। सफाई से जुड़ी किसी भी शिकायत की सुनवाई पंचायत 24 घंटे के भीतर करती है। अब पंचायत जल्द ही यहां ई–टॉयलेट लगाने जा रही है। हालांकि ऐसे साफ–सुथरे गांवों की कमी नहीं है। पिछले दो–ढाई बरसों में उनकी तादाद बढी है। अगर इन गांवों की तरह लोग सफाई के प्रति जागरूक हो जाएं तो देश की नई तस्वीर बन जाएगी।

ग्रामीण घरों में शौचालय

ग्रामीण घरों में शौचालयों की संख्या के मामले में देश के श्रेष्ठ पांच राज्यों में सिक्किम सबसे आगे है. यहां 98.2 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय हैं, जबकि सबसे कम शौचालयों वाले पांच राज्यों में झारखंड सबसे आखिरी पायदान पर है। इस राज्य में केवल 18.8 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही शौचालय हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sanjayratan@gmail.com

वे साधारण लोग, जिन्होंने दिया 'स्वच्छ भारत' में महत्वपूर्ण योगदान

कुंवर बाई : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव में रहने वाली इन 105 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी। इस तरह उन्होंने एक मिसाल कायम कर गांव के अन्य लोगों को भी अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया और गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं. वे स्वच्छ भारत मिशन की प्रतीक हैं।

राजेश थापा : पश्चिम सिक्किम में एक माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश थापा ने छात्रों को प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों से गुलदस्ते और अन्य उपयोगी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक किया।

सुशीला कंवर : राजस्थान के उदयपुर जिले के एक गांव की सरपंच सुशीला कंवर ने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया. उन्होंने खुले में शौच जाने वाले लोगों को शर्मिंदा करने और रोकने तथा घरों में शौचालय बनवाने के लिए छात्रों को भी अपने अभियान में शामिल किया। उन्होंने खुले में शौच जाने और अपने घरों में शौचालय न बनवाने वाले ग्रामीणों पर जुर्माना भी लगाया।

स्वच्छता पखवाड़ा लेखा-जोखा

नौवहन मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया

स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 से 31 मार्च, 2017 तक स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया गया और इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुंबई में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के परिसर में 16 मार्च 2017 को नौवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस आह्वान के साथ शुरू किया गया था कि गांधीजी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को उनकी 150 वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक साकार किया जा सके। नौवहन मंत्रालय और उसके सभी संगठनों ने स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है जोकि एक साल तक चलेगा। बंदरगाहों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक 22 पॉइंट एजेंडे पर सहमति हुई है जिसमें गोदियों और शेडों की सफाई, शेड की मरम्मत, नीलामी और सभी अनुपयुक्त वस्तुओं और लावारिस वस्तुओं के निपटान, सभी संकेतकों और बोर्डों के पेंट के लिए एक समान रंग कोड (एक बंदरगाह के लिए अद्वितीय एवं अलग रंग) शामिल है; पार्कों की सफाई और सौंदर्यीकरण, टाइल लगाना, सभी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का आधुनिकीकरण नियमित दूरी पर डस्टबिन रखना जिन पर स्वच्छता और साफ–सफाई सम्बंधित संदेश लिखे हो। साथ ही, सभी कार्यालय परिसरों और घरों की सफेदी और पेंट उचित रंगों के साथ किया जाए।

कार्यालयों/कार्यस्थलों में फाइल, रिकॉर्ड, डाक पैड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात को सलीके से रखा जाए; मूर्तियों की सफाई और पेंट, सभी जल निकासी और स्टॉर्म वाटर सिस्टम की सफाई और मरम्मत सहित खुले इलाके, रास्ते और कोनों में वृक्षारोपण किया जाए और ऐसे विभागों और अधिकारियो को पुरस्कृत किया जाए जिनका क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र सबसे स्वच्छ हो। स्टाफ को स्वच्छ वातावरण के महत्व को उजागर करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अनावश्यक वनस्पति को हटाया जाए, जहाजों पर ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई और भंडारण किया जाए और मलीय कचरे का उपचार किया जाए।

नियमित अंतराल पर संगठन के कार्यालय परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर पुराने अभिलेखों और फाइलों को हटाने /निकालने, अप्रयुक्त अप्रचलित लेखों को हटाने /निपटान का कार्य किया जाए व बेहतर स्थान प्रबंधन के साथ कार्यालय पर रखे फर्नीचर/फिक्सचर और अन्य सामान की नियमित और उचित सफाई की जाए।

स्वच्छ भारत पखवाड़ा नौवहन मंत्रालय, बंदरगाहों और अन्य संगठनों जैसे डीजी शिपिंग, एससीआई, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइटहाउसिस और लाइटशिपस का अपने परिसर में साफ–सफाई का एक वर्ष के लंबे प्रयासों की परिणति है। इस अवधि के दौरान पुरानी फाइलों के निपटान के साथ फाइलों का डिजिटाइजेशन, सभी अप्रचलित लेखों का निपटान, कमरों का पुनर्निर्माण, शौचालय और सभी कर्मचारियों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय ने भी 16 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस दौरान पर्यटन स्थलों–हुमायूं का मकबरा, फिरोजशाह कोटला मैदान, पुराना किला और तीस जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी मैमोरियल की साफ–सफाई की गई। साथ ही, पर्यटन मंत्रालय के प्रांगण के भीतर और आस–पास भी सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान पुरानी फाइलों को हटाने का कार्य भी किया गया। पर्यटन मंत्रालय के ट्रांसपोर्ट भवन में भी साफ–सफाई अभियान चलाया गया। वॉटर कूलर, शौचालय, छत और बालकनी की सफाई स्टाफ कर्मचारियों ने मिलकर की। साथ ही, पुराने और टूटे–फूटे फर्नीचर, अलमारियों, खराब फोटोस्टेट मशीन आदि को भी हटाया गया।

''सवा–सौ करोड़ देशवासियों के मन में गंदगी के प्रति गुस्सा पैदा हो। एक बार गुस्सा पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी, उसके प्रति रोष पैदा होगा, हम ही गंदगी के खिलाफ कुछ–न–कुछ करने लग जाएंगे। ...जब से स्वच्छता के आन्दोलन की शुरूआत हुई है, जागरूकता आई है। हर कोई उसमें सकारात्मक रूप से जुड़ता चला गया है। उसने एक आंदोलन का रूप भी लिया है। गंदगी के प्रति नफरत भी बढ़ती चली जा रही है। जागरूकता हो, सक्रिय भागीदारी हो, आंदोलन हो, इसका अपना महत्व है ही। लेकिन स्वच्छता आंदोलन से ज्यादा आदत से जुड़ी हुई होती है। ये आंदोलन आदत बदलने का आंदोलन है, ये आंदोलन स्वच्छता की आदत पैदा करने का आंदोलन है, आंदोलन सामूहिक रूप से हो सकता है। काम कठिन है, लेकिन करना है। मुझे विश्वास है कि देश की नयी पीढ़ी में, बालकों में, विद्यार्थियों में, युवकों में, ये जो भाव जगा है, ये अपने–आप में अच्छे परिणाम के संकेत देता है।''

–प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

26 मार्च, 2016 को आकाशवाणी से प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम के अंश

'नमामि गंगे' का दिखने लगा है रंग

–रत्ना श्रीवास्तव

पुण्य सलिला गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार न केवल गंभीर है बल्कि कई ऐसे कदम उठाए गए हैं कि लगने लगा है कि नमामि गंगे परियोजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। गंगा में कई जगह ऊपरी सतह से गंदगी निकालने का काम चल रहा है। ऐसा ही गंगा की सहायक नदियों और यमुना के लिए किया जा रहा है। गंगा को प्रदूषित करने वाली यूनिट्स को बंद करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कानपुर की तमाम टेनरीज को कुछ महीनों में वहां से हटाकर अन्यत्र भेजा जा रहा है।

2525 किलोमीटर लंबी गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। गंगा हमेशा से जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मानी गई है। लगातार प्रदूषण ने इसे खासा नुकसान पहुंचाया है। जो गंगा कभी एकदम साफ थी, वो अब शहरों की गंदगी ढोते–ढोते थकी लगने लगी है। इसे फिर से पावन और निर्मल करने के प्रति केंद्र की एनडीए सरकार खासी गंभीर है, इसीलिए पुण्यसलिला की सफाई के लिए अलग मंत्रालय ही बनाया हुआ है। सरकार का दावा है कि जो काम बीते तीस सालों में नहीं हो सका, नमामि गंगे' परियोजना उसे वर्ष 2020 तक करके दिखाएगी।

मार्च के पहले सप्ताह ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत (एनएमसीजी) दो हजार करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और झारखंड में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने में मदद मिलेगी। जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रमना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इस प्लांट के लगने से 50 एमएलडी दूषित जल साफ किया जा सकेगा। इसके अलावा हरिद्वार, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, बद्रीनाथ, ऋषिकेश में नए एसटीपी लगाने की अनुमति दी गई है। इन एसटीपी के लिए धन केंद्र सरकार देगी। ये मंजूरी मार्च के पहले हफ्ते में दी गई। खास बात ये भी है कि एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की बैठक में जिन 20 परियोजनाओं को मंजूर किया गया, उसमें 13 उत्तराखंड की ही हैं। इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी उत्तराखंड जल निगम को मिली है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उनमें हरिद्वार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा जगजीतपुर सीवरेज शोधन संयंत्र, जगजीतपुर फेज–दो 27 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तपोवन ऋषिकेश सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उच्चीकरण, हरिद्वार सराय 14 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। साथ ही जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर, ऋषिकेश लक्कड़ घाट के लिए छह एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता को बढाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। गंगा में गंगोत्री से ही जिस तरह गंदगी शुरू होती है, उसमें ये नई परियोजनाएं बहुत माकूल साबित होंगी। इन परियोजनाओं को हरी झंडी देते समय ध्यान रखा गया कि उन शहरों की सफाई पर खास ध्यान दिया जाए जो गंगा के किनारे बसे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस पवित्र स्थान की यात्रा करने वालों के उत्सर्जित मल–जल का उपचार भी कोई कम बड़ी चुनौती नहीं। वाराणसी में भी सालभर में लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, यहां प्रदूषण रोकने के लिए सार्वजनिक–निजी–भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल वाली 151 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू होगी।

उत्तराखंड के लिए मंजूर की गई अन्य परियोजनाओं में चार अलकनंदा नदी का प्रदूषण दूर करने से संबंधित हैं, ताकि नीचे की तरफ नदी की धार का स्वच्छ प्रवाह बना रहे। चूंकि यहां गंगा नदी की राह में जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कीर्तिनगर जैसे शहर पड़ते हैं, ऐसे में यहां भी पुण्यसलिला को साफ रखने के लिए नए छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे जिन पर करीब 78 करोड़ रूपये की लागत आएगी। ऋषिकेश में भी 158 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजना का अनुमोदन किया गया है। गंगा जैसे ही पर्वत से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ऋषिकेश से नगरीय प्रदूषण गंगा में मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए ऋषिकेश की परियोजना वाकई काफी उपयोगी होगी। इसमें न केवल सभी शहरी नालों को ऋषिकेश में गंगा में जाने से रोका जा सकेगा बल्कि उत्सर्जित जल को उपचार के बाद फिर इस्तेमाल लायक बनाया जाएगा।

यमुना साफ रहे और उसमें गंदगी जाने से रोकी जा सके, इस क्रम में 564 एमएलडी क्षमता के अत्याधुनिक ओखला जल–मल उपचार संयंत्र के निर्माण को मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा

पीतमपुरा और कोंडली में 100 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली नई मल–जल पाइपलाइनें बिछाने की दो परियोजनाएं स्वीकृत की गईं ताकि रिसाव रोका जा सके। इसी तरह पटना में कर्मालिचक और झारखंड में राजमहल में 335 करोड़ रुपये से अधिक लागत से मल–जल निकास संबंधी कार्यों का भी कार्यसमिति की बैठक में अनुमोदन किया गया।

इससे पहले 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत सात जुलाई 2016 को लघु अवधि एवं मध्यम अवधि की 231 परियोजनाएं शुरू की गईं। ये गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के पास स्थित विभिन्न नगरों के घाटों, शवदाह गृहों के आधुनिकीकरण और विकास, जैव विविधता केंद्र स्थापित करने, नदी तल की सफाई के लिए ट्रेश स्कीमर के उपयोग करने, सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित करने, सीवेज पंपिंग स्टेशन, मछली पालन केंद्र, नालों के अपशिष्ट जल के परिशोधन के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं और वनीकरण से संबंधित हैं। तब कुल 123 घाट, 65 शवदाह गृह, 8 जलमल अवसंरचना और 35 अन्य परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

नमामि गंगे परियोजना के पहले चरण में स्कीमर से इलाहाबाद समेत चार जिलों में गंदगी साफ की जा रही है। गंगा की ऊपरी सतह की गंदगी छानने के लिए ऐसी स्कीमर वाराणसी, गढ़ मुक्तेश्वर और कानपुर को भी दी गई हैं। मथुरा में भी स्कीमर यमुना की सफाई करेगी।

48 माह तक पूरा करने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री श्री उमा भारती का कहना है कि इन परियोजनाओं को 18 माह से 48 माह के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण कार्यक्रम को वर्ष 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नमामि गंगे कार्यक्रम की 20,000 करोड़ रुपये की लागत में 7,272 करोड़ रुपये मौजूदा एवं नए कार्यक्रमों के लिए हैं। सरकार ने 110 शहरों की पहचान की है जहां नदी–झीलों में अशोधित जल–मल बहाया जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 114 नालों की पहचान की गई है। वे प्रतिदिन औसतन 6,61.4 करोड़ लीटर जल–मल और उद्योगों से निकलने वाला पानी बहा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30 जून 2016 को 53 शहरों में 97 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही राज्यसभा में जानकारी दी थी कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सफाई के लिए वर्ष 2016–17 तक 1,627.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री श्री विजय गोयल ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 'गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना 2015' (जीआरबीएमपी) की सिफारिशों के अनुसार परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा की मुख्यधारा पर स्थित पांच राज्यों में समग्र रूप से प्रदूषण फैलाने वाले 764 उद्योगों को सूचीबद्ध किया है जो गंगा नदी में लगभग 500 एमएलडी अपशिष्ट जल छोड़ते हैं। गंगा की मुख्यधारा पर स्थित 144 नालों से लगभग 6600 एमएलडी अपशिष्ट छोड़ा जाता है।

राज्य सरकारों का सहयोग भी जरूरी

नमामि गंगे की सफलता के लिए राज्य सरकारों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आते ही इस काम में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने गोमती नदी में 15 मई तक साफ पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये काम इतना आसान तो नहीं लगता क्योंकि गोमती आमतौर पर गंदे नाले में तब्दील हो गई लगती है। पीलीभीत के गोमद ताल, माधवटांडा से लेकर सीतापुर, हरदोई, लखनऊ बहराइच, जौनपुर व बनारस से पहले कैथीधार पर जाकर गंगा से मिलने वाली गोमती अपने 325 किलोमीटर लम्बे मार्ग में कहीं भी साफ नहीं है। इसकी सफाई के लिए गोमती रिवरफ्रण्ट डेवलपमेंट परियोजना शुरू की गई है लेकिन अब तक इसका काम बहुत धीमा रहा है।

हटेंगी टेनरीज

गंगा सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानपुर, उन्नाव और कन्नौज के चमड़ा कारखानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने जा रही है। जुलाई तक इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गंगा किनारे बसे शहर कानपुर, कन्नौज और उन्नाव में बड़ी तादाद में टैनरियां हैं, जहां चमड़े की सफाई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की भूमिका 'नमामि गंगे' परियोजना में सबसे अहम है। यहां इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद, कन्नौज, बुलंदशहर और वृंदावन में 2900 करोड़ रुपये की कुल 19 परियोजनाएं चल रही हैं।

हिण्डन और उत्तर भारत की नदियां

जब हम गंगा पर टेनरीज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के करीब यमुना में मिलने वाली हिंडन की स्थिति को भी देखना चाहिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्त्वपूर्ण नदी है। यह उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के ऊपरी शिवालिक क्षेत्र से निकलती है और सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिलों से गुजरती हुई, दिल्ली के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। हिण्डन की लम्बाई लगभग 400 किलोमीटर है। इसका जलागम क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में बहती है। यमुना में मिलकर गंगा के जल को प्रभावित करती है। हिण्डन एक बड़े जलागम क्षेत्र और घनी आबादी वाले औद्योगिक नगरों को जल निकास व्यवस्था प्रदान करती है। पिछले कुछ बरसों से प्रदूषण के कारण ये नदी भी चर्चा में है। बड़े पैमाने पर गाजियाबाद के ऊपरी क्षेत्रों में लगे स्टोन क्रशरों (वैध–अवैध) के चलते हिण्डन का पानी लाल हो गया है। साथ ही पश्चिमी उप्र की पेपर मिलें, शूगरमिलें, बूचड़खाने, अल्कोहल बनाने की इकाइयां और रासायनिक इकाइयां भी अपना अवशिष्ट सीधे इसमें डालती हैं।

नर्मदा की दुर्दशा

गंगा के बाद देश की दूसरी पवित्र नदी नर्मदा कही जाती है। नर्मदा को उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह गंगा को। अमरकंटक से शुरू होकर विंध्य व सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरकर अरब सागर में मिलने वाली नर्मदा का कुल 1,289 किमी की यात्रा में अथाह दोहन हुआ है। यही दुर्दशा बैतूल जिले के मुलताई से निकल सूरत तक जाकर अरब सागर में मिलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती की हुई है। तमसा बहुत पहले विलुप्त हो गई थी।

एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर बसे नगरों और बड़े गांवों के पास के लगभग 100 नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं। इन नालों में प्रदूषित जल के साथ–साथ शहर का गंदा पानी भी बहकर नदी में मिल जाता है। और तो और ये अपने उदगम इलाके अमरकंटक में ही खासी प्रदूषित दिखती है। कई स्थानों पर इसकी गंदगी खतरनाक स्तर को पार कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि वह 4000 करोड़ रुपये के बजट से नर्मदा की सफाई को लेकर अभियान चला रही है। इसका असर दिखने भी लगा है।

एक अच्छी बात ये भी हुई है कि पिछले दिनों अदालत ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानने को लेकर जिस तरह फैसला दिया है, वो भी सराहनीय है। शायद ऐसी ही नीति दूसरी नदियों को लेकर बनानी चाहिए। वही समय की जरूरत भी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में देश की दो पवित्र नदियों, गंगा और यमुना को 'जीवित' का दर्जा देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस संबंध में न्यूजीलैंड की वानकुई नदी का भी उदाहरण दिया जिसे इस तरह का दर्जा दिया गया।

सरकार अपनी ओर से जितना कर सकती है, कर रही है। नदियों की सफाई के प्रति हमारे अपने भी कर्तव्य हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि न तो नदियों में ऐसा कुछ प्रवाहित करें जिससे उसमें गंदगी बढ़ सकती है बल्कि उसकी सफाई के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने यमुना में पूजा और निर्माण सामग्री तथा अन्य कचरा डाले जाने पर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

क्या हो सार्थक हल

इन नदियों को यदि जल्द से जल्द स्वच्छ न किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदियां सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी। प्रदूषण का मुख्य कारण है इसमें प्रवाहित किया जाने वाला कचरा और दूसरा सबसे बड़ा कारण है धार्मिक कारण। प्रतिदिन पूजा के बाद के अवशेष इसमें बहाए जाते हैं। साथ ही स्नान, कपडे धोना, जानवरों को नहलाना, शवों को जलाकर राख प्रवाहित करने से भी गंदगी लगातार बढ़ रही है। यदि नदियों में कचरा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो इनका पानी खुद साफ हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नदियों में एक प्रकार का जीव पाया जाता है जो पत्थरों को जोड़ता है पानी को फिल्टर करता है यह प्रकृति का ही एक स्वरूप है जिससे नदियां स्वयं को स्वच्छ रखती हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें कमी के चलते नदियों में स्वयं को स्वच्छ करने की क्षमता में भी कमी आई है।

नदी के बेसिन का भी कम महत्व नहीं

नदी के प्रवाह को जीवन देने का असल काम नदी बेसिन की छोटी–बड़ी वनस्पतियां और उससे जुड़ने वाली नदियां, झरने, लाखों तालाब और बरसाती नाले करते हैं। इन सभी को समृद्ध रखने की योजना बननी चाहिए। हर नदी बेसिन की अपनी एक अनूठी जैव विविधता और भौतिक स्वरूप होता है। ये दोनों ही मिलकर नदी विशेष के पानी की गुणवत्ता तय करते हैं। नदी का ढाल, तल का स्वरूप, उसके कटाव, मौजूद पत्थर, रेत, जलीय जीव–वनस्पतियां मिल कर तय करते हैं कि नदी का जल कैसा होगा। नदी प्रवाह में स्वयं को साफ कर लेने की क्षमता का निर्धारण भी ये तत्त्व ही करते हैं। पर्यावरणविद कहते हैं गाद–सफाई के नाम पर नदियों के तल को जेसीबी लगा कर छीलने, प्रवाह की तीव्रता के कारण मोड़ों पर स्वाभाविक रूप से बने आठ–आठ फुट गहरे कुंडों को खत्म करने, वनस्पतियों को नष्ट करने से बचना चाहिए। इसका नदियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नदी जलग्रहण क्षेत्र में रोजगार के कुटीर और अन्य वैकल्पिक साधनों को लेकर पुख्ता कार्ययोजना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : ratana.srivastava74@gmail.com

24 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया

24 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देशभर में कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए। श्री तोमर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत केंद्र ग्राम पंचायतों को अपने गांव में भौतिक और सामाजिक ढांचागत परियोजनाओं हेतु पांच सालों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों को कहा है कि वे आज की तारीख तक जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे संबंधित योजनाएं अग्रिम रूप से भेजें। एक लाख 75 हजार से अधिक ग्रामीण विकास योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलेपमेंट (एसआईआरडी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाएंगे ताकि पंचायती राज पदाधिकारियों को सशक्त कर उनका मार्गदर्शन किया जा सकें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस अवसर पर एक त्रैमासिक पत्रिका 'ग्रामोदय संकल्प' भी रिलीज़ की गई। ये पत्रिका तीन मंत्रालयों–पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सौजन्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एवं वितरित की जाएगी। ये समाचार पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में शुरू की जाएगी और इसके जरिए नीति निर्माताओं और ग्राम पंचायतों के बीच सीधा संवाद हो सकेगा। ग्रामोदय संकल्प समाचार पत्रिका का एक मोबाइल एप भी लांच किया गया। ये प्रोग्राम फिल्हाल एंड्रायड फोन पर ही उपलब्ध है। इसके जरिए संवाद स्थापित करने हेतु पाठकों को कमेंट करने तथा जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा। मंत्रालय का यू–ट्यूब चैनल मंत्रालय की लघु वीडियों फिल्में दिखा रहा है जिसमें प्रेरणादायक सफलता की कहानियां दिखाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, पंचायती राज संस्थानों को दिए गए और ई–पंचायत पुरस्कार राज्य सरकारों को दिए गए।

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने से बिजली क्षेत्र का कायाकल्प

–ऋभ कृष्ण सक्सेना

बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता के मामले में पिछले तीन साल में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक देश में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 319 गीगावाट का आंकड़ा भी लांघ गई है और इसके साथ ही बिजली उत्पादन में भारत दुनिया में पांचवें नंबर पर आ गया है। सरकार का लक्ष्य अपना कार्यकाल पूरा होने तक 2 लाख करोड़ यूनिट बिजली तैयार करना है ताकि सभी को चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराई जा सके। इसके लिहाज से उत्पादन क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है और सरकार उस दिशा में तेजी से बढ़ रही है।

मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में अगर ऐसे क्षेत्र तलाशे जाएं, जिनका कायापलट हो गया है तो सूची में पहले तीन नामों में बिजली का नाम जरूर होगा। इस देश में कुछ वर्ष पहले बिजली का नाम लेने पर लटकते तारों, पुराने खंभों, फूंकते ट्रांसफॉर्मरों और घंटों गर्मी और अंधेरे में रहने के लिए अभिशप्त लोगों का खयाल आता था। गांव–देहात के आम आदमी को तो छोड़ ही दीजिए, शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने चलाने वाले भी बिजली विभाग के भरोसे नहीं रहते थे और अपने जेनरेटर के सहारे ही काम चलाते थे। वहां सभी को बिजली देना तो दूर, उन्हें यह यकीन दिलाना कि हर वक्त बिजली मिल सकती है, किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन पहली बार मंत्री बने श्री पीयूष गोयल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस बात का सेहरा उनके सिर ही बंधना चाहिए कि अब लोग इन्वर्टर और जेनरेटर के बगैर भी चौबीसों घंटे बिजली के बारे में सोचने लगे हैं। विदेशी निवेश इस क्षेत्र में आने लगा है, लोग उद्योग–धंधे लगाने के बारे में सोचने लगे हैं और बिजली क्षेत्र को अभी तक कोसने वाले विश्लेषकों और रेटिंग एजेंसियों की राय बदलने लगी है।

हालांकि गोयल ने जब कमान संभाली थी तो देश में लगभग 30 करोड़ लोग बिजली के बगैर ही गुजारा कर रहे थे। यह विडंबना ही थी कि आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी चौबीसों घंटे किफायती बिजली सपना भर थी। यह सब तब था, जब 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बेकार पड़ी हुई थी क्योंकि पर्याप्त कोयला और गैस उपलब्ध नहीं थे। कोयले से बिजली बनाने वाले दो तिहाई संयंत्रों के पास तो सात दिन तक उत्पादन करने लायक कोयला भी नहीं बचा था। लेकिन वही देश अब बिजली के अधिशेष (सरप्लस) वाला देश बन गया है। इसे चमत्कार भी कहा जा सकता है और जो इस बात से असहमत हैं, वे जुलाई, 2012 के आखिरी दो दिन याद कर सकते हैं, जब उत्तरी ग्रिड फेल होने से 62 करोड़ लोगों की जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। उसी देश में अब ग्रिड की चिंता कोई करता ही नहीं। जहां बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) जर्जर हो रही थीं, बिजली परियोजनाएं ठप्प पड़ी थीं, वहां उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और बदली हुई, नीतियों ने सब कुछ पटरी पर ला दिया है। अक्षय ऊर्जा को जबर्दस्त तेजी मिल रही है और दक्षिणी राज्यों में तो बिजली के दाम 60–70 प्रतिशत कम हो गए हैं। 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी' के मोदी सरकार के लक्ष्य के कारण परियोजनाओं को नई जिंदगी मिली है और बिजली के दाम एकदम नीचे आ गए हैं।

क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि

बीमार दिखने वाला बिजली क्षेत्र कितना सुधर गया है, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगता है। बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता के मामले में पिछले तीन साल में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक देश में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 319 गीगावाट का आंकड़ा भी लांघ गई है और इसके साथ ही इस मामले में भारत दुनिया में पांचवें नंबर पर आ गया है। सरकार का लक्ष्य अपना कार्यकाल पूरा होने तक 2 लाख करोड़ यूनिट बिजली तैयार करना है ताकि सभी को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराई जा सके। इसके लिहाज से उत्पादन क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है और सरकार उस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। 2016–17 में देश में तकरीबन 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता स्थापित हो गई थी, जो कुल स्थापित क्षमता की करीब

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय योजना बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी योजना है। बिजली पारेषण और वितरण में इस कदर नुकसान होता रहा है कि कमोबेश सभी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अपनी शुरुआत से ही भारी–भरकम घाटे में रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में डिस्कॉम को मार्च, 2015 तक 3.8 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था और उन पर करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था। उन्हें 14–15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ रहा था। डिस्कॉम की आर्थिक हालत अगर इतनी खस्ता होगी तो वे किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली मुहैया करा पाएंगे। इससे जीवन की गुणवत्ता भी नहीं सुधरेगी और आर्थिक विकास तथा वृद्धि में बाधा भी आएगी। सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का प्रयास हो या चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराना अथवा स्वच्छ ऊर्जा देना, डिस्कॉम की बढ़िया सेहत के बगैर इनमें से कुछ भी संभव नहीं है। यही वजह है कि राज्यों में बार–बार बिजली जाना आम बात थी। मुश्किल यह है कि 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे मोदी सरकार के अहम कार्यक्रम भी बिजली की किल्लत में अधूरे रह जाते। एक और असर बैंकों पर होता, जिनका कर्ज फंसा रहता और बहीखाते बिगड़ते रहते।

यही सब देखकर सरकार ने इन बीमारू डिस्कॉम को उबारने के लिए 5 नवंबर, 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को मंजूरी दी। इसका मकसद इन कंपनियों की माली हालत सुधारना, उन्हें घाटे से उबारना और दोबारा घाटे में नहीं फंसने देना है। इसमें डिस्कॉम को 2–3 वर्ष के भीतर घाटे से निकलकर लागत वसूल करने की स्थिति में आने का मौका दिया जाता है। इसके लिए डिस्कॉम की परिचालन कुशलता सुधारी जाती है; बिजली की लागत घट जाती है; डिस्कॉम की ब्याज दर में कमी आती है और डिस्कॉम को राज्यों की वित्तीय स्थिति के साथ जोड़कर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है।

योजना के तहत जो भी राज्य सहमत होते हैं, वे अपनी वितरण कंपनी का कर्ज अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्हें 30 सितंबर, 2015 तक डिस्कॉम पर चढ़े कर्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा लेना है। यह काम अगले दो वर्ष में 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ किया जाना है। राज्यों को यह आश्वासन मिला कि डिस्कॉम से लिए गए कर्ज को उनके राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाएगा। इससे राज्य परेशानी में नहीं फंसेंगे और डिस्कॉम को भी राहत मिलेगी। राज्य इसके एवज में बॉण्ड जारी करेंगे, जिन्हें खुले बाजार में या बैंकों को बेचा जाएगा। डिस्कॉम का जो कर्ज राज्य अपने ऊपर नहीं लेंगे, उन्हें बैंक भी बॉण्ड में बदल देंगे। डिस्कॉम को भविष्य में होने वाले घाटे को राज्य चरणबद्ध तरीके से भरेंगे। इनके बदले डिस्कॉम को व्यावसायिक और अनुशासित तरीके से चलते हुए बिजली के दाम में यथोचित बढ़ोतरी करनी होगी।

उदय में शामिल होने वाले राज्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना, विद्युत क्षेत्र विकास कोष और अन्य योजनाओं के जरिए अतिरिक्त या प्राथमिकता वाली वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्हें अतिरिक्त कोयला और सस्ती बिजली भी दी जाएगी। लेकिन जो राज्य बिजली के दाम बढ़ाने की शर्त से पीछे हटेंगे, उन्हें ये सारे लाभ नहीं दिए जाएंगे। उदय में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बिजली कंपनियों और राज्यों को बिजली की चोरी तथा बिल की वसूली में कोताही के कारण होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कमी लाने के ठोस कदम उठाने होंगे। यह घाटा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड में कुल बिल में से 35 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 32 प्रतिशत को वसूला ही नहीं जाता है।

उदय के लाभ भी नजर आ रहे हैं। अभी तक 26 राज्य इसमें शामिल हो चुके हैं। एडलवाइस सिक्योरिटीज की इसी वर्ष 30 मार्च को जारी रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत कर्ज राज्यों के पास जाने के बाद डिस्कॉम पर जो 48,800 करोड़ रुपये बकाया हैं, उनमें से 32,900 करोड़ रुपये दिसंबर, 2016 तक चुकाए जा चुके थे। इस तरह डिस्कॉम पर केवल 35 प्रतिशत कर्ज बचा था। ब्याज का बोझ भी करीब 65 प्रशित कम हो चुका था। कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान ने खासतौर पर अच्छा काम किया है। इनमें से हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड उदय में शामिल डिस्कॉम में से पहली ऐसी कंपनी बन गई, जो घाटे से मुनाफे में आ गई है। 2015–16 में उसे 479 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन 2016–17 की पहली छमाही में कंपनी ने 201.35 करोड़ रुपये का लाभ कमा लिया।

ब्याज का बोझ घटने से डिस्कॉम के लिए बिजली की लागत और राजस्व के बीच अंतर भी घटा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार उदय में शामिल होने वाले राज्यों के डिस्कॉम को 2015–16 में प्रति यूनिट 64 पैसे का घाटा हुआ था, लेकिन 2018–19 में आंकड़ा घटकर 28 पैसे प्रति यूनिट ही रह जाने के आसार हैं। डिस्कॉम का सकल घाटा भी 37,000 करोड़ रुपये के वर्तमान आंकड़े से घटकर 20,000 करोड़ रुपये ही रह जाएगा।

15 प्रतिशत है। इसमें सर्वाधिक 28.7 गीगावाट पवन ऊर्जा और 9 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता थी।

वर्तमान सरकार के समय में बिजली उत्पादन की क्षमता ही नहीं बढ़ाई गई है बल्कि बिजली के उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में देश में लगभग 96,715 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था, जो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2014–15 में बढ़कर 1,04,867 करोड़ यूनिट हो गया। वर्ष 2016–17 में आंकड़ा 1,17,800 करोड़ यूनिट हो गया है। यदि नई परियोजनाएं तेजी से तैयार हुईं और पूरी क्षमता से काम हुआ (जिसके आसार भी दिख रहे हैं) तो अगले दो वर्ष में बिजली के वार्षिक उत्पादन का आंकड़ा 2 लाख करोड़ यूनिट तक आसानी से पहुंच सकता है। बिजली का उत्पादन जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऊर्जा की किल्लत भी उतनी ही तेजी से कम हो रही है। इसका अहसास भी हमें हो रहा है क्योंकि अब अपेक्षाकृत छोटे शहरों में भी बिजली पहले से अधिक मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का अप्रैल महीने में रोस्टर बदलने का फैसला इसका उदाहरण है, जहां महानगरों को 24 घंटे, शहरों को 20 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली देना का निर्णय लिया गया है। जहां गांवों को महीने में कुछ ही दिन बिजली नसीब होती थी, अगर वहां सरकार 18 घंटे बिजली देने के बारे में सोच भी पा रही है तो इसके पीछे पिछले तीन वर्ष की बिजली मंत्रालय की मेहनत ही काम कर रही है।

विदेश से वाहवाही

बिजली मंत्री को वैसे भी कॉर्पोरेट तरीके से काम करने का आदी बताया जाता है और जिस तरह से उन्होंने हमेशा बीमार कहलाने वाले और आलोचना का शिकार बनने वाले मंत्रालय की मुश्कें कसी हैं, वह सराहनीय ही है। इसके लिए उन्होंने निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश का सहारा लेने में बिल्कुल भी हिचक नहीं दिखाई, जिन पर पिछली सरकारें टालमटोल करती थीं। आज हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों में विदेशी बिजली कंपनियों के साथ मिलकर परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि विदेशी कंपनियां तब तक कहीं निवेश नहीं करेंगी, जब तक उन्हें मुनाफा न हो रहा हो और काम करने में झंझट कम से कम न हों। झंझट कम करने के लिए बिजली उत्पादन की परियोजनाओं में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत दे दी गई है। सीईआरसी (बिजली बाजार) नियमों के तहत पंजीकृत बिजली एक्सचेंजों में भी 49 प्रतिशत एफडीआई सरकारी मंजूरी के बगैर किया जा सकता है। नियमों में इन बदलावों का अच्छा परिणाम भी दिखा और अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2016 तक बिजली क्षेत्र में लगभग 213 करोड़ डॉलर का एफडीआई आया।

बीमारी की पहचान

बिजली क्षेत्र के तमाम विशेषज्ञ लंबे अरसे से कहते आए हैं कि बिजली क्षेत्र में उत्पादन से बड़ी समस्या पारेषण और वितरण है। यह तंत्र हमेशा से इतना कमजोर रहा है कि बिजली की अच्छी–खासी बरबादी होती है। इस सरकार ने इस बीमारी को आते ही पहचाना और नवंबर, 2014 में एकीकृत बिजली विकास योजना को मंजूरी दे दी। सभी को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य वाली इस योजना के लिए 32,612 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इसके तहत सरकारी और निजी बिजली वितरण कंपनियों को शहरों में अपने पारेषण–वितरण तंत्र तथा ट्रांसफॉर्मर आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,500 शहरों में करीब 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जो बिजली की व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने में मदद करेंगी।

इसके अलावा पारेषण एवं वितरण तंत्र तैयार करने के लिए अगले पांच वर्ष में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना भी सरकार के पास है। इससे समूचे बिजली तंत्र को बहुत अधिक फायदा होने की उम्मीद है और गांव–देहात तक बिजली पहुंचाना भी सरकार के लिए इसके बाद बेहद आसान हो जाएगा।

कारगर योजनाएं

बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने उदय, उजाला, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जैसे कई शानदार कदम उठाए। इनमें उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तो सबसे क्रांतिकारी कदम है। बिजली की चोरी, झोल भरा वितरण–पारेषण और बिलों का भारी–भरकम बकाया इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, यह बात पिछली सरकारें भी जानती थीं, लेकिन इसका तोड़ वे नहीं निकाल पाई थीं। मौजूदा सरकार इसके लिए उदय ले आई। इसके तहत राज्यों को अपनी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कर्ज अपने ऊपर लेने को कहा जाता है और बदले में उन्हें कई प्रोत्साहन तथा रियायतें मिलती हैं। मार्च, 2015 में देश भर के डिस्कॉम को 3.8 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था और उन पर करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था। लेकिन अब 26 राज्य उदय में शामिल हो चुके हैं और उनके डिस्कॉम कर्ज से मुक्त होकर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बिजली की बेहतर कीमत वसूली जाएगी और गांवों तक बिजली पहुंचाना आसान होगा। इसका असर दिख भी रहा है और कुछेक राज्यों के डिस्कॉम घाटे से उबरकर मुनाफे में आ रहे हैं।

बिजली उत्पादन बढ़ाने से ज्यादा बिजली की खपत और बरबादी कम करने पर मोदी सरकार का जोर रहा है। इसके लिए बिजली मंत्रालय ने सबसे आसान तरीका निकाला–सामान्य बल्बों के बजाय बेहद कम बिजली खर्च करने वाले एलईडी बल्ब मुहैया कराना। जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे बाद में उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) का नाम दे दिया गया। इसके तहत सरकार आम आदमी को एकदम रियायती दर पर एलईडी बल्ब मुहैया कराती है। सरकार का लक्ष्य 77 करोड़ सामान्य बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब लगवाना है। इसमें सरकार पर बोझ भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि थोक में बल्ब खरीदने पर उसे 50 रुपये प्रति बल्ब से भी कम दाम में माल मिल रहा है, जिसे सस्ते में ही आम आदमी को उपलब्ध करा दिया जाता

उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला)

बिजली से वंचित क्षेत्रों को अगर रोशन करना है तो बिजली उत्पादन बढ़ाने भर से काम नहीं चलेगा और यह काम वैसे भी लंबा होता है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने बिजली की बचत पर भी उत्पादन जितना ही जोर देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम आरंभ किया। इसके तहत बिजली की बेहद कम खपत करने वाले और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह कार्बन–डाई–ऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन करने वाले एलईडी बल्बों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत सरकार आम आदमी को एकदम रियायती दर पर एलईडी बल्ब मुहैया कराती है। सरकार का लक्ष्य 77 करोड़ सामान्य बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब लगवाना है।

दिलचस्प है कि भारी संख्या में बल्ब रियायती दर पर मुहैया कराने से भी सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार इस पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं देती है। उसके बजाय सरकार बाजार से थोक में बल्ब खरीदती है। इसी का नतीजा है कि वल्ब पिछले वर्ष अगस्त में सरकार को 50 रुपये से भी कम का पड़ा है और लगभग इसी कीमत पर आम आदमी को भी वह बल्ब मिल रहा है। अगर पिछली सरकार के जमाने के एक आंकड़े से इसकी तुलना करें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। मनमोहन सिंह सरकार के समय जनवरी, 2014 में पहली बार इन बल्बों को बाजार से खरीदा गया था तब सरकार को एक बल्ब 310 रुपये में पड़ा था, जिसे सब्सिडी के साथ जनता को सस्ते में दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार सब्सिडी के पचड़े में पड़ी ही नहीं। इसी योजना को बाद में 'उजाला' का नाम दे दिया। आम आदमी ने भी इसे हाथोहाथ लिया। जनता इसे हाथों–हाथ इसलिए भी ले रही है क्योंकि इसमें मिलने वाले बल्ब किसी गुमनाम कंपनी के नहीं बल्कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, फिलिप्स, विप्रो जैसी नामी कंपनियों से खरीदे गए हैं।

उजाला कितनी सफल रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 अप्रैल, 2017 तक 22.75 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके थे। सरकार का दावा है कि इनसे हर साल लगभग 2,954 करोड़ यूनिट बिजली बच रही है और 11,817 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब सरकार कम बिजली खाने वाले एलईडी पंखे और एयर कंडीशनर भी लाने वाली है, जो बाजार के मुकाबले कम कीमत पर मुहैया कराए जाएंगे।

है। इस तरह सब्सिडी के बगैर ही बिजली की खपत में जबर्दस्त बचत की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक 22.75 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके थे, जिनसे हर साल करीब 2,954 करोड़ यूनिट बिजली बचने की संभावना है।

शहरों से इतर गांवों पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता था क्योंकि शहरों को बिजली मिले तो गांवों की सोची जाए। वहां बिजली की बात अक्सर चुनाव के आसपास ही होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ग्रामीण बिजली पर खास ध्यान दिया। उसने गांवों को लगातार बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आरंभ की। इस योजना के तहत सभी गांवों को बिजली देने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। इसके तहत कृषि एवं गैर–कृषि फीडर अलग–अलग कर दिए गए हैं और पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। यह योजना कितनी प्रभावी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब केवल 26 प्रतिशत ग्रामीण घर बिजली से वंचित रह गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 17.86 करोड़ ग्रामीण घरों में से 13.24 करोड़ घरों में बिजली पहुंच चुकी थी। जहां तक गांवों का सवाल है तो लगभग 99 प्रतिशत गांव भी बिजली के बुनियादी ढांचे से जुड़ चुके हैं। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को भी बिजली के कनेक्शन देने पर सरकार खास जोर दे रही है। इस योजना के तहत सरकार ने बिजली से एकदम वंचित जिन 18,452 गांवों को 2018 तक बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा था, उनमें से 13,216 गांवों को 10 अप्रैल तक बिजली मिलने भी लगी है। बाकी 4,399 गांवों को अगले वर्ष 1 मई तक बिजली मुहैया करा देने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। 1,000 दिनों के भीतर सभी गांवों को बिजली से जोड़ने का प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने के लिए मंत्रालय ने वाकई मिशन की तरह काम किया है और 12 चरणों में गांवों को बिजली प्रदान करने की योजना बनाई ताकि निगरानी आसान हो सके।

अक्षय ऊर्जा पर ध्यान

मोदी सरकार ने तीन वर्ष के अपने कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा पर सबसे अधिक जोर दिया है। इसकी वजह भी साफ है। मोदी सरकार ने 2014 में जब कमान संभाली ही थी तो तापीय बिजली का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था। कंपनी ने कहा कि उसके पास कोयले की बहुत किल्लत है और कुछ संयंत्र चंद दिनों में ही ठप्प हो सकते हैं। इस समस्या से दो–चार होते ही प्रधानमंत्री को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की अहमियत समझ आ गई थी और उन्होंने इस क्षेत्र पर जोर देना शुरू कर दिया। **देश में पैदा होने वाली बिजली में 2030 तक अक्षय ऊर्जा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। उसी का नतीजा है कि सरकार के कमान संभालने से लेकर दिसंबर, 2016 तक 14.3 गीगावाट**

अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा ग्रिड से जोड़ दी गई है। 2016–17 में देश में 12.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जबकि पारंपरिक बिजली की केवल 10.2 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है। यह पहला मौका है, जब क्षमता के मामले में अक्षय ऊर्जा ने पारंपरिक स्रोतों को पछाड़ा है। यह जरूरी भी है क्योंकि बमुश्किल 1,000 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाले देश में वैकल्पिक स्रोतों के बगैर काम नहीं चल सकता।

अक्षय ऊर्जा में सरकार का सबसे ज्यादा जोर सौर ऊर्जा पर है। सरकार ने 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की रखी है क्योंकि देश–विदेश से कंपनियां इसमें निवेश भी कर रही हैं। सरकारी नीतियों और निजी क्षेत्र के निवेश के कारण ही इसके दाम में भी जबर्दस्त कमी आई है। 2010 में सौर ऊर्जा से बनी बिजली 14–15 रुपये प्रति यूनिट पड़ती थी, लेकिन आज यह 3 रुपये से भी नीचे चली गई है। फरवरी में ही सरकार ने मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सौर बिजली परियोजना के लिए जब बोली लगवाईं तो इस क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ भी भौंचक्के रह गए। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में शुमार इस परियोजना के लिए 2.97 रुपये प्रति यूनिट तक की बोली लगाई गई। इतनी सस्ती बिजली की कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह भी तब है, जब इस परियोजना को सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। तमाम खर्चों और दूसरे शुल्कों को मिलाने के बाद इस परियोजना से बनने वाली बिजली लगभग 3.3 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी, जो कोयले से बनने वाली बिजली से कुछ सस्ती ही रहेगी। इसी तरह रूफटॉप सौर परियोजना में पिछले वर्ष नवंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पुद्दुचेरी में 3 रुपये प्रति यूनिट तक की बोली लगाई गई थी।

जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार को देखते हुए अक्षय ऊर्जा का महत्व काफी बढ़ गया है और सोलर पार्कों, पवन ऊर्जा फार्मों को बढ़ावा देकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जिसके कई नतीजे निकलेंगे। खासतौर पर ग्रामीण भारत को देखते हुए यह महत्वाकांक्षी और अहम कदम है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई गांवों में सोलर पार्क या छोटे सोलर ग्रिड के जरिए गांवों को रोशन किया ही जा रहा है। इसी तरह तटवर्ती राज्यों में जाएं तो पवन ऊर्जा के फार्म यानी विंड फार्म गांवों और राजमार्गों को रोशन करते दिखते हैं। इस लिहाज से एकबारगी निवेश के बाद लगातार प्रतिफल देने वाला यह अच्छा तरीका है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में भी छोटी सोलर यूनिट से मोहल्लों को बिजली के बुनियादी उपकरण चलाते हुए देखा जा सकता है। ग्रिड के जरिए मिलने वाली पारंपरिक बिजली से वंचित रहने वाले या उसकी ज्यादा किल्लत झेलने वाले कई गांवों में निजी उद्यमियों द्वारा संचालित सोलर ग्रिड से बिजली मिलने लगी है। यह बिजली खासी सस्ती भी पड़ती है और कुछेक घरों को आसानी से रोशन भी कर देती है। सरकार को इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। सरकार खुद भी इसी तरह के तरीके अपना रही है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 900 गांवों में सोलर किट भेजने का फैसला हुआ है, जिससे तकरीबन 16,000 घरों को बिजली मिल जाएगी।

गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में भी इसका खासा योगदान हो सकता है क्योंकि पारंपरिक स्रोतों की बिजली वहां काफी कम पहुंचती है। सरकार ने लगभग 5,000 गांवों को सौर ऊर्जा की बिजली देने के लिए परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा केवल सामाजिक–स्तर और जीवन–स्तर ही नहीं बढ़ाती है बल्कि रोज 4–5 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय में भी करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हो जाता है। इसी तरह सोलर पंपों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर 10 लाख डीजल पंपों के बजाय सोलर पंप लगा दिए जाएं तो खेती की उत्पादकता में 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान तमाम विश्लेषक लगाते हैं। बेशक ये पंप सामान्य पंप के मुकाबले तीन–चार गुना महंगे होते हैं, लेकिन सरकार को तीन–चार साल में इनके जरिए डीजल सब्सिडी की जो बचत होगी, उसी का इस्तेमाल कर वह इन पर सब्सिडी दे देती है तो सोलर पंप बहुत आराम से लग जाएंगे।

चुनौतियां अभी बाकी

लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। मिसाल के लिए ताप बिजली परियोजनाएं सरकार के लिए चुनौती हैं। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड की कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 14,000 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्रों की हालत खस्ता है। उन पर पूंजीगत व्यय बहुत अधिक है, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता से आधी बिजली की खरीद के ही करार मिले हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि बिजली खरीद समझौते नहीं होने के कारण इन संयंत्रों पर लगभग 60,700 करोड़ रुपये का कर्ज होने और उनके कभी भी ठप्प पड़ने का खतरा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक अन्य रिपोर्ट में भी कहा गया है कि शीर्ष नौ बिजली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों पर कर्ज बहुत अधिक है। इसकी वजह बिजली खरीद समझौते नहीं होना और क्षमता से बहुत कम पर काम करना है। माना यही जा रहा है कि उदय भी इसमें कुछ ही सुधार कर सकती है, लेकिन पूरी तरह कायापलट नहीं कर सकती। इन संयंत्रों से मिलने वाली बिजली की कीमत भी 4.30 से 5.50 रुपये प्रति यूनिट लग रही है, जबकि हालिया नीलामी में 4 रुपये प्रति यूनिट से भी कम की बोली लगाई गई हैं।

बिजली उत्पादन क्षमता का बेहद कम इस्तेमाल भी एक और समस्या है। पिछले कुछ वर्षों से देश के बिजली उत्पादन संयंत्र 70 प्रतिशत से कम क्षमता से काम कर रहे हैं। ऐसे में निवेश भी अटका रहता है और रोजगार के साधन भी कम होते हैं। डिस्कॉम के पास बिजली खरीदने की रकम नहीं होना तो अब बीते जमाने की बात रह गई है। लेकिन ईंधन की किल्लत गंभीर कारण है, जिसका निराकरण सरकार को सोचना होगा।

(लेखक आर्थिक दैनिक बिजनैस स्टैंडर्ड में पत्रकार हैं।)

ई–मेल : rishabhakrishan@gmail.com

महिलाओं और बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के प्रयास

–पश्यंती शुक्ला

एनडीए सरकार ने विगत तीन वर्षों में 30 से भी अधिक योजनाओं की शुरूआत की जिनमें से अधिकांश योजनाएं मोदी सरकार की उपलब्धियों में से एक मानी जाती हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना जन–धन योजना, मेक इन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक बड़ी योजनाओं के अलावा सरकार ने इन तीन सालों में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और बच्चों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु कई योजनाओं का आरम्भ किया।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' भारत सरकार की ऐसी ही एक महात्वाकांक्षी योजना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है तथा इसके तहत तीनों ही मंत्रालयों की प्रमुख जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के द्वारा सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना तथा संरक्षण प्रदान करना है। 100 करोड़ रुपये की शुरूआती राशि के साथ यह योजना देशभर के सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में शुरू की गई। यह 100 जिले योजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चयनित किए गए।

उद्देश्य

- **लिंग भेद से पूर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना**

एशिया में महिलाओं का अनुपात कम हो रहा है। हमारा देश इस अनुपात के शीर्ष पर है । इस योजना के तहत मुख्य रूप से महिला–पुरुष लिंग अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया गया है । ध्यान देने योग्य तथ्य हैं कि भारत की 2001 में जनगणना के समय 0–6 वर्ष के बच्चों का अनुपात 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी जो 2011 में गिरकर 1000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां ही रह गयी हैं। यूनीसेफ के आंकड़ों के अनुसार 2012 में भारत 195 देशों की श्रेणी में 41 वें स्थान पर था।

- **बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना**

''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना व उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सरकार का उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या को रोका जाए और हर बालिका के अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।

- **बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चत करना**

देशभर में बालिकाओं की सुरक्षा के साथ ही उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हे शिक्षा के समान अधिकार मिलें। योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि लड़कियों को पढ़ाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। वास्तव में यह योजना ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' योजना का ही विस्ता र है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। इस खाते की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जा होती है। इसमें शुरूआती जमाराशि 1000 रुपये है, जबकि अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। बालिकाओं के माता–पिता को प्रोत्साहित कर लड़कियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने वाली इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- यह खाता बेटी के नाम से उसके माता–पिता या संरक्षक द्वारा खोला जा सकता है, जो बेटी के दस वर्ष की उम्र तक ही खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु के बाद कन्या स्वयं अपने खाते की उत्तरदायी होगी। खाता खुलने के बाद आवश्यकता पड़ने पर इसे देश भर में कहीं भी स्थानांतरित

कराया जा सकता है।

- एक बेटी के नाम से केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है तथा अधिक से अधिक दो बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में सरकार प्रमाण प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता खोलने की अनुमति देती है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बेटी का जन्म प्रमाणपत्र, जमाकर्ता का परिचय–पत्र, जमाकर्ता का एड्रेस प्रूफ आवश्यक होता है।
- यह खाता पोस्ट ऑफिस समेत स्टेट बैंक तथा एक्सेस व एचडीएफसी बैंक समेत लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जा सकता है तथा खोले गए खाते में पैसा नगद, चेक या डिमांड ड्रॉफ्ट किसी भी तरीके से जमा किया जा सकता है।
- योजना के तहत माता–पिता या संरक्षक एक हजार प्रतिवर्ष की न्यूनतम और एक लाख पचास हजार की अधिकतम राशि अपनी बेटी के खाते में जमा कर सकते हैं।
- योजना के तहत खोले गए खाते पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार प्रति वर्ष बजट के अंतर्गत तय करेगी। यह ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के रूप में बीमा अवधि यानी 14 वर्षों तक लगता रहेगा जिसकी दरें प्रतिवर्ष बदलती रहेंगी।
- यह योजना जहां बालिकाओं के खाते पर सर्वाधिक ब्याज प्रदान करती है वहीं इस योजना के तहत खाता खोलने वालों को सरकार आयकर में छूट भी देती है।
- कन्या की मृत्यु होने पर खाता बंद करने व समय से पूर्व पैसा निकालने की अनुमति है।
- उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकता पड़ने पर खाते से 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जुलाई 2015 में 'सखी' या वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का आरंभ किया इस योजना के तहत पेश की जाने वाली सेवाओं में चिकित्सकीय एवं कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श एवं अस्थायी आश्रय शामिल हैं। यह योजना निर्भया फंड का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से करती है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1 अप्रैल 2016 को सरकार ने 24 घंटे की वीमेंस हेल्पलाइन का आरंभ किया। यह हेल्पलाइन हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अपनी रेफरल सेवाएं प्रदान करती है। इस रेफरल नेटवर्क में पुलिस, अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर आदि शामिल हैं। इसके अलावा देश भर में एक ही नंबर 181 के माध्यम से महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी सहित किसी भी तरह की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण समन्वयकों के एक कैडर का गठन 'विलेज कन्वर्जेंस एंड फेलिसिटेशन सर्विस' के तहत किया गया है। यह एक सामुदायिक स्तर की संस्था है जो जन धन योजना, बीबीबीपी आदि योजनाओं के फायदों को महिलाओं तक पहुंचाने में सक्रिय हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में शुरू की गई इस योजना का आरंभ 100 जिलों में किया गया था और आज यह योजना 300 से ज्यादा जिलों तक पहुंच चुकी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने पिछले तीन सालों में कई प्रयास किए हैं। महिलाओं को पुलिस बलों में शामिल करना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना व महिला ई–हाट सरकार की ऐसी ही कुछ महात्वाकांक्षी योजनाएं हैं। महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने का उद्देश्य पुलिस विभाग में संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2015 में दिल्ली समेत सभी सात केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं को पुलिस बलों में शामिल करने के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी। सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशों में इस दृष्टि से आरक्षण अनिवार्य किया है।

महिला ई–हाट महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सरकार का एक और प्रयास है, यह महिला उद्यमियों एवं स्वयं–सहायता समूहों के लिए ऑनलाईन माकेर्टिंग प्लेटफॉर्म है। महिला उद्यमियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ई–हाट का आरंभ मार्च 2016 में किया गया। हाट उद्यमियों एवं खरीददारों को एक ही मंच पर लाता है। इससे उनके बीच बिचौलिए समाप्त हो जाते हैं।

वर्ष 2017 की शुरूआत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए संस्थागत प्रसव अपनाने वाली महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री के अनुसार अब देशभर के सभी, 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद करेगी। 6 हजार रुपए की ये राशि गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना प्रसव से पूर्व एवं पश्चात माता के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करने सहित जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा काफी हद तक मातृत्व मृत्युदर घटाने में मदद करेगी। वर्तमान में यह योजना 4 हजार की आर्थिक मदद के साथ देश के सिर्फ 53 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही थी।

मिशन इंद्रधनुष महिलाओं के साथ साथ सरकार ने बच्चों की स्वास्थ्य, सुरक्षा व बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा द्वारा आरंभ किया गया 'मिशन इंद्रधनुष' एक ऐसा ही अभियान है जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाना व उनमें रोग–प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। इंद्रधनुष के सात रंगों को प्रदर्शित करने वाले इस मिशन के अंतर्गत बच्चों को सात बीमारियों– डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य 2020 तक सभी बच्चों का इन बीमारियों से लड़ने के लिए टीकाकरण करना है जिनको टीके नहीं लगे हैं।

इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में देशभर में 201 जिलों का चयन किया गया जिनमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : 2.12 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश में गरीब परिवारों को स्वच्छ कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के विज़न को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी समाज कल्याण योजना है जिसकी शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने के साथ–साथ उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। योजना का आरंभ करते समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाले तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1.5 करोड़ (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हालांकि लक्ष्य से बहुत आगे चलते हुए अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत 2.12 करोड़ से अधिक परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चूल्हों से आज़ादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।

योजना के अंतर्गत सरकार मात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने संबंधी तमाम जानकारी वेबसाइट : www.pmujjwalayojana.com पर उपलब्ध है। एलपीजी उपभोक्ता हेल्पलाइन 1906 पर 24X7 घंटे संपर्क कर सकते हैं।

टीके या तो नहीं लगे या फिर आंशिक तौर से लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार इन जिलों में से 82 जिले केवल चार राज्यों–उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के हैं, अर्थात भारत में टीकों से वंचित आंशिक टीकाकरण वाले करीब 25 प्रतिशत बच्चे इन चार राज्यों के 82 जिलों में हैं। मिशन के पहले चरण का आरंभ 7 अप्रैल ,2015 को विश्व स्वास्थ्य दिवस से किया गया।

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त 2016 में 'पोस्को ई बॉक्स' का आरंभ किया जोकि बाल–सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। यह बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाईन कम्प्लेन्ट बॉक्स है। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले कभी सामने नहीं आते और पीड़ित जीवन भर के लिए आघात का शिकार हो जाता है। ऐसे में ऑनलाईन शिकायत प्रबन्धन प्रणाली पोस्को एक ई–बॉक्स है जिसमें बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी उत्पीड़न की शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकती है।

चौबीसों घण्टे काम करने वाली एमरजेंसी हेल्पलाइन –1098 भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में किया गया सरकार का एक प्रयास है, जिससे वर्तमान में 402 शहरों में बच्चों को मदद मिल रही है। यह हेल्पलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सिविल सोसाइटी और दूरसंचार विभाग की संयुक्त पहल है। इसके अलावा लापता बच्चों की खोज के लिए जून 2015 में 'खोया पाया' पोर्टल का आरंभ किया गया। बच्चों की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल का लांच किया गया जिस पर लापता बच्चों के बारे में किसी भी जानकारी को पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जुवेनाईल जस्टिस मॉडल रूल, 2016 (बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किशोर न्याय आदर्श नियम– जेजे मॉडल रुल्स 2016) भी सरकार का एक प्रशंसनीय प्रयास माना जाता है. इसके तहत पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय के लिए अनुकूल प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के तहत किसी भी बच्चे को न तो हथकड़ी पहनाई जा सकती है और न ही जेल या लॉकअप में रखा जा सकता है।

बच्चों की तस्करी रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय ने संयुक्त प्रयास किया है। 20 रेलवे स्टेशनों को बाल तस्करी के मुख्य केन्द्रों के रूप में पहचाना गया है, जहां लापता बच्चों के बचाव, पुनर्वास एवं सहायता के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रयास के तहत धीरे–धीरे 1000 स्टेशन शामिल करने की योजना है।

(लेखिका टीवी चैनल ज़ी न्यूज से जुड़ी हुई है।)
ई–मेल : pashyantizeenews@gmail.com

आगामी अंक

जून, 2017 – किसानों की आय को बढ़ावा